खण्ड-296, अंक-5
मंगलवार, 22 चैत्र, शक संवत् 1894
(11 अप्रैल, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 296 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४७३–४७७
प्रश्नोत्तर	४७७–५०८
उत्तर प्रदेश वन्य पशु तथा पक्षी संरक्षण विधेयक, १९७२ को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के विधान परिषद् के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचना ..	५०९
उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९७२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	५०९–५१०
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	५१०
मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	५१०
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	५१०–५११
१९७२–७३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	५११–५३८
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	५३८
१९७२–७३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (समाप्त) ..	५३८–५५३
नत्थियां	५५४–५६२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ११ अप्रैल, १९७२

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३७४

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसेन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री

ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैन्यालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल,श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री

गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जूदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगरसिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
दर्लसिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री

बच्चन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बांके लाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री, (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
रामदुलारे, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री

रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामवचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामहर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री

विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भरसिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बक्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्तीचरण पिंडारा, श्री
शान्तिदेवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
सुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर

श्यामलाल राघत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल घुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरासिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोटः—श्री बलदेव सिंह आर्य, पंचायत राज मंत्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ११ अप्रैल, १९७२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य सरकार को प्राप्त योजना आयोग का पत्र

**१—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अभी हाल ही में योजना आयोग द्वारा वित्तीय भार और नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने के लिये एक परिपत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख किया गया है कि गत दो वर्षों में वार्षिक योजनाओं के लक्ष्य पूरे नहीं हुए और विदेशी सहायता की कमी हो गई है? ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें योजना के कार्य को पूरा करने के लिये आन्तरिक साधन जुटायें? यदि हां, तो उस परिपत्र का प्रारूप

क्या है और सरकार ने आन्तरिक साधन जुटाने की दिशा में अब तक कौन-कौन कार्यवाही की है और प्रत्यक से कितनी-कितनी अनुमानित धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री कृष्णचन्द्र शर्मा)—

योजना आयोग ने राज्य सरकार को एक पत्र अगस्त, १९७१ में सम्बोधित किया था जिसक साथ प्रदेश की चौथी योजना पर मध्यावधि समीक्षा भेजी थी। यह मूल्यांकन प्रथम दो वर्षों के व्यय तथा चालू वर्ष के परिव्यय पर आधारित था। उल्लिखित पत्र में विदेशी सहायता का कोई जिक्र नहीं मिलता परन्तु योजना आयोग द्वारा दिनांक २२ दिसम्बर, १९७१ को संसद म पूर देश की चौथी योजना पर जो मध्यावधि समीक्षा प्रस्तुत की गई थी उसक प्राक्कथन में यह अवश्य कहा गया था कि पाकिस्तानी शत्रुता के कारण योजना के कार्यान्वयन में विदेशी सहायता की निर्भरता को तेजी से कम करना होगा। साथ ही साथ मुख्य मंत्री और उपाध्यक्ष योजना आयोग के बीच वार्षिक योजना १९७२–७३ पर जो चर्चा दिल्ली में दिनांक २७ दिसम्बर, १९७१ को हुई उसमें भी आयोग द्वारा इस बात को इंगित किया गया था कि अमरीकी सहायता की अनिश्चितता से उत्पन्न कठिन स्थिति को ध्यान में रखकर राज्य सरकार उन सभी परियोजनाओं की जांच करें जिसके लिए अमरीकी सहायता प्राप्त ह ताकि उसके अभाव में उन परियोजनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आयोग के अगस्त माह के पत्र म राज्य सरकार का ध्यान जिन बातों की ओर मुख्य रूप से आकर्षित किया गया था वह निम्न प्रकार थी :—

(१) चौथी योजनावधि में १७५करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया था जबकि पिछले २ वर्षों में जो व्यवस्था की गई उसके अनुसार प्रथम तीन वर्षों में केवल ४३ करोड़ रु० का ही प्रबन्ध हो सका है और चौथी योजनावधि में यह ८७ करोड़ रु० से अधिक न होगा। भूमि-कर, वृत्ति-कर आदि करों की समाप्ति के फलस्वरूप यह धनराशि और कम हो जायगी।

(२) कुछ क्षेत्रों में अधिक तेजी से व्यय हुआ है जैसे लघु सिंचाई, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत, वृहद् एवं मध्यम उद्योग, जल सम्पूर्ति, आवास एवं नगर विकास, परन्तु कुछ प्राथमिकता के क्षेत्रों में व्यय कम हुआ है जैसे—कृषि उत्पादन (कृषि शिक्षा एवं शोध और भंडारागार को छोड़कर) पशु पालन, दुग्ध, सहकारिता, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, सड़क, सामान्य शिक्षा, पिछड़ी जातियों का कल्याण आदि।

(३) खाद्यान्नों में अधिक तेजी लाने की आवश्यकता है।

(४) रामगंगा, गंडक, शारदा सहायक परियोजनाओं के लिये और इसी प्रकार नई योजनाओं के परीक्षण के लिये भी समुचित धन की व्यवस्था करनी होगी।

(५) पिछड़े क्षेत्रों में पूर्वी जिलों और उत्तराखंड के अतिरिक्त अन्य पांच पर्वतीय जिलों तथा बुन्देलखंड में लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही हे। अतएव इस विषय में भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

आयोग द्वारा प्राप्त मध्यावधि समीक्षा पर उच्चस्तरीय विचार-विमर्श के उपरान्त एक विस्तृत आख्या योजना आयोग को नवम्बर, १९७१ में भेजी गई थी जिसकी प्रति सदन के पटल पर सूचनार्थ प्रस्तुत है।

राज्य सरकार ने १९६९–७० से १९७१–७२ (अब तक) अतिरिक्त संसाधन जुटाने के जो प्रयास किये हैं और जो अभी तक क्रियान्वित हो रहे हैं उनसे चौथी योजना काल में कुल ९३.९१ करोड़ रु० की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। इसका ब्योरा संलग्न† विवरण पत्र में दिया हुआ है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख कर देना भी उचित होगा कि राज्य सरकार ने

†छापा नहीं गया।

१९७१–७२ से व्यवसाय कर समाप्त कर दिया है तथा सवा छएकड़ तक की जोत को मालगुजारी से मुक्त कर दिया है जिस से चौथी योजना काल में ५५.७१ करोड़ रु० की हानि होने का अनुमान है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के परिपत्र के अनुसार सरकार ने उन परियोजनाओं की जांच की जो राज्य में अमेरिकी सहायता से चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में कितनी सहायता प्राप्त होने का अनुमान था ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

रामगंगा, यमुना और नलकूपों की जो योजनायें थीं, उनमें अमेरिकी सहायता मिलती थी, वह स्थगित हो गयी है। उसकी परीक्षा कर ली गई है और उसके लिए हम तैयार हैं कि अमेरिकी सहायता बहुत दिनों तक न मिले अथवा बिलकुल न मिले तो भी हम आत्म-निर्भर हो सकें और अपनी योजनाओं को चला ले जायेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश की सदैव से यह मांग रही है कि फाइनेंस कमीशन से योजनाओं के लिये केन्द्र से जो धन दिया जाता है वह जन-संख्या के आधार पर मिले। लेकिन अभी तक फाइनेंस कमीशन केवल ६० प्रतिशत तक ही इस बात को मान पाया है। ऐसी स्थिति में क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी केन्द्र से जन-संख्या के आधार पर रुपया प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रयत्न किया गया है और उनको लिखा भी जा रहा है कि जन-संख्या के आधार पर दिया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि विदेशी सहायता के अभाव में या उसके बहिष्कार करने के बाद जो आन्तरिक साधन जुटाने हैं क्या उनके लिये यह सरकार मितव्ययिता के लिए कोई कदम उठाने जा रही है ?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मितव्ययिता का प्रयास तो बराबर जारी रहता है लेकिन जब योजनायें चलती हैं और काम बढ़ता है तो खर्चा भी बढ़ता ही जाता है। मितव्ययिता की जाती है और यह देखकर की जाती है कि किसी काम के ऊपर कुप्रभाव न पड़े। प्रयास तो उसका होता ही रहता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि विदेशी सहायता में अमेरिका के अलावा भी क्या किसी दूसरे देश की सहायता भी शामिल है, क्या उसके भी बन्द होने का अनुमान है और वह विदेशी सहायता कुल सहायता का कितने प्रतिशत है अथवा हमारी पूरी योजना का कितना प्रतिशत है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

इसमें इंगित केवल अमेरिकी सहायता के बारे में था। जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था उस समय राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जो स्थिति थी, उस सन्दर्भ में पूछा गया था। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कुछ थोड़ी-सी बाधायें आयीं थीं, उनको अधिकांशतः दूर कर लिया

गया है। हमें ९५ लाख रुपया का फ्री फारेन एक्सचेंज चाहिये था जिसमें से ४३ लाख रुपया का हमें प्राप्त हो गया है, शेष के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

जितना रुपया विदेशी सहायता बन्द होने से कम हो गया है उसको जुटाने के लिए सरकार ने क्या सोचा है? क्या उसके लिए सरकार नये कर लगायेगी अथवा उसको मितव्ययिता से पूरा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

हर प्रकार से उस पैसे को जुटाना पड़ेगा। कर लगाने की भी अगर आवश्यकता होगी तो कर भी लगाये जायेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार को क्या राज्य सरकार से यह भी शिकायत रही है कि उसके द्वारा जो रुपया राज्य सरकार को दिया जाता है, उसका वह पूरा सदुपयोग नहीं करती है? जो पैसा दिया जाता है वह पूरा खर्च नहीं हो पाता, तो फिर क्या सरकार ने उस रुपए को समय से पूरा खर्च करने और उसका सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह बात सही है कि जो पैसा दिया जाता है उसका अच्छे प्रकार से उपयोग होना चाहिए। और वह पूरे तौर पर खर्च होना चाहिये। हमारा प्रयास यही है। जैसा कि आपको बताया गया जहां-जहां खर्चा कम हुआ है वहां भी इस वर्ष पूरा खर्चा हो जाय, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। उस ओर तेजी से काम किया जा रहा है। एक तो केन्द्र से पैसा मिलना ही मुश्किल होता है और जब मिल जाय और उसका अगर उचित रूप से खर्चा न किया जाय, या उसको पूरा खर्च न किया जाय, उसमें प्रदेश की हानि होती है। सरकार इस ओर ध्यान दे रही है कि सारा रुपया खर्च हो जाय और अच्छे ढंग से खर्च किया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय—

यह देखते हुए कि कुछ अन्य राज्यों ने जिन्होंने ओवरड्राफ्ट लेकर अपनी योजनायें पूरी की हैं उन्हें केन्द्रीय सरकार अपनी योजनायें पूरी करने के लिए स्पेशल ग्रान्ट देने जा रही है तो क्या ऐसी स्थिति में यहां जो योजनाओं की धनराशि को कम किया गया है उसको देखते हुए क्या सरकार ओवरड्राफ्ट कर के अपनी योजनाओं को पूरा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह जो वित्तीय अनुशासन है उसका पालन हमेशा उत्तर प्रदेश की सरकार करती रही है यह माननीय सदस्य को मालूम है और वह तो सरकार में भी रह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश शासन ने कभी ओवरड्राफ्ट नहीं किया और अब भी हमारी चेष्टा है कि वह न करना पड़े लेकिन अपनी योजनाओं के चलाने के लिए, नये कार्य-क्रम को एक गति देने के लिये यदि आवश्यकता होगी तो हम ओवरड्राफ्ट करने से भी चूकेंगे नहीं।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मन्त्री जी ने कहा कि १७५ करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था की जायगी लेकिन अभी आप केवल ४५ करोड़ रुपये की ही व्यवस्था कर सके हैं तो शेष १२५ करोड़ की व्यवस्था कितने दिन में यह सरकार कर लेगी ताकि पशुपालन, उद्योग, शिक्षा, सहकारिता आदि के क्षेत्र में सभी कार्यों को पूरा किया जा सके?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बात यह है कि जो गैप रह गया है वह बहुत बड़ा है, जिस समय चौथी योजना बनी यह गैप १७५ करोड़ रुपये का था और उस समय योजना में हमारा हिस्सा ४३९ करोड़ रुपये का था, उसमें १७५ करोड़ रुपये का गैप रह गया था, बीच में हमने कुछ कर छोड़े भी हैं लेकिन वह काफी लम्बी खाई है उसको हम पूरा नहीं करते तो उसी हिसाब से जो केन्द्रीय सहायता मिलती है उसमें हमारी कमी हो जायगी। इसलिये सरकार पूरा प्रयास करेगी कि इस गैप को अगले २ साल में भर लें।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

यह जो आख्या का जिक्र किया गया तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि आयोग की प्रतिक्रिया उस आख्या पर क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, उन्हें बताया गया कि उनकी जो आख्या है वह उस समय की है जब यहां काम नहीं हो सका था। अब काम होने लगा है तो उनकी प्रतिक्रिया अच्छी होने लगी है।

प्रदेश के अराजपत्रित कमचारियों का हड़ताल सम्बन्धी निर्णय

**२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को विदित है कि राज्य सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों, अध्यापकों, स्वायत्त शासन कर्मचारियों तथा गैर-शिक्षक कर्मचारियों ने उनकी मांगें स्वीकार न किये जाने की स्थिति में २ अप्रैल, १९७२ से अनिश्चित काल की हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है और उसकी सूचना सरकार को दी है? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या करने जा रही है?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

सरकार को ऐसी कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न नहीं उठते।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १४–१५ मार्च को जब राज्य कर्मचारियों की २ दिन की हड़ताल हुई थी उस समय उन्होंने इस बात की सूचना दी थी कि २ तारीख से वह अनिश्चित काल के लिये हड़ताल पर जायेंगे तो उन २ दिनों में जो उनसे बातचीत हुई थी उसमें क्या फैसला कर्मचारियों से हुआ था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

१४–१५ को तो बातचीत करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

यह २ अप्रैल का प्रश्न है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह प्रश्न १७ को दिया गया, १५ को हड़ताल थी, उन्होंने २ तारीख से हड़ताल करने की घोषणा की थी, उसके बाद उनसे कुछ बातचीत हुई तो वह बातचीत क्या हुई और उसमें क्या फैसला हुआ?

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल यह था कि क्या सरकार को विदित है कि राज्य सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों, अध्यापकों, स्वायत्त शासन कर्मचारियों तथा गैर-शिक्षक कर्मचारियों ने उनकी मांगें स्वीकार न किये जाने की स्थिति में तो यह तो आपने स्थिति बतायी। आप कहते हैं कि २ अप्रैल, १९७२ से अनिश्चित काल की हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है। ये कहते हैं कि ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह प्रश्न १७ मार्च, १९७२ का है और उन्होंने १५ मार्च को हड़ताल की घोषणा की थी।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर दे दिया गया है। क्या बातचीत से कोई मसला हल हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

हड़ताल करने की कोई सूचना नहीं मिली। बातचीत तो उनसे बहुत हुई। अगर आपको २ अप्रैल की कोई सूचना थी तो २ अप्रैल को कोई हड़ताल हुई नहीं।

लघु उद्योग निगम, कार्यालय कानपुर के कर्मचारी

**३—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार को ज्ञात है कि लघु उद्योग निगम, कार्यालय, कानपुर में दिनांक १ अप्रैल, १९७२ से तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं? सरकार इस विषय पर क्या कर रही है?

श्रम उप मन्त्री (श्री सोहनलाल धुसिया)—

जी नहीं, दिनांक १ अप्रैल, १९७२ से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हड़ताल पर नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कार्यालय के तृतीय श्रेणी के २ कर्मचारियों को मार्च के अन्तिम सप्ताह में निलम्बित कर दिया गया था और इसीलिये वे कर्मचारी लगातार कई दिनों तक प्रदर्शन करते रहे। तो उन कर्मचारियों की क्या मांगें थीं?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न उत्तरित है। अब हम आगे चलते हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न १७ मार्च, १९७२ को किया गया और इसमें कहा गया कि क्या उद्योग निगम कार्यालय के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी १ अप्रैल, से हड़ताल पर हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि कैसे आपने इस उत्तर को स्वीकार कर लिया ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह १७ मार्च का प्रश्न है। इसे कैसे स्वीकार न करते ।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि १७ मार्च, १९७२ को यह प्रश्न किया गया और इसमें पूछा गया कि क्या अमुक श्रेणी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो इसे स्वीकार कैसे किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

१ अप्रैल, १९७२ को तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसका अर्थ यह है कि क्या हड़ताल का नोटिस दिया गया है ? जो उत्तर दिया गया वह ठीक है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ग्राम महमूदपुर माफी, जिला मुरादाबाद में चेचक का प्रकोप

*१—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को पता है कि पिछले १५ दिनों से मुरादाबाद जिले के थाना मैनाठेर के ग्राम महमूदपुर माफी तथा उसके पड़ोस २० ग्रामों में चेचक का भयंकर प्रकोप होने से आज तक १५ व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और प्रत्येक परिवार में यह प्रकोप होने से ग्रामीण अंचलों में भयानक परेशानी है तथा आज तक स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी और कर्मचारी ने रोग-पीड़ित जनता को कोई सहायता नहीं दी ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब कदम उठाने की कृपा करेगी ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

ग्राम महमूदपुर माफी, विकास क्षेत्र कुंडरकी, जिला मुरादाबाद में चेचक की बीमारी फैलने की प्रथम सूचना जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ४ मार्च, १९७२ को हेल्थ सुपरवाइजर द्वारा प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया और बीमारी रोकने के समस्त आवश्यक कदम उठाये गये। उक्त गांव तथा निकटवर्ती सात गांवों में ४ मार्च से २० मार्च की अवधि में कुल २७ व्यक्ति रोग ग्रस्त हुए और १० की मृत्यु हुई। बीमारी की रोकथाम के लिये महमूदपुर माफी तथा निकट वर्ती गांवों में ३,००० से अधिक टीके लगाये गये हैं और यह क्रम अब भी जारी है। अन्य आवश्यक कदम भी उठाये जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी किस तारीख को उस क्षेत्र में गये जहां पर चेचक का प्रकोप था ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो ब्योरे का पूंछ रहे हैं आप प्रश्न करें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जिलाधिकारी किस तारीख को पहुंचे ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

जिला स्वास्थ्याधिकारी ६ तारीख को पहुंचे और पांच तारीख को क्षेत्रीय सैनिटरी इन्स्पेक्टर, हेल्थ इन्सपेक्टर, बेसिक हेल्थ वर्कर ये सब पहुंच गये थे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

दस मृत्युयें किस तारीख तक हो चुकी थीं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

वे 18 मार्च तक हुई हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि चेचक को रोकने के लिये जो टीका लगाया जा रहा है और जिसके फलस्वरूप दस मृत्युयें हो गई हैं, टीका जो लगाया जा रहा है क्या वह कारआमद नहीं हो रहा है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

ऐसी कोई शिकायत नहीं है। टीका कारआमद होता है।

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या मन्त्री जी की जानकारी में यह है कि प्रतिवर्ष हजारों व्यक्ति इस बीमारी से मर जाते हैं। तो क्या वह टीका लगाने की व्यवस्था को कम्पलसरी बनाने की कोशिश करेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हजारों व्यक्तियों के मरने का कोई प्रश्न नहीं है। चेचक बहुत घटती चली जा रही है। कभी-कभी इसका चक्र होता है चौथे साल में ज्यादा बढ़ जाती है हजारों के मरने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पिछले एक वर्ष से नहीं गये थे और प्रश्न करने के बाद ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गये और चेचक के टीके वगैरह लगाये हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बराबर घूमते रहते हैं। हमारे जो बेसिक हेल्थ वर्कर हैं वह हर महीने हर गांव में जरूर जाते हैं। सुपरवाइजर ने रिपोर्ट की है।

श्री महीलाल—

मान्यवर, यह तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है। मेरी अपनी निजी जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग का एक भी कर्मचारी पिछले एक वर्ष से क्षेत्र में नहीं गया है ? यह कैसे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह प्रश्न बाद में हुआ है और हमारे कर्मचारी चार मार्च को हां रिपोर्ट कर रहे हैं कि चेचक का प्रकोप हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय महीलाल जी आप लिखकर दे दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, चेचक का प्रकोप कब शुरू हुआ उस गांव में और उसके कितने दिनों बाद बेसिक हेल्थ वर्कर न जिला अधिकारी को सूचना दी ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

चेचक प्रारम्भ हुई थी २७ जनवरी, १९७२ को।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, चार मार्च तक सूचना न देने का क्या कारण है और समय से सूचना न देने के लिए क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जी हां, बेसिक हेल्थ वर्कर को महीने में एक बार उस गांव में जाना चाहिये था। वह नहीं पहुंच पाया फरवरी के मास में इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उनको यदि समय से टीका लग जाता तो उनकी मृत्यु नहीं होती ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, उनका समय से उपचार प्रारम्भ कर दिया गया था। चेचक से कुछ तो मृत्यु होती ही हैं।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि चूंकि यह छुआछूत की बीमारी है जो बड़ी जल्दी फैलती है, अतः और गांवों में यह बीमारी न फैले, इससे पहले हर बच्चे को चेचक का टीका लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, प्रदेश में लाखों की तादाद में टीके लगाये जा रहे हैं और चेचक का रोग प्रदेश से बहुत पीछे हट रहा है और बहुत कम हो गया है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। माननीय मन्त्री जी ने बताया कि हेल्थ वर्कर के खिलाफ कार्यवाही की गई है, तो माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कार्यवाही उसके खिलाफ की गई है और जसा उन्होने कहा कि उसको हर महीने गांव में जाना चाहिये, तो क्या उसके लिये कोई रिपोर्ट उच्च अधिकारी के लिए प्रेषित करना आवश्यक है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

बेसिक हेल्थ वर्कर के ऊपर हेल्थ सुपरवाइजर रहता है वह चेक करता रहता है और जहां तक कार्यवाही का सम्बन्ध है उससे जवाब-तलब किया गया है और जवाब आने के बाद ही कार्यवाही की जायेगी।

*२—श्री रामदेव दुबे—

(६ठें मंगलवार के लिए स्थगित।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

मुरादाबाद जिले के विकास खण्डों के लिये अनुदान का आवंटन

*१—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद के किस-किस विकास खंड की सिंचाई कार्यों के अनुदानों के लिये वर्ष १९७०-७१ में, १९७१-७२ में कितना-कितना धन शासन द्वारा आवंटित किया गया और प्रत्येक विकास खण्ड में कितना-कितना धन उपरोक्त कार्य हेतु वितरित किया गया ? शेष वितरण न होने का क्या कारण है ?

सामुदायिक विकास राज्य मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

जिला मुरादाबाद में वर्ष १९७०-७१ व १९७१-७२ में जो धन शासन द्वारा अनुदान के लिये आवंटित किया गया था और वितरित किया गया उसका ब्योरा निम्न प्रकार है। केवल २,५४८ रु० की धनराशि वर्ष १९७१-७२ में नहीं बांटी जा सकी क्योंकि दो मामलों में निर्णय नहीं लिया जा सका और एक मामला अस्वीकृत कर दिया गया है :—

विकास क्षेत्र का नाम	वर्ष १९७०-७१			वर्ष १९७१-७२		
	आवंटित धन	व्यय	शेष	आवंटित धन	व्यय	शेष
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१—भगतपुर टांडा	३१,७७५	३१७७५	..	२६,६००	२६,६००	..
२—सम्भल	५,०६०	५,०६०	..	८,३७५	८,३७५	..
३—बनिया खेड़ा	६१,७८०	६१,७८०	..	१२,१५०	१२,१५०	..
४—धनौरा	७,१००	७,१००	..	४,६००	४,६००	..
५—मूडा पांडे	५४,५५१	५४,५५१	.	१,५५०	१,५५०	..
६—बहजोई	१६,५८६	१६,५८६	..	१४,५६५	१४,५६५	.
७—हसनपुर	७,४००	७,४००	..	१०,३६०	१०,३६०	..
८—छजलेट	४,३७५०	४३,७५०	..	७,४५०	७,४५०	..
९—असमोली	११,५५५	११,५५५	..	१,५४६	१,५४६	..
१०—ठाकुरद्वारा	१२,३४०	१२,३४०	..	११,०३५	११,०३५	..
११—अमरोहो	१,४६,०४८	१,४६,०४८	..	५५,७६१	५५,७६१	..
१२—गंगेश्वरी	..	..	..	११,१००	११,१००	..
योग ..	४३०६४५	४३०६४५	..	१६८४५२	१६८४५२	..

श्री नौनिहाल सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह मामले कौन-कौन से विकास खण्ड के हैं और जो निर्णय नहीं लिया जा सका, उसके क्या कारण हैं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

एक व्यक्ति जिसको रिजेक्ट किया गया उसका नाम श्री गुलफरम सिंह है। कारण यह था कि उसकी रसीद प्रमाणित नहीं की गई थी। जिन दो व्यक्ति की जांच अधूरी रह गई थी उनके नाम हैं सर्वश्री मिश्री लाल और सद्दीक उद्दीन मान्यवर, धन बहुत थोड़ा-सा है और सारा का सारा वितरित कर दिया गया है।

श्री नौनिहाल सिंह—

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता था कि यह बाढ़-पीड़ितों का मामला है तो जिनके मामले अस्वीकृत हो गये हैं और जिन दो पर निर्णय नहीं लिया जा चुका है, तो क्या उनको मिल जायेगा? और मैंने पूछा था कि कौन-कौन से विकास खन्ड के हैं, यह नहीं बताया गया?

श्री उपाध्यक्ष—

आप चिट्ठी लिखिये। आप ब्योरे में जा रहे हैं।

बदायूं जिले में क्रैश प्रोग्राम

*२—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बदायूं में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनायें वित्तीय वर्ष १९७१-७२ में पूरी करने के लिये रखी गई थी और उसमें से किस-किस पर काम हुआ है और आज तक इसमें कितना रुपया व्यय हुआ है? क्या इस प्रोग्राम में अब कोई परिवर्तन कर दिया गया है? यदि हां, तो वह प्रोग्राम क्या है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जिला बदायूं में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष १९७१-७४ के लिए ८ सड़क की परियोजनायें, ३ मत्स्य पालन की परियोजनायें और एक बनीकरण की परियोजना प्रस्तावित थी। दिनांक २ अक्तूबर, १९७१ में इस प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्य शुरू हुआ और वर्ष १९७१-७२ में उपरोक्त में से ५ सड़कों पर काम हुआ है किये गये कार्य पर ६,३०,४४० रु० व्यय हुआ है। इस प्रोग्राम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी सड़कें और योजनायें इस क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत ली गई हैं और हर एक पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ है?

श्री उपाध्यक्ष—

अलग से तो ब्योरे की चीज है।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

इस योजना में दातागंज बेला डांडी सड़क १० किलो मीटर है जिस पर ६ किलोमीटर पर मिट्टी का काम हुआ है। दूसरा अलापुर ककराला सड़क ६ किलो मीटर की और सारी पर मिट्टी काम हो चुका है। तीसरी सेंजनी हजरतपुर सड़क ११ किलो मीटर की मिट्टी का काम ६ किलो मीटर पर हुआ है। चौथी है बदायूं बिलसी सड़क जो २५ किलो मीटर है और उस पर मिट्टी का काम १० किलो मीटर पर हुआ है। पांचवीं है कादर चौक गंगापुर सड़क जिस पर मिट्टी का काम हो चुका है। ये पांच सड़कें हैं जो प्रारम्भ में ली गई हैं और इसके अतिरिक्त ३ सड़कें और ली गई हैं जिनके नाम धनारी मिरावटी सड़क, वजीरगंज, उसैता सड़क तथा सैदपुर करेंगी सड़क। इन सड़कों के अतिरिक्त मिरावटी व मुकुरपुर बनीकरण योजना,

शेरन्दाजपुर मत्स्य पालन परियोजना, सिंगधरा मत्स्य पालन परियोजना तथा मिसनहारी मत्स्य पालन परियोजना। इनको वर्ष १९७१–१९७४ के लिये परियोजनाओं में रखा गया है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)––

वह छठी सड़क कौन सी है जो स्वीकार हुई है? क्या मत्स्य योजनायें प्रारम्भ हो गई है। और नहीं तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित––

छठीं सड़क धनारी मिरावटी सड़क है। मत्स्य पालन योजना अभी आरम्भ नहीं हुई है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद––

इन मत्स्य केन्द्रों पर काम क्यों नहीं शुरू हुआ, उसमें क्या तकलीफ रही है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित––

मान्यवर, जो जिला स्तर पर परामर्शदात्री समिति है उसके निश्चय के अनुसार प्रथम वर्ष में ५ सड़कें ली गई थीं और अगले वर्ष ३ सड़कों पर काम होगा।

श्री सूबेदार सिंह––

क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जिन सड़कों को लिया गया था और जहां से ये सड़कें निकाली गई तो क्या सरकार ने उस भूमि को अर्जित कर लिया है और जिन काश्तकारों की भूमि ली गई है क्या उनको मुआवजा देने की बात कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष––

यह नया प्रश्न है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य––

क्या उन्हीं सड़कों को नहीं लिया गया है जिनकी सिफारिश परामर्शदात्री समिति ने नहीं की थी। क्या मत्स्य योजना के बारे में भी उसका यही निश्चय था?

श्री गोपीनाथ दीक्षित––

जल प्लावित क्षेत्र होने के कारण परामर्शदात्री समिति ने इसका निश्चय नहीं किया था।

श्री मोहम्मद असरार अहमद––

मैं अपनी जानकारी के आधार पर यह कहता हूं कि मत्स्य योजना केन्द्र इस साल बनाये जाने थे। वहां पर पानी कभी नहीं रहा। यह मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है और जानबूझ कर इसको नहीं बनाया गया है।

श्री गोपीनाथ दीक्षित––

यह बात नहीं है। जिस क्रम से योजना आरम्भ की गई थी उसी के हिसाब से प्रायरिटी के आधार पर निर्माण-कार्य किया गया है। जिस कार्य को माननीय सदस्य ने कहा है उसका भी प्रायरिटी के हिसाब से अगले वर्ष नम्बर आता है और वह अगले वर्ष बन जायगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मुझको अधिकारियों का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने ऐसा लिखा है। यदि मन्त्री जी चाहेंगे तो उनको पत्र की प्रति भेज दूंगा। क्या मन्त्री इस बात का आश्वासन देंगे कि जिन अधिकारियों ने इसका उल्लंघन किया है उनके खिलाफ कोई कायवाही की जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसको आप लिख कर दे दीजिये।

अस्पतालों के लिये स्वीकृत धनराशि

*३—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न वर्षों में जो धनराशि अस्पतालों के लिए प्रयोग में दी गई है जो इस प्रकार है—वर्ष १९६८-६९ में स्वीकृति धनराशि १२,००० रु० बलरामपुर अस्पताल के लिये था जिसका व्यय ३६,९५३.१६ पै० इतना अधिक दिखाया गया है और इसी प्रकार से १९६८-६९ में सिविल अस्पताल की स्वीकृति धनराशि कुछ नहीं है और व्यय ४०,०००.०० रु० बताया गया है तथा इसी प्रकार सन् १९६९-७० में बलरामपुर अस्पताल में स्वीकृत धनराशि २२,०००.०० व्यय २,२१,९९६.४६ तथा सिविल डिस्पेंसरी अस्पताल में स्वीकृत धनराशि १०,०००.०० उसमें व्यय ६५,०००.०० दिखाया गया है यह उपरोक्त धनराशि किस आधार पर स्वीकृत हुई है और इतना अधिक धन बगैर स्वीकृति के क्यों खर्च किया गया और इसकी स्वीकृति बाद में हुई या नहीं ? यदि नहीं, तो किस प्रकार ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

प्रश्नगत आंकड़े बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ तथा सिविल अस्पताल, लखनऊ में विधायकों के लिये आवंटित दवाइयों की राशि से सम्बन्धित हैं। दवाइयों की राशि का आबंटन स्वास्थ्य सेवा निदेशक अस्पतालों की मांग तथा उनकी आवश्यकतानुसार स्वयं करते हैं। जहां तक उक्त अस्पतालों में आबंटित धनराशि से अधिक व्यय का प्रश्न है, स्थिति यह है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशक बजट में सामान्य दवाइयों के लिये प्राविधान में से तथा अन्य दवाइयों के मदों से, जिसके पुनर्नियोजन के लिये वे स्वयं सक्षम हैं, अधिक व्यय को पुनर्नियोजित करके विनियमित कर लेते हैं और इसके लिये शासकीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

इसका जवाब ही मुझे आज तक नहीं मिला है, तो मैं चाहूंगा कि इसको आप कल के लिए स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सवाल विधान सभा के सदस्यों से सम्बन्धित है। जो उत्तर दिया गया है उस पर अधिक सवाल करन की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जितनी धनराशि स्वीकृत थी और उस जमाने में जब विधायक भी नहीं थे, व्यय हुई और जितनी सीमा थी उससे ज्यादा व्यय हुई। मुझे जवाब नहीं मिला है इसलिए मेरे पास फिगर्स नहीं है, इसलिय कल के लिय आप रख दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करें, यह सभी माननीय सदस्यों से सवाल सम्बन्धित है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो धनराशि रखी जाती है और जितनी प्रति वर्ष व्यय हो रही है, वह कई गुनी व्यय हो रही है, तो कम धनराशि रक्खी जाने का क्या कारण है?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

सरकार की ओर से कोशिश होती है कि कम खर्च हो लेकिन विधायक लोग ज्यादा दवा ले लेते हैं तो देनी पड़ती है।

पशुपालन विभाग के राजपत्रित अधिकारीगण

*४—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि पशुपालन विभाग में ऐसे कितने राजपत्रित अधिकारीगण (पद व नाम सहित), दिनांक ३१ जनवरी, १९७२ को थे जिनको अपने पद पर कार्य करते हुए एक वर्ष से अधिक हो गया था और नियमानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा उनका अब तक अनुमोदन नहीं कराया गया था?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

वांछित अधिकारियों की सूची संलग्न है। इनमें से १२० अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति के अनुमोदनार्थ आवश्यक प्रस्ताव आयोग को जा चुके हैं और उनकी स्वीकृति अपेक्षित है। शेष ९ अधिकारियों के पद आयोग द्वारा विज्ञापित किये जा चुके हैं और शीघ्र ही ये नियमित रूप से भर दिये जायेंगे।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५५४ पर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, ४ प्रश्न पूछूंगा, इसके लिये मुझे इजाजत दी जाय। मान्यवर, पहला प्रश्न यह है कि १२९ अधिकारियों की जो लिस्ट है उनमें प्रथम १० जो उप निदेशक हैं वह कब से इस पद पर कार्य कर रहे हैं और उनकी स्वीकृति लोक सेवा आयोग से मंगाने के लिए कब लिखा गया है?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

प्रश्न दोहरा दीजिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

१२९ अधिकारियों की सूची में १० उप निदेशक हैं, वह कब से इन पदों पर कार्य कर रहे हैं और उनकी लोक सेवा आयोग से स्वीकृति के लिए कब लिखा गया है?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

सन् १९६२-६३ में लोक सेवा आयोग से श्रेणी २ के लिये चयन नियमित रूप से कराया गया था और उस समय जितने स्थान थे उनसे अधिक का चयन कराया गया था ताकि जब जरूरत पड़े वह संख्या बढ़ा दी जाय। इसलिये जो अधिक हुए हैं वह उस लिस्ट से भरे गये हैं। अब ८ महीन से संस्तुति भेज दी गई है कि वहां से अप्रूव होकर नाम आ जायें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैंने यह पूछा था कि ये अधिकारी कब से कार्य कर रहे हैं। तो मैं यह समझूं कि ये १० अधिकारी पिछले १० वर्षों से कार्य कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न बड़ा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अगर इनके पास सूचना नहीं है तो कह सकते हैं कि सूचना की आवश्यकता है। इन्होंने बताया कि पिछले दस वर्षों से कार्य कर रहे हैं यानी १९६२-६३ से कार्य कर रहे हैं। अगर पिछले १० वर्ष से कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्वीकृति के लिये कब इनके नाम भेजे गये?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

बहुत स्पष्ट बात है। उसी अवधि के भीतर इनके नामों की सूची भेजी गई। हम ने स्पष्ट कर दिया कि ८ महीने के अन्दर नाम भेजे जाते हैं। हमने आरम्भ में बताया कि चयन समिति ने लोगों का चयन किया था। इसलिये इसमें अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप उत्तर से सन्तुष्ट हैं? मेरे ख्याल से तो आप भी सन्तुष्ट नहीं हैं। उत्तर मुझे अभी नहीं मिला। खैर अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं। क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ९ अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं वे विज्ञप्ति जारी कराने के पूर्व की गईं या बाद में?

श्री उपाध्यक्ष—

पहला तो ब्योरे का है। दो, इसको मन्त्री जी बता दें।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

वह तो पूर्व नियुक्त किये गये थे और विज्ञप्ति बाद में की गई अगर वह अप्रूव होंगे तो लिये जायेंगे नहीं तो नहीं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उत्तर तो मिला नहीं। क्या उपाध्यक्ष महोदय आप सन्तुष्ट हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

आप भी सन्तुष्ट हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ९ व्यक्तियों के नोटीफिकेशन कराये गये हैं, उनकी नियुक्तियां डाइरेक्ट की गयी थीं या उनको प्रमोशन से लिया गया था।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

कुछ प्रोमोशन से और कुछ डाइरेक्ट की गयीं।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, क्या प्रश्न पूछने की इस परिपाटी को आप अप्रूव करते हैं। चार-चार प्रश्न पूंछें जा रहे हैं, एक ही साथ एक ही माननीय सदस्य द्वारा और सारा सदन बैठा हुआ है। अच्छा होता कि वे मिनिस्टर के कक्ष में चले जाते। लेकिन इस बात को आपने रोका नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन उस समय और कोई दूसरा खड़ा नहीं हुआ।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर आपको सोचना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना आसन ग्रहण करें। तीन सवाल पूछने का अधिकार है।

श्री बंशीधर पांडेय—

पूछने का अधिकार है लेकिन बारी-बारी से है।

श्री उपाध्यक्ष—

उस वक्त आप भी नहीं खड़े थे और कोई भी नहीं खड़ा था।

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप कृपया बैठ जायं। आप अव्यवस्था का काम कर रहे हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, आप मेरी बात तो...

श्री उपाध्यक्ष—

आप अभद्र व्यवहार कर रहे हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने तो अभी एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन आपने मेरे विरुद्ध कितने शब्द कह डाले और मेरी बात नहीं सुनी। मैं इस बात के लिये घोर आपत्ति प्रकट करता हूं और सदन का त्याग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अगर बाहर जाते हैं तो मैं इसे कार्यवाही में रखता हूं।

(व्यवधान के बीच)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको इंगित करता हूं।

(मुख्य मन्त्री कुछ कहने के लिए खड़े हुए)

(विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्य खड़े होकर व्यवधान करने लगे)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अगर कोई सदन त्याग करता है तो इस तरह से आप धमका नहीं सकते। (शोर)

(अत्यन्त शोर के बीच)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके आसन ग्रहण करें। अगर आप आसन नहीं ग्रहण करेंगे तो मुझे मजबूर होकर सदन को स्थगित करना पड़ेगा।

(सदन में अत्यन्त शोर होने पर)

आप लोग आसन ग्रहण नहीं कर रहे हैं इसलिये मैं सदन को १० मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय ११ बजकर ४६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ११ बजकर ५६ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(श्री उपाध्यक्ष के पीठासीन होते ही)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

पहले आप क्षमा प्रार्थी हों, तब आगे कार्यवाही इस सदन की चलेगी। पहले उपाध्यक्ष क्षमा मांगेंगे, फिर हम लोग बैठेंगे और आगे कार्यवाही होगी।

("उपाध्यक्ष वापस जाओ" की आवाजें)

(मुख्य मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)—

पंडित जी मैं आपको या किसी को भी इन उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सुनना नहीं पसन्द करूंगा। पहले यह कुर्सी छोड़ें।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मुझे बुलाया है, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

चेयर की ओर से यहां पर असंसदीय और अमर्यादित बातें हुई हैं, जो हमारी धैर्य की सीमा लांघ गई हैं। पहले उनको देखा जाए। फिर यह सदन चले। आप इनके बजाए कोई अधिष्ठाता बिठाल दीजिये, तब कार्यवाही हो और उसमें इनके ऐक्शन पर विचार हो। पंडित जी मैं तैयार नहीं हूं, इनकी अध्यक्षता में इस तरह की बात सुनने के लिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप किसी अन्य सदस्य को पीठासीन कर दें, तब हम आपकी बात सुन लेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबकी राय हो तो इस सदन को एक घंटे के लिये स्थगित कर दिया जाए। हम लोग आपस में बातचीत कर लें, आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष जी, मेरी प्रार्थना है कि एक घंटा के लिये आप सदन स्थगित कर दें। तो यह अच्छा होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस सम्बन्ध में सारी बातें इस सदन में, सबके सामने ही की जाएं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस सदन की बैठक एक घंटे के लिये स्थगित कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १२ बजे सदन १ घंटे के लिये स्थगित हुआ। १ बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही २ बजकर १० मिनट तक स्थगित कर दी है। २ बजकर १० मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं उस पूरे विवाद में नहीं जाना चाहता जो आज हुआ। जिस समय माननीय बंशीधर पांडेय जी ने सदन त्याग की बात कही उस समय उपाध्यक्ष महोदय ने श्री बंशीधर पांडेय को इंगित किया और नेता सदन से यह आग्रह किया कि वह उनको इंगित कर रहे हैं और वह प्रस्ताव लावें। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि उनको इंगित किये जाने के बाद उस प्रस्ताव के पारित न होने पर क्या माननीय उपाध्यक्ष पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है। जो घटना घटी उससे हम सभी को दुख है। इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि उपाध्यक्ष महोदय ने अपनी सीमाओं के बाहर जाकर अतिक्रमण करके जो कुछ किया वह सारे सदन के लिये खेद की बात है, मैं उससे दुखी हूं। हमारे नेताओं ने जो फैसला किया होगा वह हमको शिरोधार्य होगा और आपकी आज्ञा का भी पालन करेंगे लेकिन यह मैं जरूर जानना चाहूंगा क्या किसी सदस्य को वहिर्गमन करने का भी अधिकार नहीं है और इंगित करने पर प्रस्ताव अगर पारित न हो तो क्या यह उनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है?

(मुख्य मन्त्री का नाम पुकारने पर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या इस बात पर विवाद खुल गया?

श्री अध्यक्ष—

विवाद नहीं होगा। उस समय चूंकि मुख्य मन्त्री खड़े हुए थे और सब लोग चिल्ला रहे थे, इसलिये उनको अवसर दे रहा हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

पिछला चैप्टर न खोला जाय। जो बात तय हुई है उसे मुख्य मन्त्री जी बतला दें।

श्री अध्यक्ष—

आज का काम हम पूरा करेंगे और जो कुछ कहना है वह कल कहा जायगा यह तय हुआ है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं निवेदन करूं कि नित्यानन्द जी से और अन्य माननीय सदस्यों से जो बातें हो गयी वह खेदजनक थी जिसके फलस्वरूप कुछ यहां तनाव बढ़ गया और दो घंटे के लिये लगभग सदन भी स्थगित हो गया। हम लोग आपसे मिले थे, विरोधी दल के माननीय नेतागण भी आप से मिले थे और यह हुआ कि इस समय आज इस दुखद विषय को यहां न उठाया जाय और थोड़ी शांति आ जाने दें और आपने यह निश्चय किया कि आज सदन का काम चलता रहेगा और फिर कोई समय निकाल कर सायंकाल या कल प्रातः काल बातचीत की जाय और फिर जैसा तय होगा उस सम्बन्ध में अपने विचार आप व्यक्त करेंगे और आवश्यकता हुई तो और लोग भी अपने विचार व्यक्त करें। इसलिये मेरी प्रार्थना है नित्यानन्द जी से कि इस समय वह मसला न उठाया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह मसला नहीं उठा रहा हूं। एक संवैधानिक प्रश्न उठा रहा हूं कि अगर उपाध्यक्ष किसी को इंगित कर दें और वह प्रस्ताव सदन में पारित न हो तो क्या वह उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नहीं होगा?

श्री अध्यक्ष—

यह उठाना ही है। उसे आप दूसरे तरह से उठाना चाहते हैं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आपने कहा कि इस सम्बन्ध में बात करके स्वयं तय करेंगे। लिहाजा इस समय यह मसला न उठाया जाय। कार्यवाही जो एजेंडे पर है वह चले।

श्री अध्यक्ष—

आज का काम चलना चाहिये।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

जब तक कोई फैसला न हो तब तक आप ही सारी कार्यवाही चलायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

आज मैं बैठूंगा या कोई अधिष्ठाता बैठेंगे।

जिला परिषद् गोरखपुर के कर्मचारियों के चन्दे का पोस्ट आफिस में खाता

*५—श्री अनन्त राम जायसवाल तथा चौ० रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि विगत भारत-चीन युद्ध के दौरान जिला परिषद् गोरखपुर के कर्मचारी के चन्दे से एकत्रित किये गये धन को पोस्ट आफिस में एक खाता खोल कर जमा किया गया था? यदि हां, तो खाता कब खोला गया, कब तक कायम रहा, उसके चालू रहने तक उसमें कुल कितना धन जमा किया गया और किस-किस मद के लिये उसमें से कितना-कितना धन कब-कब निकाला गया?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जी हां।

१७ मई, १९६३ को पोस्ट आफिस सेविंग बैंक में खाता खोला गया। उसमें ३०-३-६४ तक कुल ब्याज सहित २१६२.५५ रु० जमा हो गया था। जो धन निकाला गया उसका ब्योरा इस प्रकार है।

(१) ११-९-६५ को ११,००० रु० निकाल कर मुख्य मन्त्री कोष में जमा किया गया

(२) ३०-१०-६५ को ५,००० रु० मुख्य मन्त्री प्रतिरक्षा सेना कल्याण समिति में जमा किया गया।

(३) १७-८-६५ को ४,५०० रु० जिला परिषद् कर्मचारी सहकारी समिति में जमा किया गया।

(४) ५०० रु० एक लिपिक को सहायता देने के सम्बन्ध में भुगतान किया गया।

(५) ९-१-६७ को ३,००० रु० हिन्दी दैनिक गोरखपुर को ८% ब्याज पर दिया गया।

राजकीय जिला संयुक्त चिकित्सालय, देवरिया के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*६—श्री भगेलू सिंह (जिला गोण्डा)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय जिला संयुक्त चिकित्सालय, देवरिया से लैब एवं नर्सिंग स्टाफ में काम करने वाले कौन-कौन कर्मचारी कितने वर्षों से सेवारत हैं तथा उनमें से किन-किन कर्मचारियों के खिलाफ कौन-कौन सी गम्भीर शिकायतें राज्य सरकार को माह जून १९७१ से माह सितम्बर, १९७१ तक प्राप्त हुई हैं? और आज तक कौन-सी कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

संयुक्त चिकित्सालय देवरिया में काम करने वाले लेबोरेटरी तथा नर्सिंग स्टाफ का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की वहां पर तैनाती की तिथि भी उल्लिखित है।

जून, १९७१ से सितम्बर, १९७१ तक राज्य सरकार को श्री हंसराज संयुक्त मन्त्री, जिला समाजवादी युवजन सभा, देवरिया के दिनांक २९ जून, १३ अगस्त, ६ सितम्बर तथा ६ सितम्बर, १९७१ के शिकायती पत्र प्राप्त हुए। इन पत्रों में, अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त, मैट्रन श्रीमती करुणा दास, सिस्टर श्रीमती डी० फ्रीमन, स्टाफ नर्स कु० पी० मघई, कु० एस मैथ्यू, श्रीमती एम० अगस्टस, श्रीमती कमला पाण्डे, और कु० अर्चना चक्रवर्ती तथा लेबोरेटरी टेक्नीशियन सर्वश्री नर्वदेश्वर शुक्ला और मोहम्मद इलियास के विरुद्ध भ्रष्टाचार, आपसी झगड़े तथा इन्हीं में कुछक व्यक्तियों द्वारा शिकायत कर्ता को पीटे जाने के आरोप लगाये गये थे।

भ्रष्टाचार के आरोप में अस्पष्टता के कारण जांच आवश्यक नहीं समझी गयी तथा नर्स कु० अर्चना चक्रवर्ती और कम्पाउण्डर श्री राम आश्रय के मध्य आपसी झगड़े के आरोप के सम्बन्ध में दोषी पाये गय कम्पाउण्डर को गोरखपुर स्थानान्तरित कर दिया गया।

जहां तक शिकायत कर्ता को पीटे जाने की घटना का सम्बन्ध है, इस विषय में सिविल सर्जन, देवरिया द्वारा आवश्यक जांच की गई थी। शिकायतकर्ता ने जिस गवाह को पेश किया था उसके द्वारा बाद में अपनी गवाही स्वयं रद्द कर दिये जाने के कारण घटना की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५५९ पर)

जिला परिषदों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

*७—श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी जिला परिषदों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता राजाज्ञा सं० जी-१—८५०/दस—२१०-७१, दिनांक १७ अप्रैल, १९७१ के अनुसार स्वीकृत मिल रही है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

शासन ने अपने उक्त आदेश द्वारा परिषदों के कर्मचारियों को कोई अन्तरिम सहायता देने का निर्णय नहीं लिया था बल्कि २७ अप्रैल, १९७१ के शासनादेश द्वारा राज्य कर्मचारियों को १०.०० रु० प्रति मास की दर से अन्तरिम सहायता स्वीकृत की थी।

तारांकित प्रश्न

ग्रामीण जल सम्पूर्ति

*१—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जल सम्पूर्ति के लिये कितने रुपये का प्राविधान किया गया है और अब तक इस योजना में कितने रुपये व्यय किये गये ह तथा आगामी दो वर्षों के लिये शासन द्वारा कितने रुपये का प्राविधान है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री धर्मदत्त वद्य)—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के अन्तर्गत ग्रामीण जलसम्पूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ९१५.०० लाख रु० का प्राविधान किया गया था। इस धनराशि म उत्तराखंड तथा हैंड पम्पों व कुओं के लिये निर्धारित धनराशि भी सम्मिलित है। इस प्राविधानित धनराशि के समक्ष वर्ष १९७१–७२ तक कुल ९६३.५८२ लाख रुपय शासन द्वारा अवमुक्त किये जा चुके हैं। वर्तमान वित्तीय वष १९७२–७३ म ३३७.०० लाख रु० का प्राविधान प्रस्तावित है। वर्ष १९७३–७४ के लिये अभी शासन द्वारा कोई निणय नहीं लिया गया है।

सूखे तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल संकट

*२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सूखे तथा पहाड़ी क्षेत्र में पेय जल संकट से कुल कितने गांव प्रभावित हैं और कितने गांवों को अब तक पेयजल सुविधायें प्रदान कर दी गई हैं और कितनी योजनायें शासन के विचाराधीन हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

प्रदेश के सूखा ग्रस्त तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल संकट से १२,७६४ ग्राम प्रभावित हैं। इनमें से १,९८५ ग्रामों में अब तक नलों द्वारा पेय जल व्यवस्था की जा चुकी है तथा ७५५ ग्रामों को नई पेय जल योजनायें कार्यान्वित करने के लिये वर्ष १९७१–७२ में धन अवमुक्त किया गया है।

धनाभाव के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष १९७२–७३ में अभी कोई नई योजना लेने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

मेरठ जिले के स्वास्थ्य सहायकों की सेवाओं की समाप्ति

*३—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जिला मेरठ के अन्तर्गत २८ फरवरी, १९७० को किन-किन स्वास्थ्य सहायकों की बिना कारण बताये सेवायें समाप्त कर दी गईं ? क्या जिनकी सेवायें समाप्त की गईं उनके प्रति कोई शिकायतें थीं? यदि हां, तो क्या सरकार सारा ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला मेरठ में २८ फरवरी, १९७० को ९२ स्वास्थ्य सहायकों (जिनकी सूची संलग्न है) की सेवायें समाप्त कर दी गई थीं, पर उन्हें दिनांक १–३–७० से पुनः अपने पदों पर नियुक्त कर दिया गया। उक्त औपचारिक कायवाही इस कारण करनी पड़ी क्योंकि स्वास्थ्य सहायकों

के पदों की स्वीकृति की अवधि दिनांक २८-२-७० को समाप्त हो रही थी। इस कार्यवाही से किसी भी कर्मचारी को न तो आर्थिक क्षति हुई और न उनकी सेवाओं में व्यवधान हुआ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५६० पर।)

ग्राम सेवकों का स्थायीकरण

*४--श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश के पत्रांक १०९९/२--२३३-ग्राम सेवक--३-६९, दिनांक ४ मार्च, १९७० प्रदेश के समस्त अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) तथा जिला नियोजन अधिकारी को इस आशय के साथ भेजा गया कि १५ मार्च, १९७० तक ग्राम सवकों को स्थायी अवश्य घोषित कर दिया जाय? यदि हां, तो १५ मार्च, १९७० तक ग्राम सेवकों को स्थायी न घोषित करने का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*५--श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह--

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश द्वारा १६ जनवरी, १९७० को पत्रांक २४ ९/स्था-२३३-ग्राम सेवक--३-६९, के प्रदेश के समस्त ए० डी०एम०(पी०) तथा डी० पी० ओ०को भेजा गया है कि ज्येष्ठता सूची वर्ष १९६८, पृष्ठ ८४, क्रम संख्या ५२२७, तक क ग्राम सेवकों को शासकीय संख्या ५८४/३८/क--६३७-६८, दिनांक ३१ अगस्त, १९६५ तथा दूसरा आदेश संख्या १३२५८/३८/क-३६३७, दिनांक २८ अक्तूबर, १९६९ द्वारा दिनांक १ अप्रैल, १९६९ से स्थायी घोषित करने का आदेश हुआ है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रघुराज सिंह, चिकित्साधिकारी, माधोगंज, जिला हरदोई, के विरुद्ध शिकायती पत्र

*६--श्री कल्याण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माधोगंज चिकित्सालय जिला हरदोई के चिकित्साधिकारी, श्री रघुराज सिंह के विरुद्ध कतिपय गम्भीर शिकायतों से युक्त कोई प्रार्थना-पत्र शासन को जनवरी से जून, १९७१ के मध्य प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई तथा जनता की आपत्तियों के बावजूद उन्हें माधोगंज में पुनः क्यों नियुक्त कर दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं।

डा० रघुराज सिंह को कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण इन्हें माधोगंज में पुनः तैनात किया गया है।

*७—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[६ठे सोमवार में प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देहरादून अस्पताल का विस्तार

*८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पुराना एक पत्र दिनांक ८ अप्रैल, १९७१ जिसमें देहरादून अस्पताल के विस्तार हेतु पुलिस लाइन को लिये जाने तथा देहरादून की घनी आबादियों में से चीड़-फाड़ घर (मोरचरी) को हटाये जाने की प्रार्थना की गई थी प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन कमेटी का गठन

*९—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लघु कृषक एवं सीमान्त कृषक योजनाओं में गतिशीलता लाने के लिये एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब से और इस कमेटी ने ३१ अक्तूबर, सन् १९७१ तक कौन-कौन कार्य किया है ?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

जी हां। इस कमेटी का गठन २४ मार्च, १९७१ के शासनादेश द्वारा किया गया है। ३१ अक्तूबर, १९७१ तक इस कमेटी ने रायबरेली, प्रतापगढ़, बलिया, मथुरा तथा बदायूं जनपदों का दौरा किया, तथा उक्त जिलों में लघु कृषक / सीमान्त कृषक परियोजना से संबंधित कार्य-कलापों की प्रगति तथा कठिनाइयों का सिंहावलोकन किया।

अश्वशक्ति ट्रैक्टरों का निर्माण

*१०—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम राज्य में १४, १५ अश्वशक्ति के छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण करने जा रही है? यदि हां, तो कब से तथा कहां और इसके लिये केन्द्र से लाइसेन्स भी प्राप्त हो गये हैं या नहीं?

डाक्टर सीताराम—

अभी यह प्रश्न उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ के विचाराधीन है। केन्द्र से लाइसेन्स प्राप्त नहीं हुआ है। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

*११—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[६ठे मंगलवार के लिये स्थगित]

सहायक विकास अधिकारी वर्ग की ज्येष्ठता सूची

*१२—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

विधान सभा के प्रथम सत्र १९७० के सातवें गुरुवार के प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के संदर्भ में क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सहायक विकास अधिकारी वर्ग की ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा चुका है? और इनकी पदोन्नति ज्येष्ठता सूची के अनुसार की जा रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जी हां। इन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) की पदोन्नति, पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी के पदों पर नियमानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के उपरान्त की जाती है।

*१३---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

[छठे मंगलवार के लिये स्थगित]

प्यारे लाल शर्मा अस्पताल, मेरठ में सर्जन डाक्टर की तैनाती एवं ब्लड बैंक

*१४---श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कृपा करेंगे कि अनेक महीनों से प्यारे लाल शर्मा अस्पताल, मेरठ में कोई अच्छा सर्जन डाक्टर नहीं है जबकि एक स्थान डा० कुमार के जाने से रिक्त पड़ा हुआ है? मेरठ जिले की महत्ता को देखते हुए क्या सरकार एक सर्जन डाक्टर को तुरन्त प्यारे लाल शर्मा अस्पताल में भिजवायेगी? क्या सरकार को ज्ञात है कि मेरठ मेडिकल कालेज में ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी तुरन्त व्यवस्था कराने पर विचार करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

प्यारेलाल शर्मा अस्पताल, मेरठ में सर्जन का पद २२ जून, १९७१ से रिक्त है। उक्त पद पर तैनाती की व्यवस्था शीघ्र ही की जायेगी।

मेरठ मेडिकल कालेज में ब्लड बैंक की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई है।

मेडिकल कालेज, मेरठ में एमरजेन्सी वार्ड

*१५---श्री मोहन लाल कपूर---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री की जानकारी में है कि मेरठ मेडिकल कालिज में एमरजेंसी वार्ड अब तक नहीं खुला है? यदि हां, तो सरकार ने इस ओर क्या कदम उठाया है तथा उक्त एमरजेंसी वार्ड कालिज में कब तक खोल दिया जायेगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

इस कालेज में इमरजेंसी वार्ड खोलने की योजना चालू वित्तीय वर्ष १९७२-७३ के बजट में शामिल कर ली गयी है और इसकी स्वीकृति बजट पास हो जाने पर दी जायगी।

गोरखपुर मेडिकल कालेज भवन का निर्माण

*१६---श्री रामलगन दुबे (जिला गोरखपुर)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मेडिकल कालेज भवन का निर्माण कार्य कब से चल रहा है तथा कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है और क्या विद्यार्थियों के प्रवेश की व्यवस्था इस वर्ष १९७२-७३ से प्रारम्भ कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

इस कालेज के भवनों का निर्माण कार्य १० फरवरी, १९७० से चल रहा है। चूंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, अतः यह निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है कि इसका सारा निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायगा।

इस कालेज में छात्रों के शिक्षण की व्यवस्था शीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्राम नौरैया खेड़ा, जिला कानपुर के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*१७—श्री श्री कृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर) तथा श्री महावीर सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को यह विदित है कि जिला कानपुर के अन्तर्गत ग्राम नौरैया खेड़ा स्थित अनेक किसानों की जमीनें नगर महापालिका कानपुर ने सन् १९६२ में अधिग्रहण कर ली थी और १० वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक उसका मुआवजा उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या मा० मन्त्री सदन को यह आश्वासन देंगे कि गरीब किसानों का यह मुआवजा अवश्य ही दो महीने के अन्दर उन्हें प्राप्त हो जायेगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जिला कानपुर के ग्राम नौरैया खेड़ा की ४८४.७३ एकड़ भूमि नगर महापालिका कानपुर की कल्यानपुर पनकी पांडू ग्रीन बेल्ट योजना स० ४० के लिये २ सितम्बर, १९६५ को अर्जित की गई थी। इस भूमि का मुआवजा १६० व्यक्तियों को वितरित करना था। जिनमें से ५९ व्यक्तियों को मुआवजा अभी तक वितरित नहीं किया गया है क्योंकि एक जांच के सम्बन्ध में भूमि अध्याप्ति अधिकारी कानपुर के कार्यालय की पत्रावलियां सी० आई० डी० ने ले ली है। जांच समाप्त होने के पश्चात् पत्रावलियां वापस होने पर ही मुआवजा वितरित किया जा सकेगा।

ट्रैक्टर, मैकेनिक तथा ड्राइवरों को प्रशिक्षण देने की योजना

*१८—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रैक्टर मैकेनिक तथा ट्रैक्टर ड्राइवरों की प्रदेश में कमी को पूरा करने के लिये सरकार प्रशिक्षण देने की योजना को व्यापक रूप से चलाने के सम्बन्ध में विचार करने को तैयार है ? यदि हां, तो किस रूप-रेखा के अनुसार और नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

ट्रैक्टर मैकेनिक तथा ट्रैक्टर ड्राइवरों को प्रशिक्षण देने की कृषि विभाग की कोई योजना नहीं है।

ग्राम रायपुर कठार, जिला कानपुर में रिन्द नदी के कटान से क्षति

*१९—श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या कृषि मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि कानपुर परगना स्थित ग्राम रायपुर कठार में प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में आराजी नम्बरी ३०६ व ३०७ के माध्य से रिन्द नदी से पानी की एक प्रथम धारा निकल कर भारी कटान करती है जिससे सकड़ों बीघ कृषि भूमि को भारी क्षति पहुंच रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत उक्त स्थान पर बांध बंधवाने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। परगना कानपुर के ग्राम रायपुर कठार की भूमि प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में रिन्द नदी से पानी की एक प्रथम धारा निकल कर आराजी नम्बर ३०६ व ३०७ से होती हुई पुनः रिन्द नदी में एक अन्य बरसाती नदी से होकर मिल जाती है इस प्रथम धारा से उपरोक्त आराजी नम्बरों के अतिरिक्त अन्य आराजी नम्बर भी प्रभावित होते हैं।

रिन्द नदी की इस धारा को रोकने के लिये रिन्द नदी के किनारे बांध बनाना आवश्यक मालूम होता है। इस प्रकार के कार्य भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते हैं तथा सिंचाई विभाग के बाढ़ नियंत्रण उप विभाग द्वारा ही इस बांध की सम्भावना पर विचार किया जा सकता

है। भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत कृषकों के खेतों में भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं और व्यय किया गया धन इन लाभार्थियों से आसान किश्तों में वसूल किया जाता है।

*२०—११—श्रीमती मसाली देवी—

[६ठें मंगलवार के लिये स्थगित]

*२२—२३—श्री सूबेदार सिंह—

[६ठें मंगलवार के लिये स्थगित]

कृषकों को दिया गया जई का बीज

*२४—सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९७०—७१ में कितनी बीज जई का विभाग ने कृषकों को बोने के लिए दिया? क्या मन्त्री को यह भी पता है कि नेशनल शीड कारपोरेशन द्वारा जो जई का बीज बेचा जा रहा है विभाग द्वारा बेचे गये बीज से सस्ता है और अच्छा भी है ?

डाक्टर सीताराम—

२१७८.३२ क्विन्टल। नेशनल सीड्स कारपोरेशन के बीज सस्ते नहीं थे। विभाग द्वारा बांटे गये बीजों की अपेक्षा वे कैसे थे यह नहीं मालूम, परन्तु विभाग द्वारा जो बीज बांटे गये वे अवश्य शुद्ध, उन्नतिशील श्रेणी के तथा निर्धारित जमाव क्षमता रखने वाले थे।

*२५—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सदर अस्पताल देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२६—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

विधान सभा की बैठक दिनांक ४ जनवरी, १९७२ की नत्थी (ग) में श्री हरिवंश सहाय विधायक के तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया सदर अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में हंसराज जिला संयुक्त मन्त्री समाजवादी युवजन सभा देवरिया के २९ जून, १९७१ एवं ६ सितम्बर, १९७१ के शिकायती पत्रों की जांच की कार्यवाही अब तक सम्पन्न की गई? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों के खिलाफ कौन-कौन सी कार्यवाही की गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शिकायती पत्रों में अन्य बातों के अलावा गुटबन्दी की बात भी थी। अतः वहां के एडीशनल सिविल सर्जन का स्थानान्तरण कर दिया गया। लेडी डा० श्रीमती ए० के० लुम्बा को भी वहां से स्थानान्तरित किया गया है। अन्य मामलों में भी जांच की गई, लेकिन कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुयी।

फर्रुखाबाद जिले के ब्लाकों की जीप गाड़ियां

*२७—महरम सिंह—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले में ब्लाकों की अनेक गाड़ियां काफी दिनों से खराब हैं और उनकी मरम्मत भी नहीं कराई गई? यदि हां, तो कौन-कौन ब्लाक की जीप गाड़ियां खराब हैं और उनकी मरम्मत की क्या व्यवस्था हो रही है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। जिला फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर मोहम्मदाबाद एवं छिबरामऊ की जीप गाड़ियां खराब हैं। सम्बन्धित क्षेत्र विकास अधिकारी इन गाड़ियों को परिवहन विभाग के परामर्श से मरम्मत कराने की कार्यवाही कर रहे हैं।

*२८-२९—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[४थे शुक्रवार में प्रश्न संख्या २३-२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

कृषि विभाग के कर्मचारियों को ग्रुप तीन में समाहित करने के सम्बन्ध में विधायकों का ज्ञापन

*३०—श्री दलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको सर्वश्री चिरंजीलाल स० वि० स०, एटा, श्री बन्शीधर स० वि० स०, रामपुर श्री सिरायाम स० वि० स०, एटा तथा श्री केशोराम स० वि० स०, बरेली को दिनांक २२-२-७२ का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें शासन द्वारा कृषि विभाग के ग्रुप ३ व ४ के कर्मचारियों को ग्रुप ३ में समाहित करने का उल्लेख है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। उक्त विधायकों द्वारा दिया गया ज्ञापन, जो कि कृषि विभाग के ग्रुप-४ एवं ५ के कर्मचारियों को ग्रुप-३ में समाहित करने के विषय में है, दिनांक २३-२-१९७२ को प्राप्त हुआ है। मामला शासन के विचाराधीन है।

*३१—श्री दल सिंगार यादव—

क्या यह सच है कि कृषि विभाग के ग्रुप ४ व ५ के ग्रुप ३ में समाहित होने के बाद भी इन कर्मचारियों की पेंशनेबुल सर्विस की गणना उनके स्थायीकरण की तिथि से की जा रही है तथा पिछली दीर्घ अस्थायी सेवाओं को नहीं गिना जा रहा है ? यदि हां तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

इन कर्मचारियों की पेंशनेबुल सर्विस की गणना उस तिथि से की जा रही है जिस तिथि से वह ग्रुप-३ का पेंशनेबुल पद धारण किये हुए थे। इसमें वह अस्थायी सेवाएं नहीं गिनी जा रही है; जो उन्होंने नान-पेंशनेबुल पद पर की थीं। ऐसा इसलिये है कि नान-पेंशनेबुल पद पर की गई सेवाएं नियमानुसार पेंशन के लिये नहीं गिनी जाती ह।

आलू के कोल्ड स्टोरेज की दर एवं राज्यों को आल भेजने पर नियन्त्रण

*३२—श्री उदय नाथ (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य में इस वर्ष आलू की उपज को अधिक देखकर आलू के कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने पिछले वर्षों की तुलना म अपने यहां आलू रखने के किराये की दर लगभग ड्योढ़ी तथा कुछ स्थानों पर दूनी कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोल्ड स्टोरेज के रेट को नियन्त्रित करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। बढ़ते हुए किराये को देखते हुए राज्य सरकार ने १६ मार्च, १९७२ से प्रदेश प्रदेश म "उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज आदेश १९७२" लागू कर दिया है। इस अन्तर्गत प्रदेश के समस्त शीतगृहों में आलू भण्डारण की दर निर्धारित कर दी गई है।

*३३—श्री उदय नाथ—

क्या सरकार ने अपने राज्य से आलू दूसरे कुछ राज्यों को न भेजने के लिये कोई नियन्त्रण लगा रखा है? यदि हां तो क्या उन राज्यों का नाम सरकार बतलायेगी ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*३४—चौ० रामपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

लखनऊ जिले में परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायका का सवायें

*३५—श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ जिले में ३० परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों में से २३ को मई १९७१ में सेवा से अलग किया गया था और उनमें से १४ लोगों को पुनः शासकीय आदेशानुसार सेवा में वापिस लिया गया ? यदि हां, तो उनको नये रूप में नियुक्ति करने तथा उनकी पिछली सेवाओं के लाभ से वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जहां। जिन १४ कर्मचारियों को सेवा में पुनः नियुक्ति किया गया था उनको पिछली सेवा का लाभ देने का प्रश्न विचाराधीन है।

*३६—श्री रामलखन सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिले के ९ परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों, जिनकी सेवाएं गत मई १९७१ में समाप्त कर दी गई थीं, को सेवा में पुनः वापिस क्यों नहीं लिया गया जबकि उनसे कम लक्ष्य (टार्गेट) प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं राज्य के अन्य जिलों जैसे उन्नाव आदि में सुरक्षित रखी गई हैं ? यदि हां, तो इस असमानता का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति तथा उनकी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार जिलाधिकारी को है और वे न केवल परिवार नियोजन कार्यकर्त्ताओं के लिये निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति बल्कि उनके अन्य कार्यों को कार्यगुजारी को देखने के पश्चात् ही अपने विवेक से उनको सेवा से पृथक करने के बारे में निर्णय लेते ह। अतः विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं समाप्त किये जाने में समानता होने का प्रश्न नहीं उठता है।

*३७-३८—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[६ठे मंगलवार के लिये स्थगित]

*३९—श्री राम सिंह खन्ना—

[निरस्त]

*४०-४१—श्री गोपाल दत्त ओझा—

[४थे गुरुवार में प्रश्न सं० १२५-१२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कालोनाइजरों पर विकास खर्च की दर घटाने से इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, गाजियाबाद को हानि

*४२—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि हिन्डन नदी के पार दिल्ली की ओर कालोनाइजरों पर विकास खर्च की दर घटा दी गई है जिससे इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को लगभग सत्तर लाख रुपये की धनराशि का नुकसान होगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

हिन्डन पार क्षेत्र की पुरानी स्वीकृत आवासीय कालोनियों से रु० २.५० पै० प्रति वर्ग गज (स्थूल क्षेत्रफल पर) की दर से ३१-१२-७२ तक विकास शुल्क लेने का निर्णय लिया गया है जिससे इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, गाजियाबाद को किसी प्रकार की आर्थिक हानि न होगी क्योंकि यह दर सम्भावित विकास कार्य के ऊपर अनुमानित वास्तविक व्यय पर आधारित है ।

बलरामपुर व सिविल अस्पताल, लखनऊ के डाक्टरों को स्थानान्तरित न किया जाना

*४३—श्री मन्जूर अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल व सिविल अस्पताल में ऐसे कितने और कौन-कौन से डाक्टर हैं जो ३ साल से अधिक कितने दिनों से लखनऊ में ही नियुक्त हैं और उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरित लखनऊ से बाहर न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में ऐसे ११ डाक्टर हैं और सिविल अस्पताल, लखनऊ में ८ हैं । इनके विवरण संलग्न तालिका में उल्लिखित है ।

इनमें से कुछ डाक्टरों को विशेषज्ञ होने के कारण, जिनकी प्रादेशिक चिकित्सा सेवा में बहुत कमी है, और अन्य डाक्टरों को कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण, लखनऊ म रहने दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५६२ पर।)

*४४—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

टेक्नीशियन्स की बेरोजगारी समाप्त करने की योजना

*४५—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय शासन द्वारा टेक्नीशियन्स की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये कोई योजना स्वायत्त विभाग के लिये अभी हाल म भेजी गई है ? यदि हां, तो उस योजना का क्या प्रारूप है और उस पर अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

केन्द्र सरकार से टेक्नीशियन्स की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये स्वायत्त शासन विभाग के लिये अलग से कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

*४६—श्री रामगोपाल सण्ड—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*४७—श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी—

[स्थगित]

*४८—श्री सर्वसुख सिंह तथा श्री महावीर सिंह चौहान—

[६ठे मंगलवार के लिये स्थगित।]

*४९—श्री राम कुमार दीक्षित—

[६वे मंगलवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

राज्य कृषि औद्योगिक निगम की शाखा, फर्रुखाबाद में कृषि यन्त्र

१—श्री महरम सिंह—

क्या कृषि मंत्री को पता है कि स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन की ब्रांच शाखा, फर्रुखाबाद में किसानों को सुविधा देने के लिये कौन-कौन से कृषि यंत्र रखे गये हैं तथा किसानों से जनवरी, १९७१ से फरवरी, १९७२ तक कितना रुपया किराये का प्राप्त हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम की ब्रांच शाखा, फर्रुखाबाद कस्टम सर्विस सेन्टर पर किसानों की सुविधा के लिये निम्नलिखित कृषि यंत्र रखे गये हैं:—

जीटर २०११ ट्रैक्टर	..	..	१
जीटर ५५११ ट्रैक्टर	..	..	२
कल्टीवेटर ९ टायन	..	..	१
कल्टीवेटर ११ टायन	..	..	२
हैरों १० डिस्क	..	..	१
हैरों १६ डिस्क	..	..	२
ट्राली ३ टन	..	..	१
स्क्रेपर लेवलर ७.५ फिट		..	२
लेवलर ६ फिट	..	..	१
डिस्क प्लाऊ	..	..	१
सीड ड्रिल	..	..	२

किसानों से जनवरी, १९७१ से फरवरी, ७२ तक १४,७४९ रु० १० पै० कस्टम सर्विस किराये के प्राप्त हुए हैं।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य का पद

२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य के पद का नियमित चुनाव लोक सेवा आयोग द्वारा करा लिया गया है ? क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त केस शासन द्वारा सेवा आयोग को कब भेजा गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। आयोग को यह मामला ३१ मई, १९६९ को भेजा गया था।

फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद में टी० बी० अस्पताल का भवन

३—श्री महराम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में फतेहगढ़ टी० बी० क्लीनिक के पास टी० बी० अस्पताल का भवन बनाने और उसमें कुछ पलंगों के रखने की स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां, तो कितने पलंगों के रखने तथा कितनी लागत में अस्पताल बनाया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां । इसमें ३६ पलंग होंगे और भवन की अनुमानित लागत ३.०५ लाख (तीन लाख पांच हजार) है ।

४—श्री महराम सिंह—

[६ठें मंगलवार के लिये स्थगित]

गोरखपुर मण्डल के खण्ड विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण

५—श्री कल्याण सिंह—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में कौन-कौन खण्ड विकास अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें उक्त मण्डल में कार्य करते १० वर्ष अथवा इससे अधिक समय व्यतीत हो चुका है ? उनके स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

निम्नलिखित १४ खण्ड विकास अधिकारी ऐसे हैं जिनको गोरखपुर मण्डल में कार्य करते १० वर्ष अथवा १० वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है—

सर्व, श्री—

१—नरसिंह त्रिपाठी	..	नौतनवां (गोरखपुर)
२—चन्द्रभान सिंह	..	परतावल (गोरखपुर)
३—राम भरोस पान्डेय	..	बेलघाट (गोरखपुर)
४—पौहारी पान्डे	..	गोला (गोरखपुर)
५—केशव प्रसाद सिंह	..	मेंहदावल (बस्ती)
६—राम प्रसाद मौर्य	..	खलीलाबाद (बस्ती)
७—पारस नाथ मेहरोत्रा	..	सेवहरी (देवरिया)
८—कुंवर विरेश्वर सिंह	..	पडरौना (देवरिया)
९—मुहम्मद अहसन अन्सारी	..	कप्तानगंज (देवरिया)
१०—रामचन्द्र दुबे	..	दुधई (देवरिया)
११—गिरीश दत्त पान्डेय	..	गौरी बाजार (देवरिया)
१२—हरिद्वार धर द्विवेदी	..	कसया (देवरिया)
१३—के० पी० सिंह	..	कडरांव (आजमगढ़)
१४—आशा पाल सिंह	..	घोसी (आजमगढ़)

वर्तमान नीति के अनुसार एक मण्डल में १० वर्ष से अधिक रहने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

६—श्रीमती मसाली देवी—

[६ठे मंगलवार के लिये स्थगित]

७—श्रीमती मसाली देवी—

[४थे बुधवार में प्र० सं० १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

८—श्री रामगोपाल संड—

[६ठे मंगलवार के लिए स्थगित]

९—श्री रामगोपाल सण्ड—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम कुरसठ, जिला उन्नाव की जनसंख्या एवं अस्पताल

१०—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कुरसठ, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव की जनसंख्या कितनी है और उस ग्राम से सरकारी अस्पताल तक निकटतम दूरी कया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष १९६१ में हुई जनगणना के अनुसार जनसंख्या ८४६० है । निकटतम होम्योपैथिक सरकारी अस्पताल की दूरी तीन मील है ।

११—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कुरसठ में वित्तीय वर्ष १९७२-७३ में सरकारी अस्पताल खोलने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ग्राम कुरसठ में अस्पताल स्थापित किये जाने की मांग प्राप्त हुई है । इसी तरह की मांगें प्रदेश की अन्य जगहों से आई हैं । इन सभी पर विचार किया जा रहा है । स्थानों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय होने पर अस्पतालों की स्थापना का कार्य आरम्भ किया जायगा ।

प्रदेश के विकास हेतु निगम की स्थापना

१२—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विकास के लिये विभिन्न क्षेत्रों में पांच निगम स्थापित करने जा रही है? यदि हां, तो यह निगम कौन-कौन से क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे और कब तक स्थापित हो जायेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

प्रदेश के विकास के लिये इस समय स्थापित बुन्देलखण्ड विकास निगम, पूर्वान्चल बिकास निगम एवं पर्वतीय विकास निगमों के अतिरिक्त अन्य विकास निगमों की स्थापना करने का विचार नहीं है ।

जिला परिषद् मेरठ में स्टोर कीपर की नियुक्ति

१३—श्री नैपाल सिंह (जिला मेरठ)—

क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, मेरठ में स्टोर-कीपर के पद की नियुक्ति के विषय में आयुक्त, मेरठ मन्डल मेरठ के आदेश दिनांक ६ सितम्बर, १९७१ का पालन किया गया है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

(क) जी नहीं ।

(ख) जिला परिषद्, मेरठ, उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा नियमावली, १९७० के नियम ३(२) क अनुसार ज्येष्ठता सूची बना रही है । उसको अन्तिम रूप देने के बाद ही स्टोर-कीपर के पद पर स्थायी नियुक्ति की जायगी ।

उत्तर प्रदेश वन्य पशु तथा पक्षी संरक्षण विधेयक, १९७२ को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के विधान परिषद् के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचना

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १३५(१) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त निम्नलिखित सन्देश देता हूं :—

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १० अप्रैल, १९७२ की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

"उत्तर प्रदेश वन्य पशु तथा पक्षी संरक्षण विधेयक, १९७२ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जिसमें विधान परिषद् के ८ तथा विधान सभा के १६ सदस्य हों और जो अपना प्रतिवेदन विधान परिषद् को १५ दिन के अन्दर प्रस्तुत करें।"

अतः विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १६९ (१) के अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव विधेयक की एक प्रति सहित विधान सभा की सहमति के लिये भेजा जा रहा है।

यदि विधान सभा इस प्रस्ताव से सहमत है तो संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिये प्रथानुसार १६ सदस्यों की नियुक्ति करके विधान परिषद् को सूचित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि इसमें हम कल लिस्ट पेश करेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मैं माननीय वन मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह ऐक्ट बहुत पहले आ जाना चाहिये था। क्योंकि बम्बई में इस प्रकार का विधेयक १९५२, में पेश हो गया था और यहां पर आज १९७२ में पेश हो रहा है। यानी २० साल का समय हो गया है। तमाम वन्य जीव जन्तुओं, पक्षियों आदि का यहां पर शिकार खेला जाता है जिससे वन सम्पत्ति को काफी नुक्सान होता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये भेज दिया जाय ताकि प्रदेश की इस सम्बन्ध में जो विभिन्न समस्यायें हैं उनका निराकरण हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपको सूचना दी गई है। और जो प्रवर समिति है वह तो कौंसिल की है और आप लोग भी मिल कर उसमें विचार करेंगे इसलिये इसे किसी दूसरे रोज के लिये रखा जाय।

उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९७२

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश

लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९७२ जो विधान सभा द्वारा २२ मार्च, १९७२ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के १० अप्रैल, १९७२ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्प कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७२

सचिव विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७२ जो विधान सभा द्वारा २२ मार्च, १९७२ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के १० अप्रैल, १९७२ को वापस प्राप्त हो गया है।

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७२

सचिव विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७२ जो विधान सभा द्वारा १ अप्रैल, १९७२ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के १० अप्रैल, १९७२ को वापस प्राप्त हो गया है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज मेरे पास ५ कार्य-स्थगन के प्रस्ताव आये थे। वे सब अस्वीकार हो चुके हैं। अब इसके बाद आज बजट पर जो सामान्य चर्चा हो रही थी, उसका आखिरी दिन है। मैं समझता हूं कि शासन पक्ष की ओर से किसी माननीय सदस्य को बोलना है.....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक निवेदन सुन लें। अब इस समय २ बजकर २० मिनट हो गया है और बजट पर हम चर्चा प्रारम्भ करने जा रहे हैं। तो जो यह २ घंटा २० मिनट का समय हमको चर्चा में लगाना चाहिये था वह हमें नहीं मिला और उसमें कमी हुई। इसलिये यदि आपकी आज्ञा हो तो शाम को कम से कम दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय ताकि जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, वे अपनी बात रख सकें।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप पांच बजे से कुछ पहले ऐसा प्रस्ताव रखें तो ठीक होगा क्योंकि उस समय देखेंगे कि यदि माननीय सदस्य भागन लगेंगे तो...

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वक्तव्य आज थे, क्या वे नहीं होंगे ?

श्री अध्यक्ष—

ये वक्तव्य कल या परसों में लिये जायेंगे ।

१९७२–७३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

*श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)—

जनाब अध्यक्ष जी, मैं वाकई मशकूर हूं कि इतने तंग वक्त के बावजूद आपने मुझे मौका दिया बोलने का और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी सदन का । मैं जानती हूं कि मिनिस्टर साहबान और चीफ मिनिस्टर भी बोलेंगे ।

जनाबवाला, सबसे पहले मैं वित्त मन्त्री जी को दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उन्होंने यह बजट इस सदन में पेश किया है और मेरी यह मुबारकबादी महज रसमी नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूं कि उन्होंने जिन उसूलों, आधारों के ऊपर बजट पेश किया है उसमें सही तरीके से वह तमाम खुसूसियतें मौजूद हैं जोकि हमारी पार्टी ने हमारे सामने रखी हैं, जिनके जरिये से हम एक ऐसा समाज लायेंगे जिसमें गरीबी दूर हो सके और अन्तर लोगों के अन्दर अमीर-गरीब में कम हो सके ।

जनाववाला, इससे पहले कि मैं बजट के मुताल्लिक कुछ कहूं, मैं यह समझती हूं कि यह सही मौका है जबकि मैं आपके जरिये से अपनी सरकार को, केन्द्रीय सरकार और प्रधान मन्त्री जी को बहुत ही दिली मुबारकबाद पेश करना जरूरी समझती हूं—उस बहुत शानदार फतेह और कामयाबी के लिये जो कि पिछले दिसम्बर में हमें, हमारे मुल्क को हासिल हुई थी पाकिस्तान की लड़ाई में, और मैं यह कहना चाहती हूं कि इस फतेह से हमारा सभी के सर ऊंचे हुए हैं, हमारे मुल्क की इज्जत बढ़ी है और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमारा मुल्क फिर वही पुरानी अपनी इज्जत हासिल कर रहा है जोकि कुछ वजूहात की वहज से थोड़ी बहुत कम हो गयी थी । यह हमारी फतेह और कामयाबी कई चीजों के ऊपर बनी है । जनाबेवाला, सबसे बड़ी चीज यह है कि हमारे मुल्क में इतनी जबरदस्त एकता रही, इतना इत्तफाक रहा यहां के सब लोगों में कि उन्होंने पूरे तरीके से एक आहिनी दीवार बनकर दिखा दिया है कि दुश्मन का मुकाबला हम किस तरीके से कर सकते हैं । हमारी सेनाओं ने जिस बहादुरी के साथ मुकाबला किया दुश्मन का वह काबिल सराहने के है, लेकिन साथ ही जो कि जनता है उसने अपने इत्तफाक से, अपनी ताकत से इस चीज को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया । इस तमाम कामयाबी का सेहरा हम सही तरीके से अपनी प्रधान मन्त्री के सर पर रख सकते हैं, क्योंकि उनकी दूर-बीनी, उनकी सियासत-दानी ने ऐसे वक्त में ऐसा काम किया जिससे कि बेहतरीन नतीजे हासिल हुए ।

जनाबेवाला, मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि कुछ बदकिस्मती से गवर्नर साहब के ऐडरेस के सिलसिले में हमारे एक माननीय सदस्य, हबीब अहमद साहब, ने कुछ बातें कही थीं, मुसलमानों की तरफ से अपने को उनका वक्ता बनाकर । मुझे बहुत अफसोस है कि उन्होंने इस तरीके से उस चीज़ को यहां रखा जिससे कि गलतफहमी हो जाने का अन्देशा हो सकता है और बहुत मुमकिन है कि वह लोगों के दिलों में हुई हो ।

मुसलमानों के जो जजबात हैं और जहां तक कि उनके ख्यालात हैं जिनसे मैं बखूबी वाकिफ हूं, मैं यह कह सकती हूं कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों को हरगिज कभी इस बात की शिकायत नहीं है और न किसी तरीके से उनके दिल में यह खयाल आया है कि जो लड़ाई हुई हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की उसकी किसी तरीके से जिम्मेदारी हिन्दुस्तान पर थी, या अगर बंगला देश बना तो उसकी जिम्मेदारी हिन्दुस्तान पर थी । और अगर सच पूछिये तो हर मुसलमान तो अच्छे

---

†१० अप्रैल, १९७२ की कार्यवाही से ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती कुदसिया बेगम]

तरीके से यह जानना चाहता है कि इसकी तमाम जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। क्योंकि जिस तरीके से वहां की फौजी जनता ने बंगला देश के लोगों पर जुल्म किया, तशद्दुद किया, इतनी सख्त ज्यादतियां कीं तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी, उसका मुकाबला वहां के लोगों ने बहुत बहादुरी से किया और उसके लिये मैं उनकी सराहना करती हूं। और उसके बाद अगर पाकिस्तान की फौजी जनता ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि वहां के लोगों पर जुल्मों तशद्दुद करें तो इसकी जिम्मेदारी हिन्दुस्तान के ऊपर किस तरह आ सकती है? और यह मामला कोई थोड़े दिन नहीं चला बल्कि लगातार ९-१० महीने तक यह जुल्म और तशद्दुद वहां कायम रहा, औरतों की इज्जत गई, हजारों, लाखों आदमियों की जानें गईं और एक करोड़ शरणार्थी जब हमारे मुल्क में आ गये तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई।

हमारे प्रधान मन्त्री ने बार बार कहा कि हम चाहते हैं कि किसी तरह का कोई समझौता हो जाय ताकि ये लोग अपने मुल्क को इज्जत के साथ वापस जा सकें। लेकिन न ही पाकिस्तान ने और न ही दुनिया के किसी और मुल्क ने उनकी बात को सुना। जाहिर है कि एक करोड़ लोगों के खिलाने पिलाने का इन्तजाम हमारा गरीब मुल्क कब तक बर्दाश्त कर सकता था। इसलिये जब कोई बात बाकी नहीं रही जो हमारी तरफ से न की गयी हो कि किसी तरह से इस लोगों के वापस जाने का इन्तजाम हो जाय तब हमारी प्रधान मन्त्री ने वह कदम उठाया जोकि बिल्कुल सही था।

हमारे बहुत से लीडरान बराबर कह रहे थ कि बंगला देश को मान्यता दी जाय लेकिन उन्होंने उस चीज को बराबर अपनी दूरबीनी और सियासतदारी से बार-बार टाला इसलिये कि अगर कोई भी समझौता हो जाता है पाकिस्तान का बंगला देश के लोगों के साथ तब आगे बातचीत चलेगी। लेकिन जब यह कुछ नहीं हुआ और वहां की फौजी जन्ता ने पूरे तरीके से अपना तशद्दुद जारी रखा तो और कोई चारा हमारे सामने न रहा सिवाय इसके कि वह कदम उठाये और वह भी उन्होंने पहले नहीं उठाया बल्कि पहले पाकिस्तान ने लड़ाई की। इसलिये आज कोई भी मुसलमान हिन्दुस्तान में नहीं है जो इन चीजों को अच्छी तरह न समझता हो और इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर न डालता हो।

आज ही मैं अखबार में पढ़ रही थी कि पाकिस्तान के लोग और वहां के अखबार वाले इस बात को मान रहे हैं कि जो जुल्म और तशद्दुद बंगला देश के लोगों पर किया गया उसके लिये जिम्मेदार लोगों के ऊपर मुकदमात किये जायें और उनको सजायें दी जायें। इसलिये हम मुसलमान जो हिन्दुस्तान में रहते ह अपने को यहां के लोगों के साथ बराबर का समझते हैं, उनके साथ ही रहना चाहते हैं और किसी तरह का कोई तफरका या भेदभाव नहीं रखना चाहते। मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि जब १९४९ में हमारा संविधान करीबन बन चुका था उस वक्त जब यह सवाल आया था कि मुसलमानों के लिये रिजर्वेशन आफ सीट्स रखा जाय तो मैंने इन्हीं ख्यालात की बिना के ऊपर उस वक्त भी यह कहा था कि हम लोग नहीं चाहते कि मुसलमान और हिन्दू किसी तरीके से अलग समझे जायें।

हम सब इस मुल्क के रहने वाले हैं और बजाय बैकडोर के सही तरीके से सामने खड़े हों ताकि हमको हिन्दू और मुसलमान, दोनों के वोट मिलें ताकि हम यह दिखा सकें कि हमारे भी वही हकूक ह। इसीलिये आपने देख लिया कि पिछले ३-४ आम चुनावों में मुसलमान चुन कर आये हैं और महज मुसलमानों के वोट पर चुन कर नहीं आये हैं क्योंकि हिन्दुओं के वोट कहीं ज्यादा अक्सरियत में हैं जहां जनरल कांस्टीट्ऐन्सीज हैं असेम्बली और लोक सभा की। इसलिये वहां की जनता ने पूरे तरीके से कान्फीडेन्स दिखाया है मुसलमानों पर और उनको कामयाब बनाया। इसलिये यह कभी खयाल भी नहीं हो सकता कि मुसलमान अपने को इस मुल्क में अलाहिदा समझते हैं बल्कि वे समझते हैं कि उनका तमाम मुस्तकबिल यहां के लोगों के साथ बंधा हुआ है और प्रेम के साथ रह कर ही वे अपने को यहां का शहरी साबित कर सकते हैं।

इन चन्द अल्फाज के बाद मैं सिर्फ दो-तीन मिनट लूंगी । बजट के मुताल्लिक मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि जैसा कि मैंने कहा, मैं वित्त मन्त्री को इस बात के लिये मुबारकबाद देना चाहती हूं कि इस बजट में एक जागृति, एक जान और एक रूह मालूम होती है और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने कई कारपोरेशन्स बनाये हैं और उनके जरिये से हमारे प्रदेश में जहां-जहां कमियां हैं और जितनी उनकी कमजोरियां हैं और के सिलसिले में जो कमियां हैं उनके जरिये से उनको दूर करने की कोशिश करेंगे ।

मैं अर्ज करना चाहती हूं कि अब तक हमारा ख्याल था कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स और हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वे ही पिछड़े इलाके हैं और ऐसा ही समझा जाता था लेकिन मैं मुख्य मन्त्री जी को और वित्त मन्त्री जी को याद दिलाना चाहती हूं कि अवध का जो हमारा इलाका है वह सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है । उसमें लखनऊ के आस-पास के १२ जिले शामिल हैं । उनकी तरफ भी ख्याल करना चाहिये । मेरा जिला हरदोई और उन्नाव जिले भी उसमें शामिल हैं । वहां पर न कोई उद्योग-धंधा है न इम्प्लायमेन्ट ही है । इसलिय म उम्मीद करती हूं कि जो अवध का इलाका कहलाता था उसकी तरफ भी खयाल किया जायगा । इसमें कोई शक नहीं है कि ३६ जिले पिछड़े हुए करार दिये गये हैं उसमें हरदोई जिला भी शामिल है । उसमें अभी तक कोई उद्योग-धंधा नहीं लगा है । वहां पर दो उद्योग खोलने का सवाल था । लेकिन वे वहां से उठा कर दूसरे जिलों में भेज दिये गये हैं । इसलिये मैं उम्मीद करती हूं कि इस तरफ खयाल किया जायगा ।

एक बात का मैं सुझाव देना चाहती हूं कि पिछली सरकार ने गांव के रहने वालों का सवा छः एकड़ तक जमीन का लगान माफ कर दिया था । मैं मुख्य मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी से अर्ज करना चाहती हूं कि अगर इस पर नजरसानी की जाये तो कोई हर्ज नहीं होगा क्योंकि जहां तक मने देखा है वह यह है कि इसके मुताल्लिक कोई जोश नहीं है । उस वक्त कुछ खयाल के मुताबिक ऐसा किया गया था । लेकिन इस से हमारे बजट में १५–१६ करोड़ का नुक्सान हो रहा है । अगर किसी रीजनल स्तर पर या कमिश्नरी स्तर पर कमेटियां मुकरर की जायं और उनमें असेम्बली के मेम्बस हों और सरकारी अधिकारी हों, जो गांव वालों से दरियाफ्त कर सकें कि उसकी जरूरत है या नहीं । क्योंकि आजकल कीमतों की वहज से किसी को १५–२० रुपया देने में कोई उज्र नहीं है बल्कि उन्हें यह ख्याल होता है कि हम से मालगुजारी नहीं ली जा रही है तो कहीं हमारी जमीन हम से न ले ली जाय । इसलिये उनके इस खौफ को दूर करने की जरूरत है । उनके दिल में कोई जोश नहीं है और वे समझते हैं कि हमारे साथ कोई अहसान नहीं किया गया है । इसलिये म अर्ज करूंगी कि जो १५–१६ करोड़ रुपये का नुक्सान हो रहा है, उसके लिये अगर इस पर नजरसानी की जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा ।

मैं ज्यादा न कह कर वित्त मन्त्री जी को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उन्होंने जो लैंड डेवलपमेन्ट टैक्स रखा है उससे गांव वालों की हालत बेहतर होगी । जो रुपया इसके जरिये हासिल होगा वह वहीं पर दिया जायगा उनकी बेहतरी के लिये । यह बहुत अच्छा सवाल है । लेकिन मुझे अफसोस है कि मुखालिफ मेम्बरान ने इसका विरोध किया है । अगर देखा जाय तो बुनियादी तरीके से यह अच्छी चीज है लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जो इसके लिये मशीनरी कायम की जाय, इस रुपये को जमा करने के लिये और रुपया देने के लिये, वह बहुत अच्छी होनी चाहिये । बजट में एक तिहाई रखा गया है उन चीजों के लिये जो कांस्ट्रक्टिव एक्टीविटीज हैं । जैसे जराअत हैं, नहरें हैं, सिंचाई है, तालीम है और स्वास्थ्य है, इनके लिये प्लान का एक तिहाई रुपया है ।

इन तमाम चीजों के लिये जो डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेंसी हो वह अच्छी होनी चाहिये । जो छोटे अधिकारी हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह इमानदार साबित नहीं हो रहे है । गांव वालों को अच्छी से अच्छी सुविधायें मिलें, उनको मदद मिले, सरकारी रुपया खर्च होता है और हम लोग कहते ह कि सब कुछ किया जाता है लेकिन उनको फायदा नहीं पहुंचता है ।

[श्रीमती कुदसिया बेगम]

इसलिये मैं उम्मीद करती हूं कि आफिसरों का थोड़ा ज्यादा खिंचाव किया जाय ताकि गरीब लोगों को जो रुपया दिया जाता है, वह सही तरीके से उनको मिल सके। इसके अलावा जो कारपोरेशन्स बनाये जा रहे हैं उनमें टेक्निकल विशेषज्ञ रखे जायें ताकि काम सही तरीके से हो सके और उनके जरिये से जो सरकार का मकसद है वह भी पूरा हो सके। इन अल्फाज के साथ म इस बजट का समर्थन करती हूं।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने अपना बजट भाषण, जमाने की हवा को देखते हुए, प्रधान मन्त्री की वन्दना से शुरू किया और उसको गौर से पढ़ा जाय तो उससे एक निष्कर्ष यही निकलता है कि उनको बहुत संतोष है कि जिस रफ्तार से प्रदेश की तरक्की पिछले दशक में हुई है। इसके सबूत में उन्होंने यह कहा कि ६८-६९ में, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का आधार वर्ष है, १९६१-६२ के स्थानीय भावों के आधार पर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय २५६ रुपया थी, वह बढ़ कर इस वर्ष के अन्त तक २६५ रुपया हो जायगी। दूसरा सबूत उन्होंने यह दिया कि हमारे प्रदेश की आय में खेती का अंशदान घट रहा है, इससे प्रत्यक्ष है कि हमारे प्रदेश में औद्योगीकरण हो रहा है और जमीन पर दबाव कम हो रहा है। प्रदेश की तरक्की हो रही है। बेकारी को भी दूर करने की बात उन्होंने अपने भाषण में कही है। उसमें उनका प्रमुख सुझाव यह है कि उनकी त्वरित योजना से बेकारों को काम मिलेगा। दूसरी सुझाव उनका यह है कि श्रम सहकारी संघ की स्थापना की जायगी उससे टेक्निकल लोगों को, मजदूरों को भवन निर्माण आदि में काम मिल जायगा।

तीसरा सुझाव इस सम्बन्ध में उनका यह है कि विभिन्न निगमों की स्थापना वे कर रहे हैं। उनमें सेवा के लिये बैंकों के विशेषज्ञ, व्यवसायी प्रबन्ध में विशेषज्ञ, आदि होंगे उनको भी काम मिल जायगा। इनके अलावा बेकारी दूर करने सम्बन्धी जितने भी कार्यक्रम होंगे उनको समन्वित करने के लिये एक तंत्र की स्थापना की जायगी, उसमें भी लोगों को काम मिल जायगा। कुल मिला कर ये सब सुझाव उनके हैं।

मैं शुरू में ही वित्त मन्त्री जी को बता देना चाहता हूं कि या तो मूर्खता के वातावरण में रहते हैं या उनको प्रदेश की गरीबी का सही ज्ञान नहीं है या फिर लोमड़ी की चालाकी इस्तेमाल करके इस सदन यह प्रदेश को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं, जरा उन पर आप गौर करें। उनमें उन्होंने बताया है कि १९६०-६१ से १९७०-७१ तक २.८ प्रतिशत की दर से अर्थ व्यवस्था का विकास हुआ है। मान्यवर, इस अवधि में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसका हिसाब नहीं जोड़ा गया है अगर उस हिसाब को भी ध्यान में रख लिया जाय तो मुश्किल से यह वृद्धि १ प्रतिशत के आस-पास ही रह जायगी दूसरी बात उन्होंने यह कही कि १९६८-६९ में २५६ रुपया प्रति व्यक्ति आय थी वह २६५ रुपया हो जायगी। अब वह तीन साल में कितनी पड़ी १९ रुपया। इसका भी हिसाब लगाया जाय तो १ रुपया के नीचे ही आयेगी। इस दिशा में मैं सरकार के ही आंकड़ों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। राज्य आय अनुमान १९६१-६२ से १९६७-६८ तक की एक किताब है। इसके अन्तिम पेज पर देखें तो सन् १९६०-६१ से १९६७-६८ तक जो वृद्धि हुई है वह मात्र .१ की हुई है। यह वृद्धि बढ़कर इस वक्त मात्र .३ रह गई है और इस प्रकार आप अगर गौर करेंगे तो कोई भी आदमी बिना हिचक के कह देगा कि ऐसा मालूम होता है कि हमारे प्रदेश का विकास बिलकुल थम गया है। यदि आप एक दूसरी नजर से भी देखें तो आप के मुल्क की अन्य देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में हमारे सूबे की प्रति व्यक्ति आय की औसत वृद्धि में गिरावट आई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस दशक की शुरुआत में सारे देश की आय यदि १०० मानी जाय तो हमारे प्रदेश की आय केवल ८०.४ थी लेकिन उत्तर प्रदेश का औसत अनुपात घटकर .७६ रह गया। इस तरह से पूरे देश के नक्शे म हमारा प्रदेश पिछड़ा रहा है और दिनों दिन करीब होता जा रहा है। इस के आगे यदि आप दुनिया के खाके में देखें तो हमारे देश का भी कोई स्थान नहीं रह जाता। जापान की औसत आय ८,९१५ रु०, ब्रिटेन की १०,८८३ रुपए, पश्चिम जर्मनी की १२,६२५ रुपये और यू० एस० ए० की करीब २७ हजार रुपये प्रति व्यक्ति की औसत आय है। भारत की औसत आय है ५४८ रुपये और उसम भी हमारे प्रदेश की है केवल ४५० रुपये वतमान भाव के हिसाब से। यह १९६०-६१ के भाव से तो और भी कम हो जायगी।

दुनिया के नक्शे पर हिन्दुस्तान पिछड़ रहा है औसत आय में और जिस गति से दुनिया तरक्की कर रही है लेकिन आप जहां ह वहीं बने रहेंगे बल्कि आप निरन्तर पिछड़ जा रहे हैं। इस तरह से पूरे देश के मुकाबले में उत्तर प्रदेश बराबर पिछड़ता जा रहा है और इन के सरकारी आंकड़े भी यह बोल रहे हैं। जहां तक औसत आय का सवाल है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि वह अपने उत्तर में विशेष रूप से बताय कि क्या उनको मालूम है कि औसत आय से कम पर कितने लोग आज प्रदेश में बसर कर रहे ह। यह सब से पहला सवाल खास तौर से उस आदमी के दिमाग म आना चाहिये कि जो सचमुच सूबे की व्याप्त गरीबी को दूर करने की भावना और दिली इरादा रखता है और जिसके दिल में उनके लिए दर्द है कि जो औसत आय से नीचे अपनी गुजर करते हैं।

हमारे सूबे की गरीबी का नक्शा हमारे सामने आता है यदि हम देखें कि सूबे के २ करोड़ आदमी मात्र ८ पैसा रोज पर गुजर करते हैं और वह आधे पेट रहने पर मजबूर हैं। अगर देखा जाय तो हमारे सूबे की ९ करोड़ आबादी में से ६ करोड़ ऐसे हैं जो औसतन आय के नीचे गुजर कर रहे हैं। इधर सरकार का ध्यान जाना चाहिए था लेकिन वह नहीं गया है। इस का कारण क्या है, उन्होंने औद्योगीकरण की दिशा में जिक्र किया है कि वह इन्डस्ट्रियल इन-वेस्टमेंट कारपोरेशन बना देंगे और उस से सारा मामला हल हो जायगा, एक दो मिनीस्टील प्लान्ट लगा देंगे या नरौरा में बिजली का अटामिक स्टेशन लगा देंगे लेकिन क्या बात है कि औद्योगिक क्षेत्र में भी ह्रास हो रहा है।

मैं आप की जानकारी के लिये बता दूं कि हमारे यहां आज गन्ने की पैदावार घट रही है और उसके साथ ही हमारा चीनी का उत्पादन भी घट रहा है और यह गिरावट हर दिशा में अपनी जगह पर कायम ही नहीं है बल्कि निरन्तर ह्रास हो रहा है। जहां हम ५० प्रति-शत उत्पादन करते थे वहां अब हमारा स्थान ३३ प्रतिशत पर ही रह गया है। जहां तक कपड़े का सवाल है उसको भी आप देखें। १९६० में जहां उत्पादन ३४ करोड़ मीटर था वहां पर १९६९ में घट कर २६.५ करोड़ मीटर हो गया है और सूत उत्पादन भी अपनी जगह पर थमा हुआ है। इस प्रकार से कपड़े और सूत के उद्योग बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि निरन्तर ह्रास हो रहा है।

इस देश के मुख्य चीजों को ही ले रहा हूं जो तेल, चीनी और कपड़ा हैं। दो के बारे में मैंने अभी कहा है कि इनमें दिन प्रति दिन ह्रास हो रहा है और तेल के कारखानों में भी १९६५ के बाद कोई विकास नहीं हो रहा है, जहां पर था, वहीं पर रुका हुआ। अव्वल तो उद्योग हैं नहीं और जो हैं भी उनमें भी निरन्तर ह्रास हो रहा है। इससे बराबर आम-दनी गिरती जा रही है। हरित क्रांति की भी बहुत चर्चा करते है लेकिन इन सब बातों के बावजूद आपका प्रदेश पिछड़ा चला जा रहा है। कारण साफ हैं। यह प्रदेश मुख्य रूप से खेतिहर प्रदेश है और जितनी आबादी है उसकी ८० प्रतिशत खेती में लगी हुई। इसके भी ८० प्रतिशत कैसे काश्तकार ह जो गैर मुनाफे की खेती करते ह।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

५ एकड़ या इससे भी कम के काश्तकार हैं ८० प्रतिशत। ये जो गैर-मुनाफे की खेती करने वाले हैं उनके लिए चाहे कितनी क्रांति हो गई हो, खाद की, उन्नत बीज की, कीट नाशक दवाओं की, उनके हिस्से में कुछ गया नहीं है। ये अपने ट्यूबवेल भी नहीं लगा सकते हैं, ये लोग पानी से, अच्छे बीजों से और अच्छे खाद से भी वंचित हैं, कीट नाशक दवाओं से वंचित ह और इस बढ़ती जो २.३ प्रतिशत है में भी उनका कोई हिस्सा नहीं है। जहां पर हैं, वहीं पर टिके हुये हैं, यह आपके हिसाब से इस आपकी किताब के अनुसार हैं। या तो आप रट्टू तोते बन गये हैं कि जो डिपार्टमेंट वाले हैं, वे जो तैयार करते हैं, उसको आप यहां पर पढ़ देते हैं वरना आप यहां पर सन्तोष व्यक्त नहीं कर सकते थे। जसा कि आपने बजट भाषण में व्यक्त किया है।

कुछ बोलने वाले कभी-कभी यह कहते हैं कि जो राहत दी गई है ६ १/४ एकड़ लगान माफ करके वह नहीं देनी चाहिए थी। वे बिल्कुल हृदय हीन लोग हैं। उन्हें पता नहीं कि जो आपके आंकड़े हैं, उनको जुठला नहीं सकते हैं। पता नहीं कि हिन्दुस्तान म और खासकर इन प्रदेशों में २ करोड़ किसान में जो खाली दो आने पर बसर करने वाले हैं और अधिकांश व्यक्ति हैं में जो प्रति व्यक्ति औसत आय है उससे भी नीचे रहते हैं। उनको रियायत दो तो पेट में दर्द हो गया है। बेगम साहिबा को मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार थी तब लगान माफी का कानून आया था। उस वक्त उन्होंने हाथ उठाया था। कैसे कुशल वकील हो गया है। जो बराबर की वक्ता से सबूत पक्ष के लिये भी काम कर सके और सफाई के लिये भी काम कर सकें।

सरकार में बैठकर कैबिनेट की मीटिंग में बैठते हैं और यहां पर गवर्नर के अभिभाषण के एक-एक शब्द पर बोलते हैं। और जब यहां पर वोट देने को होते हैं तो अपने भाषण के खिलाफ वोट करते हैं और वह फिर जब उनको जैसा सूट करता है उस तरह से प्रश्न कर देते हैं। कभी पक्ष में कभी विपक्ष में बगैर सोचे बगैर विचारे हुए। मैं सदन को आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की राय को महत्व नहीं दिया जाता है। यह आप अपने ध्यान में रखें और माननीय सदस्यों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे सदस्यों की राय में कभी किसी को महत्व नहीं देना चाहिये जिसकी कुछ राय नहीं है हवा के साथ इधर उधर बदलते रहते हैं। जैसे कचहरी में वकालत करते समय कभी पक्ष में हो गये और कभी विपक्ष में हो गये। ऐसे माननीय सदस्यों ने जो हालत बना रक्खी है उससे काम चलने वाला नहीं है। आप चाहते हो आखिर यह मामला कैसे दुरुस्त होगा। हर जगह रोने की स्थिति है। केन्द्र कहता है कि हमको विदेशी सहायता नहीं मिल रही है। आप कहते हो कि हमारे संसाधन नहीं हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, लोगों को एक-एक घंटे का मौका मिला है। एक घंटे से कम नहीं...

श्री अध्यक्ष—

१५ मिनट ले लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

१५ मिनट में काम कैसे चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

आपके लोग बहुत बोल चुके हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आज मान्यवर, कुर्सी पर आप विराजमान हैं। आपकी तो मुख पर दवा रही है।

श्री अध्यक्ष—

आप तीन बजे तक खत्म कर दीजिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी इस भाषण को सुनना चाहते हैं। मैंने यह भी कहा था कि समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

और लोगों के लिये भी बढ़ेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं कह रहा था कि यह सही है कि संसाधनों की कमी है, आज ऐसा प्रश्न भी था, नित्यानन्द जी ने कहा था कि सरकार ने किफायतशारी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज सीधे-सीधे, यह प्रश्न है। आप राष्ट्र के सामने जो देश इतना दरिद्र हो जिसके कुछ लोग आनों में जिन्दगी गुजारते हों और राजसत्ता जिनके हाथ में रहती है उनको आभास है तो वह सचमुच मितव्ययिता का रास्ता अख्तियार करेंगे। उनको हर जगह ध्यान रहता है कि हमारा देश या प्रदेश इतना गरीब है हमारी खेती और कारखानों को सुधारने के लिए एक-एक पैसे की जरूरत है। तभी यह सुधर सकता है।

मैं कह सकता हूं कि इस तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। हिन्दुस्तान के कुछ लोगों को शान से और ठाठ से रहना सिखाया है जिसकी वजह से सारे संसाधन उसमें नष्ट हो रहे हैं। एक प्रस्ताव स्वर्गीय डा० लोहिया जी ने चलाया था कि देश को बढ़ाना है तो पन्द्रह सौ रुपये की सीमा लगा दी जाय।

पच्चीस तीस साल तक के लिये किसी भी आदमी को, पन्द्रह सौ रुपये से ज्यादा खर्च करने की इजाजत न दी जाय। उन्होंने पूरा हिसाब लगाकर लोक सभा में बताया था कि ऐसा करने से पन्द्रह–बीस रुपये बच जायेंगे। उन्होंने उसके अलावा आगे बताया कि जो चुटकलों में बहलते हैं उन्होंने कभी सोचा संजीदगी से कि इस प्रस्ताव का मतलब क्या है। जिस दिन पन्द्रह सौ रुपये के खर्चे का प्रस्ताव मंजूर हो जायगा उससे क्या नतीजा निकलेगा। जितने आपके प्रमुख उद्योग हैं —निजी क्षेत्र में उनको तो आपको राष्ट्रीय करण करना ही पड़ेगा, चाहे वह कपड़े का हो, चाहे जूट का हो, चाहे शकर का हो चाहे बागबान चाय का हो और चाहे खदान का हो और चाहे कोई कारखाना हो यहां तक कि निजी व्यापार हो उसको भी छीनना पड़ेगा और अगर मान लो उससे वह पूरा नहीं होता है तो यह करना पड़ेगा कि टैक्स का जो स्ट्रक्चर है इसको बदलना पड़ेगा और उसके बावजूद भी आप पन्द्रह सौ की सीलिंग को उपलब्ध नहीं करा पाते हो तो बैंक में हिसाब खोलना पड़ेगा। जिनकी आमदनी है ज्यादा उनके खाते खोले जायं और उन खातों में उनका रुपया जमा रहेगा। २० साल बाद, २५ साल बाद, ३० साल बाद, उनको उस खाते में से रुपया तक निकालने की इजाजत दी जाय, जब देश की खेती और इंडस्ट्री सुधर जाय। इसके बाद वह आराम से खूब खर्चा करें। यह हल है मोटे तौर पर।

इसके अलावा कोई हल नहीं है। मान्यवर, जब अर्थ-व्यवस्था की गति में रुकावट आ जाती है, मान्यवर, आपने पढ़ा होगा, और यदि श्री गोविन्द सिंह जी नेगी उपस्थित होते तो वह फौरन यह ताईद करते, तो यह व्यवस्था टूट जाती है। जब आपको ज्ञान नहीं आ रहा है तो पेबंदों से काम चलने वाला नहीं है। अब मान्यवर, जो आपने १२ चीनी मिलों का अर्जन किया है और जो कानून बनाया है उसके बारे में जरा बतला दूं। १२ में से ७ मिलें चली गईं तो हाई कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में और वहां से स्थगन का प्रस्ताव ले आईं। अब आप उनको हाथ नहीं लगा सकते हैं। जिन ५ मिलों पर आपने हाथ लगाया है, तो

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

मैंने सदन में दो सवाल किये थे तो एक सवाल के जवाब में यह आया कि इन मिलों पर जितना पैसा बाकी था किसानों के गन्ने के दाम का या यूनियन के कमीशन का तो उनकी हालत ज्यों की त्यों है ।

मान्यवर, मैं अपने जिले की मिलों के बारे में बतला रहा हूं । बाराबंकी मिल पर जब आपने लिया था उस समय ३८ लाख रुपया बाकी था और इस वक्त बाकी है ३६.९७ लाख रुपया । तो सामान्यतः कोई खास फर्क नहीं आया । बुड़वल पर जो कर्जा पहले था वह बढ़ गया है । मान्यवर, यूं मान लीजिय कि कर्जा बढ़ गया है ।

अब आइये, मान्यवर, कि किसानों को बढ़ती कब से दी गई । मान्यवर, मसौदहा, जिला फैजाबाद में और सीतापुर में जो दाम ७.३५ प्रति क्विंटल के हिसाब से भारत की सरकार ने मुकर्रर किये थे । गन्ने की कमी के कारण भाव बढ़ाने पड़े और मिल ने, जो बाराबंकी में बिसवां मिल है उसने दिया है १ दिसम्बर, १९७१ से इस बढ़े हुए दाम को, और मसौधहा ने दिया है १८ दिसम्बर, १९७१ से । जबकि सरकारी इन्तजाम में जो मिले हैं जिन पर या तो रिसीवर है या शुगर निगम की है, उन्होंने २२ दिसम्बर से बढ़े हुए दाम को दिया है तो आपने क्या परिवर्तन किया ?

जहां तक किसानों का मामला है, गरीब मजदूरों का मामला है, जहां तक सामान्य उपभोक्ता का मामला है, उनके लिय इस अजन से कोई लाभ नहीं मिला । यह खाली धोखा देने वाला कानून है । इस मिसाल को मैं सदन के सामने इसलिए रखना चाहता हूं ताकि मालूम हो कि समाजवाद के नाम पर जो कानून बनाये जा रहे हैं, उससे सचमुच फायदा किस को मिल रहा है । जो पूंजीपति मालिक हैं, जिन्हें इन कर्जों को देना चाहिये, उनको इस कानून से फायदा पहुंचा है । बेचारा किसान अलग-अलग कैसे अपने पैसे के लिये नालिश करेगा और वसूल करेगा । इसके बावजूद भी आप कह रहे ह कि हम आगे और बढ़ रहे हैं ।

मान्यवर, जहां तक सम्पत्ति का सवाल है...

श्री अध्यक्ष—

आप कब तक बोलेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

१५ मिनट और ।

श्री अध्यक्ष—

बहुत लोग बोलने वाले हैं आप ५ मिनट और ले लीजिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं निवेदन करूंगा कि कुछ समय और दें । कितनी खामोशी से सुन रहे हैं । मान्यवर, मैं निवेदन करूं कि यह ढिढोंरा पीट रहे हैं कि गांव और शहरों की सम्पत्ति पर सीमा बांधी जायेगी । एक चोर है जिसके यहां चोरी का सामान रखा है और पुलिस वाले ढिढोरा पीट रहे ह कि हम आ रहे हैं चोरी का सामान बरामद करवाने के लिये । ऐसा कौन बेवकूफ होगा कि पुलिस वाले आयेंगे और सामान रखा रहेगा । ३,४ साल से ग्रामीण और शहरी सम्पत्ति की सीमा का बिल लाने की बात की जाती रही है । इस समय तक कौन सा बेवकूफ होगा जो इसका इन्तजार करता रहे कि कानून आयेगा और वह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे । लोगों ने अपनी सम्पत्ति का ट्रांसफर कर दिया और अब आपको

लेने के लिये कुछ बचा ही नहीं, कानून क्या लायेंगे ? आप पूरे सदन को इससे गुमराह कर रहे ह। आपका यह नारा प्रदेश और देश को गुमराह करने वाला है। आप उनका असली चेहरा तो देखें ?

दूसरी बात यह है कि विधान सभा में आज आप याचक के रूप में हैं। आप बजट पास करवाना चाहते हैं और इस स्थिति में आप विधान सभा के सामने एक याचक के रूप म ही ह। विधान सभा की हैसियत क्या है ? वह उत्तर प्रदेश के खजाने की रखवाली करती है, उसको नियंत्रित करती है, उसकी रजामन्दी के बिना आप एक पैसा भी खच नहीं कर सकते ह। सरकार उसके सामने एक याचक के रूप में खड़ी हैं। चाहे शासन हो या प्रशासन, वह सभी इस विधान सभा के सामने उत्तरदायी है। इससे भी बढ़कर इसके जो कानून होते हैं वे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये होते हैं और हर स्थान पर प्रदेश भर में लागू होते हैं।

यह कानून एसेम्बली, खजाने को कन्ट्रोल करने वाली और प्रशासन पर अंकुश लगाने वाली संस्था है। यह तो इसकी ताकत है लेकिन आपने क्या किया ? एक तो दिल्ली के हस्तक्षप न यहां तक हद कर दी है कि प्रदेश के एक्जीक्यूटिव आफिसर्स कहाँ पर भी रहें इसको दिल्ली तय करती है। मुख्य मन्त्री कौन रहे यह भी दिल्ली तय करती है। आप ऐसे उतावले रहते हैं कि किस प्रकार से दिल्ली की मोहर उस पर लग जाय। आप इस सम्पत्ति कानून को भी दिल्ली भेजना चाहते हैं ताकि वहां पर जाकर पास हो जाय। संविधान का जो रूप है उसको आप किस प्रकार से खत्म करना चाहते हैं, इसको आपको देखना होगा।

हमारे मुख्य मन्त्री जी और सदन के सदस्य इस बात को सोचें कि जो आई० ए० एस० आफिसर्स हैं वे ही विधान सभा को भी संचालित करते हैं, वे यहां के सचिव बनाये गये हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी प्रदेश के शासन के प्रति नहीं रह गई है बल्कि वे समझते हैं कि वे तो दिल्ली के चाकर हैं और उन्हीं के प्रति जिम्मेदार भी हैं, प्रदेशीय सरकार के प्रति नहीं। क्या आपकी सचिवालय की सर्विसेज नहीं बन सकतीं जो आपके प्रदेश का इन्तजाम करे ? आज आपका रूप क्या हो गया है ? आप कितने गिर रहे हैं, इसकी कल्पना तो कीजिये। जो आप का रुख है वह क्या है ? आप यह देखें कि विधान सभा के सदस्य यहां पर बैठे नहीं रह सकते हैं। आप स्वयं रोज ही इसका अनुभव करते हैं। आपको कई कई बार कोरम की घंटी बजवानी पड़ती है। यह तो रोजमर्रा का ही हाल हो गया है।

रोजमर्रा ध्यान आकर्षण के नोटिस होंगे, चर्चा के नोटिस होंगे, बहस मुबाहिसा होगी, बजट पास होंगे, कानून पास होंगे। अगर इन सभी बातों पर काम करना है तो लम्बा सत्र चलाना पड़ेगा। तीन सत्र हर हालत में चलाने होंगे। पहला सत्र गवर्नर के अभिभाषण के रूप में जिसमें शासन अपनी नीति विधान सभा के सामने रखता है और उसकी स्वीकृति लेता है विधान सभा के द्वारा, दूसरा सत्र विधान सभा के द्वारा पारित निधियों के लिए होता है जो बजट सेशन कहलाता है। तीसरे सत्र में कानून बनाया जाता है। यह इस सदन का मौलिक अधिकार है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जितने अध्यादेश कानून बनाने के लिये पेश किये गये हैं, क्या वह ऐसे ह जिन पर पहले से विचार नहीं किया जा सकता था ? और विधान सभा में नहीं लाये जा सकते थे ? लेकिन आर्डिनेन्स के जरिये से काम करने में अधिक सुविधा समझी गई है। नतीजा यह हुआ है कि सदस्यों की दिलचस्पी कम हो गई है।

जिस तरह से आप सवालों के जवाब देते हैं मान्यवर, मैं बहुत अदब से और बिना किसी को ठेस पहुंचाये कहना चाहता हूं कि आप लोग जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि तोता बोल रहा है, मैंना बोल रही है। उस पर सप्लीमेंट्री आ जायं तो आप दिमाग नहीं लगाते हैं और न अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं जिससे उत्तर ठीक नहीं होते हैं। तो किसी को

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

दिलचस्पी रह जावेगी ? नतीजा यह होता है कि किसी भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ अगर सवाल करने होते हैं तो १० बार सोचना पड़ता है कि पूछें या नहीं, क्योंकि उसको आप बचाने की कोशिश करेंगे। उसका नतीजा यह है कि यहां अवमान का नोटिस मिलता है। पिछली बार श्री राही ने नोटिस दिया था कि उनका अवमान किया गया है। इस बार श्री श्याम लाल ने नोटिस दिया है कि महमूदाबाद तहसील में तहसीलदार ने उन्हें पकड़ने को दौड़ाया। यह सब इसलिये हो रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी झलक जिले तक पहुंचती है और जिले में माननीय सदस्यों का कोई आदर नहीं रह गया है।

अभी जो चुनाव हुये हैं, उनके बारे में मुझे इच्छा न होते हुये भी कहना पड़ रहा है। मान्यवर, स्वतन्त्र भारत में ८ अप्रैल, १९७२ को यह छपा है:—"राज्य सभा के चुनाव में कांग्रेसी विधायकों के आचरण की जांच के लिये तीन सदस्यों की कमेटी।"

इसी के सम्बन्ध में दैनिक जागरण में पहले पेज पर छपा है, "शीर्षक है :

"राज्य सभा के चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त चरम सीमा पर" खबर में आगे दिया है कि राज्य सभा के निर्वाचन में खरीद, बिक्री, सुरा, सुन्दरी का प्रयोग अपने अन्तिम चरण में पहुंच गया है। यह मान्यवर, हम लोगों के बारे में कमेंट्स हो रहे हैं। इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं? पंडित कमलापति त्रिपाठी जिम्मेदार हैं या श्रीमती इन्दिरा गांधी जिम्मेदार हैं ? इसका क्या नतीजा निकलता है? श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है कि लोग इस विधान सभा पर थूकेंगे और जिन जगहों पर विधायक रहते हैं उनको बड़ी हिकारत की नजर से देखेंगे। कभी तो इस विषय में सोच लिया होता कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। इस जनतन्त्र और समाजवाद की बातें आप रटते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सारी बातें हो रही हैं। मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म किये दे रहा हूं।

श्रीमन्, आज तो यह हालत हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है ? इसका जिम्मेदार है शासक दल, जिसके हाथ में शासन की सत्ता है। आज लोग क्या कह रहे हैं। आज लोक सभा के सदस्यों के आवासों पर गुप्तचर बिठाये जा रहे हैं, उनके टेलीफोन कन्टैक्ट किये जाते हैं। आज लोक सभा में हिटलर शासन है। लोग बन्दना करते हैं। कौन दिमाग चला रहा है उन चीजों का ? वह कौन दिमाग है जो बार-बार बोल रहा है, प्रधान मन्त्री बनने के पहले से बोल रहा है। बोल रहा है कि इस देश की आजादी उसके पापा ने दिलाई है। इस देश को डेमाक्रेटिक तन्त्र मिला है, उसके पापा की मेहरबानी से और जब वह चाहेगी, पांच मिनट में इस तन्त्र को खत्म कर देगी। तो बजाय यह कहने के इस देश के लाखों लोगों ने तकलीफें सही हैं, त्याग किये हैं, जानें दी हैं और जेलों में गये हैं, कहा यह जा रहा है उसके पापा की वजह से गद्दी मिली है और इस देश को आजादी मिली है, और वह चाहें तो पांच मिनट में वह मिट सकती हैं। तो आप आज उनकी बन्दना करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हिटलर ने पहले उन्हीं लोगों को साफ किया था, जोकि उसके इमेज की पूजा करते थे। आज आप जिस तरह से उसकी बन्दना कर रहे हैं, उसको हिटलर बनने से रोक नहीं सकते हैं। आज कहा जाता है कि जनतन्त्र अपने देश में सचमुच है कि नहीं। अगर शक है कि जनतन्त्र चल रहा है, तो वह खतम होगा कि नहीं। कभी-कभी कहा जाता है कि यह ज्यादा दिन चल नहीं सकता। तो वह सचमुच ज्यादा दिन नहीं चल सकता है क्योंकि आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ नहीं रही है। और जब यह तन्त्र जायेगा तो यह व्यवस्था भी नष्ट हो जायेगी। तो इसकी तरफ देखें और विचार करें कि आगे आने वाला जमाना कैसा होगा।

मान्यवर, हिटलर ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। केवल १० साल रहा। क्या स्थिति थी जर्मनी की उस समय ? और आज क्या स्थिति है उसकी। आज जर्मनी के दो टुकड़े हो गय हैं और दोनों टुकड़े कराह रहे हैं।

मान्यवर, आज कहा जाता है कि साम्प्रदायिकता बढ़ रही है। लेकिन मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस ही ऐसा दल है जिससे बढ़कर कोई भी साम्प्रदायवादी नहीं है। वह पहले भी था और आजभी उससे ज्यादा कोई भी दल नहीं है। इस बात को जब पिछला चुनाव हुआ था तो रियासत हुसैन साहब ने भी कहा था। मैं कहता हूं कि माधो बाबू के गुरू गोलवालकर भी शरमा जायेंगे इस मामले में, ऐसा रूप धारण किया है साम्प्रदायवाद ने इस कांग्रेस में।

मान्यवर, कहीं-कहीं बजट में उर्दू की भी चर्चा की गई है। लेकिन मैं बरेली के एक कालेज की बात बताना चाहता हूं जहां पहले उर्दू थी। लेकिन वह जैसे ही सरकार के हाथ में आया, वहां से उर्दू गायब हो गई। लेकिन फिर भी जब कभी उर्दू पर बोलने का मौका आयेगा, तो आप उर्दू का राग अलापने लगेंगे।

श्री अध्यक्ष---

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, पंडित जी की एक शख्सियत है कि उनको कितना ही कुछ कहा जाय वे हंसते रहते हैं, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आप लोगों के त्याग और तकलीफ से प्रदेश को जो कुछ दिया है वह सब छीना जा रहा है। मैं पुरानी बात उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब वाराणसी में गांधी जी का सार्वजनिक भाषण हो रहा था तो उन्होंने उस समय वाइसराय के लिये कहा था कि तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, इससे अच्छा हो कि तुम मर जाओ। तो उस समय जितना खर्च उन पर होता था उससे कहीं अधिक आज प्रधान मन्त्री की सुरक्षा पर खर्च हो रहा है और ऐसे समय जब कि देश को एक-एक पैसे की जरूरत है...

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इन सारी बातों पर गम्भीरता के साथ विचार करना होगा।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर,..... (व्यवधान)

एक सदस्य—

माननीय सदस्य ने अभी जो श्री श्याम लाल का नाम लिया था वे बता दें कि वे कहां के हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्री श्याम लाल आजमगढ़ के सदस्य हैं जिन्होंने कल अवमान की सूचना दी थी जो विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया गया है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर प्रदान किया। मैं माननीय जायसवाल जी तथा अपने मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं.... (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

कि मैं यह आशा करता था कि इस आय-व्ययक के सम्बन्ध में कुछ चर्चा होगी। यह सही है कि कुछ चीजों को कुछ फिकरे कहकर सरलता से उड़ाया जा सकता है।

मान्यवर, आखिर क्या यह सही नहीं है कि ऐतिहासिक स्थल पर आज हम लोग आकर बैठे हैं। जायसवाल जी ने जब चर्चा आरम्भ की तो इस प्रकार उन्होंने यह कहा कि जो बजट भाषण प्रारम्भ हुआ, यह प्रधान मन्त्री जी की बन्दना से प्रारम्भ हुआ।

(व्यवधान)

सुनने की चेष्टा करें। यदि ऐसा चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ से कोई बोले तो उसे न सुना जाए, तो आप वैसा बतायें। वह भी हम कर सकते हैं।

(दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके गये)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आप माननीय सदस्यों से कहिये कि वे पर्चों को न उठायें, पर्चों को उठाते हैं तो उनकी अहमियत बढ़ती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

उस पक्ष की ओर से जो उदारता बरती गई है, इसलिए ये दृश्य देखते हैं। अच्छा हो कि वह तरीका बन्द किया जाय, नहीं तो सदन की गरिमा ,इसकी सीरियसनेस खत्म हो जायेगी। मैंने कई बार कहा लेकिन मालूम पड़ता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय खुद इसकी ओर से उदासीन हैं, वे इस पर ध्यान नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं पूछता हूं कि पर्चों का महत्व खत्म हो गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह लोग ऐसे पर्चे लूट रहे हैं, मालूम पड़ता है कि नोट बरस रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

जैसे ताजियों के समय में रेवड़ी बंटती है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैंने यह निवेदन किया कि बहुत सारी चर्चाएं यहां पर की गईं, किन्तु जो बजट का मूल रूप है, उसके सम्बन्ध में चर्चा प्रायः नहीं के बराबर हुई। एक अत्यन्त ऐतिहासिक स्थल पर हम लोग बैठे हुए हैं। इसको छोड़िये कि बंगला देश के सम्बन्ध में क्या हुआ, या इस देश में कितनी घटनायें उस बीच में हो गई....

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

पहले आचार्य जी यह तो बतायें कि कितने-कितने रुपये की रकम इन्होंने ली है, और कितने-कितने रुपयों की थैली उन्होंन दूसरों को फोड़ने के लिये दी है। एक लाख रुपये इन्होंन कमाया है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं उनके सम्बन्ध में क्या कहूं, जिनके बारे में यह सदन पहले से ही बहुत जानता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

बांके लाल जी आप कृपया चुप रहकर दूसरों को सुनिये।

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, मैं कहूंगा जरूर, जो बात सत्य है उसको मैं अवश्य यहां कहूंगा । आप हमें रोकें मत । भले ही आप हमें यहां से निकाल दें लेकिन जब ऐसे कुकर्मी लोग भाषण देंगे तो मैं ये सब निश्चित रूप से कहूंगा । हमें भले ही आप निकाल दीजिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

आपके सत्कर्मों की बात सबको मालूम है ।

श्री बांकेलाल—

आप थैलियां ले लेकर इधर से उधर और उधर से इधर हुआ करते हैं यह किसी से छिपा नहीं है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

नित्यप्रति जैसे आप क्षमा मांगते हैं, वह भी हम सब जानते हैं ।

श्री बांकेलाल—

मैं सच सच कह रहा हूं । मुझ में यही एक दोष है कि मैं उधर नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष—

जायसवाल जी, आप अपने साथी को रोकिये, इस प्रकार की बात ठीक नहीं है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, १० मिनट आप श्री बांकेलाल के नाम निकाल दें और हमारा समय हमें दे दें ।

श्री बांकेलाल—

अच्छा, अब यह बोलें, लेकिन मैं इनका भाषण नहीं सुनूंगा । मैं यहां से चला जाता हूं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

और है भी नहीं इनके सुनने लायक । यह चले जायें यही अच्छा है ।

एक सदस्य—

अब तो मान्यवर, लाल बत्ती का समय भी हो गया है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं यह जिक्र कर रहा था जो यहां का आय-व्ययक पेश हुआ उसकी जो मुख्य बातें थीं, उसकी चर्चा करीब-करीब नगण्य रही । इस बजट में जिन बातों का नये रूप में समावेश किया गया उनका कोई महत्व है या नहीं ? क्या इसमें कोई नयी बातों का समावेश हुआ है या नहीं ? यदि वह समावेश हुआ है, तो किन्हीं नीतियों की ओर इंगित करता है या नहीं ? यह सही है कि बहुत वर्षों से सदन में बजट पेश होते चले आये हैं । यह भी सही है कि आज जिस बजट को माननीय नारायण दत्त जी ने पेश किया है उसमें कुछ मुख्य बातों का समावेश किया गया है। यदि उनके ऊपर गम्भीरता से विचार किया जाय तो शायद कुछ नया मार्ग नजर आये । एक ओर यह कहा गया कि गरीबी मिटाओ का नारा केवल ढोंग है, कपोलकल्पित बात है । दूसरी ओर उन

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

चीजों का जिक्र किया गया, जिसके द्वारा इस नारे का मजाक उड़ाने की चेष्टा की गयी । इस बजट में जिन चीजों का समावेश किया गया है उनकी ओर में सदन का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा करूंगा । यदि सही तौर पर इस बजट को आंका जाय तो कई चीजों का समावेश नये तौर पर हुआ है । जैसा कि हमारे मित्र जायसवाल जी ने कहा कि कुछ चीजें हुई हैं । उन्होंने चर्चा की इस देश की गरीबी की, इस प्रदेश की गरीबी की । प्रदेश में गरीबी है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता ।

(इस समय ३ बजकर २६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामसिंह पीठासीन हुए ।)

और यह भी सही है किन्हीं स्थलों पर चरम सीमा पर भी पहुंची है । लेकिन यह सही है कि एक ओर जहां पर पिछले एक दशक में गरीबी और परकैपिटा इनकम जो थी निरन्तर घटी, उसको एक स्थल पर लाकर रखा गया है, पिछले दशक में, जब कि यह देश आजाद हुआ था तो परकैपिटा इनकम प्रदेश की २५७ थी और सारे देश की २४७ थी लेकिन १९७०-७१ में यहां की परकैपिटा इनकम लगभग २३५–२५० हो गयी । और अबकी बार बजट में इसका जिक्र किया गया है कि हमारी परकैपिटा इनकम अब २६५ हुई है । साधनों की कमी से पर कैपिटा इनकम का बढ़ना और इस प्रदेश की आय का बढ़ना, यह दोनों चीजें असम्भव हैं। जितनी चेष्टा साधनों को बढ़ाने के लिये की गयी है, हमारे मित्र जायसवाल जी, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, माननीय जयराम वर्मा, बंशीधर जी, इन सब को सौभाग्य मिला है सरकार में बैठने का, उनसे केवल एक ही बात का निवेदन करना चाहूंगा कि जब वह सरकार में बैठे, जब उनको अवसर मिला, इस प्रदेश की गरीबी और इस प्रदेश की समस्याओं पर विचार करने का, उनके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि इस देश की गरीबी का कि इस देश की समस्याओं पर विचार करना आवश्यक है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं आचार्य जी से कहना चाहता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखें कि निरन्तर १९४७ से आज तक सरकार में बैठना एक चीज है और बीच में कुछ महीनों के लिये एक दफा आठ महीने और एक दफा पांच महीने, यह दूसरी चीज है । बजट भाषण में जो अच्छे काम गिनाये हैं आपको याद होगा वह सारे निर्णय उसी वक्त के हैं, जब हम मंत्री थे ।

श्री अधिष्ठाता—

आप तो बोल चुके हैं । आचार्य जी बोल रहे हैं । उनको बोलने दें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं यह नहीं कहना चाहता था कि किस समय के हैं किस समय के नहीं हैं । लेकिन यह याद दिलाना चाहता हूं कि समस्यायें उस समय भी थीं और आज भी हैं । और इससे पहले भी थीं । उनको ८ महीने अथवा ५ महीने जितना भी समय उन समस्याओं पर विचार करने का समय मिला लेकिन यह समस्यायें उस समय भी मुंह बाये खड़ी थीं और आज भी मुंह बाये खड़ी है ।

प्रश्न मूलतः केवल इतना है कि प्रदेश की आय बढ़ाने के लिये क्या किया जाय क्योंकि उसके बगर काम नहीं चलेगा । आज इस प्रदेश की अनुमानित आय २,३६० करोड़ रुपया है और इससे पहले अगर ४७ की याद दिलाऊं तो यहीं कहना पड़ेगा कि उस समय आय बहुत कम थी । अगर मैं अपने प्रदेश के संबंध में मैं चर्चा करूं तो यह केवल भारतवर्ष का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े देशों में एक है । मैं देश की संज्ञा इसे इस मानी में नहीं दे रहा हूं कि यह स्वतः अपने आप को शासित करता है बल्कि इस मानी में यह संज्ञा दे रहा हूं कि संसार का १/५ हिस्सा हिन्दुस्तान है और उसका १/५ हिस्सा यह प्रदेश है । इस तरह यह बड़ा

प्रदेश है और इसकी बड़ी समस्यायें हैं । माननीय नारायण दत्त तथा मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस संबंध में गंभीरता से विचार किया है और हमारी जो योजनायें थीं उनको मूर्त रूप प्रदान किया है । इसकी आय बढ़ाने के लिये एकमात्र उपाय यह किया है कि इस प्रदेश को कुछ कारपोरेशन्स में बांटा जाय और उनको यह छूट है कि वे अपनी आय में वृद्धि करें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

बांकेलाल जी ने एक सवाल किया था बैंक के बारे में, उसका उत्तर यह आया कि उत्तर देना बैंक के हित में नहीं है । इसी प्रकार जो निगम तथा परिषदें स्थापित की जा रही हैं उनसे विधान सभा की शक्ति क्षीण हो रही है और आप यह जवाब न देने लगें कि ये स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, उनके संबंध में जवाब देना लोकहित में नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा क्या समय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव स्वीकार किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दिया था कि ५ बजे के बाद १ घंटा बढ़ा दिया जाय ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

दो घंटे की बात थी ।

श्री अधिष्ठाता—

मुझे यह बतलाया गया है कि माननीय अध्यक्ष १ घंटे के लिये कह कर गये हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

संसदीय कार्य मंत्री तथा मुख्य मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि दो घंटे का समय अगर बढ़ाया जाता है तो उनको कोई आपत्ति न होगी क्योंकि इधर उधर के काफी सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं । इसलिये दो घंटे हो जायं तो कोई दिक्कत नहीं होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वैसे दो घंटे की बात हो रही है किन्तु डेढ़ घंटा सही···· अच्छा दो घंटा ही रखिये ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

अगर बोलने वाले हों तो दो घंटा रखिये और अगर बोलने वाले न रह जायं तो २ घंटा बैठकर क्या कीजियेगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं यह जिक्र कर रहा था कि हमारे इस प्रदेश की आय कैसे बढ़े, यह हम सबके लिये एक बड़े चिन्तन का विषय रहा है। यह जो बजट हमारे और इस सदन के सामने पेश किया गया है, उसमें मैंने जानबूझकर माननीय नारायणदत्त जी को बधाई दी है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी कल्पना से कार्य किया गया है और आय के साधनों को जुटाने की चेष्टा की गई है । इसकी ओर मने सदन का ध्यान दिलाया था और शायद सदन को स्मरण होगा कि मैंने कहा था कि जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन क्षेत्रीय विकास निगम, उत्तर प्रदेश ट्रांस-पोर्ट कारपोरेशन, राज्य सीमेंट कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश शुगर कारपोरेशन आदि इस प्रकार के कई एक कारपोरेशन की स्थापना यहां पर की गई हैं ।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

इसके अलावा कई एक नये कारपोरेशन्स का प्रश्न भी इस सरकार और सदन के सामने है । माननीय जायसवाल जी ने एक सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि इन कारपोरेशनों को बैंकों से रुपया नहीं मिलेगा । मान्यवर, मैं उनकी इस बात को नहीं मानता हूं । मेरा ख्याल है कि जैसे ही इन कारपोरेशन्स की स्थापना होगी, अपनी वित्तीय स्थिति ठीक होगी और उसी रूप से यदि वे वायेबिल यूनिट्स हुये तो निश्चित रूप से उनको वित्तीय सहायता मिलेगी । इससे निश्चित रूप से प्रदेश की उन्नति होगी और वह आगे बढ़ेगा ।

यही नहीं, जिन विभागीय फंक्शनल कारपोरेशन्स का मैंने जिक्र किया, उनके अलावा कुछ क्षेत्रीय कारपोरेशन्स भी हैं जो कि प्रदेश की प्रगति की ओर इशारा करते हैं । क्षेत्रीय समितियों को लेकर जिस प्रकार से प्रदेश की बढ़ोत्तरी और उन्नति करने की चेष्टा की गई है उसके लिये निश्चित ही यह सरकार बधाई की पात्र है । मान्यवर, मैं इसलिये भी कह रहा हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने एक जगह जिक्र किया है कि यह जो वित्तीय सहायता प्राप्त हुयी है, वह बढ़ी है । एक स्थान पर ८४ करोड़ रुपया, एक स्थान पर ३४ करोड़ रुपया और एक स्थान पर यह भी है कि वर्ल्ड बैंक ने इसके लिये सहायता देने की स्वीकृति दी है कि वह भी वित्तीय सहायता दे सकेंगे ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मुझे १० मिनट का समय और दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

सिर्फ ५ मिनट और दे सकते हैं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, माननीय जायसवाल जी को काफी समय दिया गया है । यदि १० मिनट दे सकें तो बड़ी कृपा होगी । जैसा कि श्रीमन् को मालूम ही है कि मुझे बोलने से रोकने की चेष्टा भी की गई है । तो मान्यवर, मैं यह जिक्र कर रहा था कि हमारे जो प्लान के रूप हैं उसमें भी निश्चित रूप से एक दूसरे ही रूप को लेने की चेष्टा की गई है । सारे सदन को मालूम है कि प्लान में शुरू में २०९ करोड़ रुपये ही खर्च करने की योजना थी लेकिन इस समय २२५ करोड़ रुपये की योजना है । प्लान की बढ़ोत्तरी में दोनों चीजों का समावेश किया गया है । इसमें शिक्षा, जन स्वास्थ्य, हरिजन और पिछड़ी जाति के ऊपर काफी बढ़ोत्तरी के प्रयास किये गये हैं ।

हम जानते हैं कि प्लान के संबंध में दिल्ली में भी आजकल बहुत बड़ी चर्चा चल रही है । और अखबारों में मेरे मित्रों ने पढ़ा होगा कि श्री सुब्रह्मण्यम और दूसरे प्लान से संबंधित व्यक्ति आज इस चेष्टा में लगे हुये हैं कि प्लान के दो ही रूप बना सकें । एक रूप तो यह कि प्लान जाब-ओरिएंटेड हो, यानी नये कार्य प्लान में मिल सकें । दूसरा यह कि प्लान की जहां से शुरुआत हो वहीं से इस देश की तरक्की की कहानी का प्रारम्भ हो जाय । यह नहीं कि प्लान में बहुत से कार्य चलते रहें और उनकी पूर्ति न हो । एक ओर यह भी चेष्टा है कि आज जितने उनके कार्य हैं सबका समावेश प्लान में कर दिया जाय । जबकि केंद्र रूप से इस चीज को स्वीकार किया जायगा तो राज्य में भी प्लान के रूप को स्वीकार कर लिया जायगा, यह मेरा विश्वास है ।

कुछ चीजों की ओर बहुत बड़े कदम उठाये गये हैं, उनका मैं दो-तीन वाक्यों में जिक्र करना चाहूं तो यह कहूंगा कि पिछड़ी हुई जाति या वे लोग जिनके संबंध में आजतक दूसरे रूप में चिन्तन करते रहे हैं उनके सामने इस बजट में बहुत काफी तथ्यों को दिया गया है । अभी हाल में एक रिपोर्ट छपी-एक नहीं दो रिपोर्ट का अखिल भारतीय रूप से प्रकाशन हुआ था । एक

रिपोर्ट तो थी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स के संबंध में । इस तथ्य को स्वीकार करने में एतराज नहीं होना चाहिये कि उनके संबंध में कई चर्चायें चली कि ये बहुत स्थान पर मुनाफा नहीं देती हैं या नहीं देती हैं । इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिये इसको सोचने और स्वीकार करने में । जब चर्चा चली तो यह तय किया गया कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में निश्चित रूप से कुछ ऐसा किया जाना चाहिये जिससे कि चलाने वाले लोगों का एक प्रशिक्षण हो सके ।

हमारे यहां एक स्टेट इकोनामिक्स सर्विस की चर्चा हुयी यानी एक ऐसी सर्विस की परिकल्पना है जिसमें कि हमारी स्टेट अन्डरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्स पर कार्य करने के लिये कुछ लोगों का प्रशिक्षण किया जा सके । इसी प्रकार से श्रीमन्, जहां पर एक ओर इस चीज की चर्चा है, दूसरी ओर एक और भी चर्चा है । कल या आज ही उसकी चर्चा कुछ गिरि साहब के भाषण के द्वारा थी । आज उन्होंने स्पष्ट किया कि देश को सोचना चाहिये कि हमारी प्रत्येक चीज का ब्यूरोक्रैटाइजेशन नहीं करना चाहिए । यह नहीं कि सब कुछ ब्यूरोक्रसी के हाथ में दे दिया जाय, यह उचित नहीं है । यह भाषण उन्होंने जवाहर इंस्टीट्यूट में दिया । तो पब्लिक अन्डरटेकिंग्स को ब्यूरोक्रैसी के हाथ में सौंपा जाना रोका जाना चाहिये । इस बजट भाषण में उसका जिक्र होना यह प्रसन्नता की बात है ।

जहां इस चीज की चर्चा है वहां दूसरी ओर एक बड़ी चीज और है और मेरा ख्याल है कि उसकी ओर ध्यान जाना चाहिये । वांचू कमेटी बैठी और उसने तय किया कि इस देश को खबरदार हो जाना चाहिये । चाहे हमारी हरित क्रांति सफल हुई या नहीं, अनाज का टार्गेट और लक्ष्य पूरे हुये हैं । लेकिन आज की हमारी अर्थ-व्यवस्था निश्चित रूप से ऐसी है कि जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को वह सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है जो होनी चाहिये और उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया कि आज की हमारी अर्थ व्यवस्था में निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस चीज का ख्याल किया जाना चाहिये कि आज उनके संबंध में सोच समझ सकते हैं । आज वे प्रगति के पथ पर हैं, लेकिन निश्चित रूप से यह सोचना गलत होगा । उनका भार निरन्तर बढ़ता चला जाता है । आबादी और बच्चों के बढ़ने से और भूमि के न बढ़ने से एक भार निरन्तर बढ़ता जाता है । उसको किस तरह से कम किया जा सके उसका भी जिक्र इस बजट भाषण में हुआ है और अगर इंडस्ट्रियल यूनिट्स के जरिये से यह कार्य पूरा किया जा सके तो उचित होगा ।

मैं केवल दो चीजों की चर्चा और वह भी बहुत थोड़े समय में समाप्त कर देना चाहता हूं । जहां तक सोशल सर्विसेज का प्रश्न है इसमें एक ओल्ड एज हाउसेज की स्थापना की बात है लेकिन कहीं ऐसा न हो कि अन्त में यह पायें कि हमारी यह सारी योजनायें लापसाइडेड हैं और हमारी सोशल नीड्स बिछड़ जायं । संसार के जितने अंधे हैं उनमे से एक-तिहाई अन्धे और आंख के रोगी भारतवर्ष में हैं और भारत वर्ष में जितने अंधे और आंख के रोगी हैं उनमें से लगभग आधे से कुछ कम उत्तर प्रदेश में हैं । यही नहीं, बल्कि संसार में जितने कुष्ट रोगी हैं उनका करीब-करीब छठा हिस्सा भारतवर्ष में है और उसका करीब आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है । और भी बड़ी समस्यायें हैं, जसे कि मस्तिष्क रोग के रोगियों की बात है । उनकी भी बहुत बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में है । इन सब के लिये अगर समय रहते हमने कुछ नहीं किया तो हमारी ये सब योजनायें लापसाइडेड रह जायंगी ।

इसी प्रकार से मेडिकल सर्विसेज के संबंध में अंतिम रूप से कहना चाहता हूं । ५९ पैसे से बढा कर १ रुपया प्रति मरीज करने की योजना है । लेकिन कितना अपर्याप्त है यह इसका तो इसी से अन्दाज लगाया जा सकता है कि यह जो वेलफेयर स्टेट है उसमें हमारी कल्पना यह थी कि प्रत्येक रोगी के रोग का हम कुछ प्रबन्ध कर सकेंगे । लेकिन अभी तक तो कुछ रोग ऐसे हैं जिनकी परिचर्या के लिये साधन हमारे प्रदेश में कम हैं । इस ओर भी कुछ ध्यान देना होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः वित्त मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं ।

*श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने पहले हमारे साथी लक्ष्मी-रमण जी आचार्य जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं का भाषण सुना और फाइनेंस मिनिस्टर के बजट का कागज भी हमारे पास है । कोई भी सरकार जो अपने बजट को प्रस्तुत करती है, ठीक ही है उन्होंने उसे प्रस्तुत करते समय अपनी पालिसी का जितना भी अधिक निखार कर सकते थे किया और उस निखारपन में उन्होंने बहुत सी बातों को कहा है । माननीय तिवारी जी बजट भाषण कर रहे थे तो जैसे उपदेश होता है, पंचतंत्र की बातें हितोपदेश में तिवारी जी पढ़े होंगे, तो हितोपदेश का जैसे आख्यान होता है, उपाख्यान होता है, मैं आपको बधाई दूंगा कि अपने बजट भाषण को पंचतंत्र और हितोपदेश के आख्यान के रूप में रख दिया । मैं तिवारी जी को याद दिलाऊं कि हिन्दुस्तान की जो आज चौथी योजना चल रही है इसके पहले तीन वार्षिक योजनायें भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के न बनने के बीच में लागू हो चुकी थीं। इन सब योजनाओं को मिलाकर पहली योजना में २३७ करोड़ रुपये, दूसरी में ४,८५० करोड़ रुपये, तीसरी में १०,५०० करोड़ रुपये, चौथी में २१,५०० करोड़ रुपये और दो-दो हजार करोड़ रुपये की दो-तीन वार्षिक योजनायें भी आयीं ।

अभी मैं जोड़ रहा था कि इस देश में प्लानिंग विकास की तिथि से आज तक लगभग ३९–४० हजार करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति कभी २४/२६ और २०० रुपये भी नहीं पहुंचा है । लेकिन जहां आपने इसका जितना ढिंढोरा पीटा है वहां उसकी एक साइड को छोड़ दिया है । हिन्दुस्तान के प्लानिंग पर देश में अब तक १५/२० साल के बीच में प्रति व्यक्ति ५०० रुपये भी प्लानिंग पर व्यय नहीं हुआ है । पर कैपिटा प्लानिंग पर ज्यादा से ज्यादा ३००/४०० रुपये पहुंचा होगा । यूनाइटेड नेशन्स के जो देश हैं उनकी सोशियों इकोनोमिक कंडीशन किस तरह से गुजरी है, उसको बताना चाहता हूं । अमेरिका जिसकी इकोनोमी एट पार कहते हैं वह कितने समय में उस स्थिति पर पहुंचा है। मेरे ख्याल से आज ३०/७० साल का अमेरिका है और हिन्दुस्तान की २५वीं जयन्ती मनाई जा रही है, २५ साल आजाद हुये हो गये हैं और १९५२ से लेकर आज तक २२ साल प्लानिंग के युग को हो गये हैं । एक तरह से २५ साल मान लीजिये।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जिन बातों का उल्लेख किया है, मैं केवल दो उदाहरण देना चाहता हूं कि जितना रुपया देश के ऊपर खर्च हुआ उसके कारण हमारे देश पर ८ हजार करोड़ रुपया खर्च हो गया है जिसका करीब करीब ५०० करोड़ रुपया सूद में देना पड़ता है और इतना ही रुपया इस सरकार के ऊपर यानी आठ हजार करोड़ रुपया इस देश के लोगों का है, उनको भी उतना ही सूद देना पड़ता है । जिन चीजों पर आप गर्व करते हैं । आखिर आपके यहां भिलाई, दुर्गापुर और राउर केला में सब से बड़ी इंडस्ट्री है । इन तीनों कारखानों पर १,१६५ करोड़ रुपया लग चुका है। इसको भी देखा जाय कि कितना चंदा हुआ । मैं चाहता हूं कि जैसा कि माननीय जायसवाल जी ने कहा कि आपके सोशलिज्म के अन्तर्गत नेशनेलाइजेशन अनिवार्य हो जाता है । लेकिन डैमोक्रेसी के अन्तर्गत मैं माननीय तिवारी जी को याद दिलाऊं कि जब कांग्रेस के नेताओं में विचार-विमर्श हुआ तो भुवनेश्वर में कांग्रेस ने निश्चय किया कि वह सोशलिज्म डेमोक्रेसी में लायेगी । मैं भी उस समय ए० आई०सी०सी० का मेम्बर था, कांग्रेसी नेताओं ने बहुत सोच विचार के बाद निश्चय किया डेमोक्रेसी के आधार पर सोशलिज्म का विकास होगा । किसी हद तक पार्लियामेंटरी को डिनाई करने की हालत में पहुंच गये हैं । केंद्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार द्वारा अब वह स्टेज आ गई है कि मुझे लगता है कि ऐसा खतरा है कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी से जनता महरूम न रह जाय ।

वक्त ने भाषण का पुनर्लिखण नहीं किया।

मुझे बड़ा अफसोस हुआ और लोग कहते हैं कि श्री सुब्रमणियम ने बड़ी भारी योजना तैयार की है जिससे गरीबी दूर हो जायेगी । सुब्रमणियम जी भारत की केबीनेट के सदस्य रहे हैं और मद्रास में भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने गरीबी दूर करने की योजना बनायी है। मुझे अफसोस होता है तिवारी जी, अगर मैं यह कहूं कि इस बजट में आपने लफ्फाजी की तो हो सकता है यह शब्द असंसदीय हो जाय । एक अंग्रेजी की कहावत है जिसका भावार्थ यह है कि यह शब्दजाल पत्तियों के समान है और जिस पेड़ में पत्तियां ज्याद होती हैं उसमें फल नहीं लगते । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का बजट एक शब्दजाल है, उसमें कोई फल लगने वाला नहीं है । मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बता देना चाहता हूं कि इस बजट के द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता का विकास होने वाला नहीं है ।

डेफीसिट फाइनेंसिंग का जिक्र हुआ । मैं यह मानता हूं कि डेवलपिंग एकोनामी में डेफीसिट फाइनेंसिंग आवश्यक है । डेफीसिट बजट डेवलपिंग एकोनामी में अच्छा माना जाता है और इसलिये अच्छा होता है कि केपीटल फारमेशन में आप उस वायदे को पूरा करेंगे । लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां ३–४ साल से क्या हो रहा है । पिछले साल ४८ करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश हुआ था । मैंने मान्यवर, दुनिया के इतिहास में और बजटों के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं देखा कि घाटे का बजट पेश हो और घाटे के बजट की पूर्ति में जमा का खाता न लिखा जाय । खाते में आमदनी को निश्चित रूप से दिखाया जाना चाहिये लेकिन आमदनी की साइड ब्लैंक छोड़ दी गयी । आपने इस बजट का नाम रखा है परफारमेंस बजट । यह शब्दजाल नहीं तो क्या है कि आपने जमा के खाते को बिलकुल वैसे ही छोड़ दिया ।

आप कहते हैं कि आपने मास मेंडेट प्राप्त किया है । फिर आपको डर किस बात का है । जितने करोड़ के घाटे का बजट आपका है उतने करोड़ के साधनों के लिये आपको जनता के सामने आना चाहिये । आपने जब जनता का मास मेंडेट प्राप्त किया है तो फिर आप क्यों नहीं उसका विकास करने के लिये मास टैक्सेशन का प्रपोजल लाते हैं । आपने अपनी डेवलपिंग एकोनामी में १६ हजार करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर में रखा है । मैं चाहता हूं कि आप सारी चीजों का नेशनलाइजेशन कीजिये १०० फीसदी कीजिये । लेकिन आज जो तूफान है उसको अगर आप देखें इस साइड में कांग्रेस का यह दुर्भाग्य है कि इधर चाहे किसान का ही लड़का क्यों न हो, वह रिऐक्शनरी हो जाता है और उधर चाहे राजा महाराजा ही क्यों हो, वह प्रगतिशील हो जाता है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि यह राजा महाराजा आपकी तरफ क्यों भाग रहे हैं । मछली कहां रहती है? गहरे पानी में । "सुखी मीन जहं नीर अगाधा"

यह राजा, यह पूंजीपति, यह बिरला, यह टाटा, यह करण सिंह और नवाब रामपुर क्यों आपकी शरण में जा रहे हैं ? यह सारी मछलियां हमारे जाल से निकलकर आपके जाल में क्यों फंस रही हैं ? कारण यही है कि क्योंकि वहां पर नीर अगाध है और वह समझते हैं कि जीवन की रक्षा का अमोघ अस्त्र वहां पर है और इसीलिये अबाध गति से उधर लोग बढ़ते जा रहे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

मछलियां ही नहीं मगरमच्छ भी जा रहे हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय––

इतनी ज्यादा पालिटीशियन की भगदड़ मची है उसकी वजह यह है कि जो वहां जाता है वह समझता है कि वहां जाने से हमारे हितों की रक्षा होगी । अगर कुत्ता के सामने मालिक रहे और उसकी निगाह देख ले कि वह मारेगा तो वह भग जायगा और अगर वह देखता है कि मालिक की प्यार की नजर है तो वह दुम हिलाने लगता है । लेकिन जो लोग उधर जा रहें हैं

[श्री बंशीधर पांडेय]

उनको तो भगवान ने बुद्धि और चेतना सब कुछ दिया है, सब तरह से वह मजबूत लोग हैं उनका अच्छा रहन-सहन है और वह अपने अच्छे दिमाग को लेकर उधर भागे जा रहे हैं। वह इसी लिये भागे जा रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि उनके हितों की रक्षा इससे होती है।

हमारे तिवारी जी के कोट में इतनी जेबें हैं कि वह हर एक को किसी न किसी जेब में रखकर उनकी रक्षा कर सकेंगे। ऐसा कहने में हमें हंसी आती है लेकिन मैं प्रदेश की जनता को आज चुनौती देता हूं कि वह देखें कि इस बजट के अन्तर्गत वर्तमान स्थिति में गरीबी हटाओ का नारा तो दूर रहा जिस तरह से गर्मी के प्यासे मृग को आग और धूप की लपट में शीतल पानी की लहरें दिखाई देती हैं उसी तरह से यहां की जनता को यह केवल मृगमरीचिका की ही भांति एक धोखा दिखाई देगा और यह गरीबी हटाओं का नारा ही लगाते रहेंगे। अभी हमने सुना कि माननीया बेगम साहिबा ने बंगला देश की बात यहां रखी और तमाम मुसलमानों की बात उसमें लाकर रख दी जैसे कि उनका गिलटी कानशेंस था और वह बार-बार उसको लेकर यहां हिन्दू मुसलमान की बात कर रही थीं। आज देश में हिन्दू मुसलमान की बात नहीं है।

श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल)—

उधर से मुस्लिम मजलिस के एक मेम्बर साहब ने चूंकि यहां कुछ गलतफहमी फैलाने की कोशिश की थी इसलिये मुझे मौका मिला तो मैंने मुसलमानों की तरफ से उसको रफा करने की कोशिश की।

श्री बंशीधर पांडेय—

अगर मजलिस की बात थी तो वहां मजलिस से निपटिये, यहां सेकुलर लोग हैं, अगर मुस्लिम मजलिस के एक सदस्य ने छेड़ दिया तो आप मुसलमानों पर भाषण देने लगीं। बंगला देश में भारत के इतिहास में जो कुछ हुआ उस पर हमें गर्व है, हम सबको उस पर गर्व है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज इस शासन के लोग समझते हैं कि वहां जो कुछ किया वह हमने किया। हम जानना चाहते हैं कि जितने मंत्री बने हैं उनमें से कितने मंत्रियों के बेटे वहां फ्रन्ट पर गये या आपकी प्रधान मंत्री के गये? उनका तो जो एक फ्लाइट आफिसर था उस को भी वापस बुला लिया। आप किस बात पर गर्व करते हैं जबकि सारा कारनामा वहां देश की जनता ने दिखाया?

एक आवाज—

हम आप के सहयोग पर गर्व करते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

आपको धन्यवाद है, ऐसा लगता है कि कुछ इंडीकेट में भी सच्चे लोग हैं। बंगला देश का प्रश्न हमारा एक राष्ट्रीय प्रश्न था और हमें उस जीत पर गर्व है, अपनी जनता के और वीरों के शौर्य पर गर्व है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हमारी केंद्रीय सरकार ने बंगला देश को केश क्राप बनाकर देश की जनता के सामने बैंक नेशनेलाइजेशन प्रीवीपर्सेज और तीसरी यह बंगला देश को मृगमरीचिका लाकर रख दी। हमारे एक इंडीकेटी साथी कह रहे थे कि अभी तो इंदिरा जी न मालूम कितने केश क्राप के नक्शे लायेंगी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप क्रापसे तो महरूम ही रह जायंगे और मृगमरीचिका ही आप के हाथ लगेगी।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

इस मृगमरीचिका में कहीं पांडेय जी न फंस जायं।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप तो पहले से फंसे हैं लेकिन मैं आपके दिल की वेदना को नहीं कहना चाहता। शास्त्री जी भी हमारी बात की ताईद कर रहे हैं। एक-एक दिल की वेदना लिये हुये माफ करें

बहि में एक कठोर सत्य कहूं कि जिस दिन कांग्रेस का बटवारा हुआ और हमारा मस्तक झुका जब कि कांग्रेस के कुछ लोग १६ अगस्त को अलग हुये थे ।८० आदमी इधर थे और १४० आदमी उधर थे । अपोजिशन की स्ट्रेंग्थ भी थी । आज २८० में से ८० को माइनस कर दीजिये । २०० आदमी दल बदलुओं के रूप में उधर बैठे हुये है । देश में यह प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और दल बदलुओं की मैजारिटी के बल पर आप इस बजट को पेश किये हुये हैं ।

आज आप इर्रीगेशन और पावर को ले लीजिये। आपने कहा था कि इर्रीगेशन कमर्शियल डिपार्टमेंट है । इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी आपने कर्मशियल डिपार्टमेंट कहा था लेकिन १९६९ में जब मैं सरकार में था तो कैबिनेट में यह बात आयी कि ट्यूबवेल्स से १२ या १२ १/२ करोड़ का घाटा होता था। उत्तर प्रदेश में एक ट्यूबवेल में १२ लाख का खर्च होता है । ये १२ करोड़ का घाटा करके ड्रिंक करते जा रहे हैं । ये आपके कर्मशियल डिपार्टमेंट हैं । अब यह घाटा १५ करोड़ रुपये का हो गया है १,५०० ट्यूबवैल हैं । आप ८० फीसदी किसानों के प्रतिनिधि बन कर आये हैं । कल जब माननीय बैनी सिंह जी बोल रहे थे तो मैंने उनके भाषण को सुना । उन्होंने कहा कि हमें प्राइस सपोर्ट देनी पड़ रही है । किसानों के उत्पादन के लिये आपको प्राइस सपोर्ट देनी पड़े और बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं, उनके लिये प्राइस की इन्डेक्स बराबर हाई करते चले जायेंगे खाद की ट्रैक्टर की, सिंचाई, और जो बिजली की कीमत आपने बढ़ा दी है और गेंहूं की कीमत आप कहते हैं कि घट जायेगी । आप किसानों के प्रतिनिधि बनकर यहां पर आये हैं ८० फीसदी क्षेत्रों में जाकर अगर आप कहें कि हम उनके प्रतिनिधि हैं तो इस बजट को उठाकर फेंक दीजिये । देश में सबसे महंगी खाद हमारे प्रदेश में है। बिजली भी हमारे हिन्दुस्तान म महंगी है । सिंचाई का रेट महंगा है । लिफ्ट इर्रीगेशन कितनी महंगी होती जा रही है । इस बजट में पुराने कामों को छोड़ा है ।

अब आप किसानों पर लैंड डेवलपमेंट लेवी और लगाने जा रहे हैं एक ओर तो सवा ६ एकड़ लगान माफी हुयी और दूसरी ओर अपने सेक्रेटरीज की ओर से, आपकी ओर किसान नहीं है यह लैन्ड डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दी है । ५०० करोड़ का सेन्ट्रल टैक्स विभिन्न सरकारों का इस प्रदेश की जनता पर है । आप कितने टैक्स लगाना चाहते हैं ? अब केवल पसली रह गयी है, इसको भी तोड़ना चाहते हैं। इस सरकार के तख्ते को वे उलटने के लिये तैयार रहते हैं । इन शब्दों के साथ में इस बजट का घोर विरोध करता हूं ।

*श्री पन्ना लाल गुप्त (जिला फतेहपुर)––

अधिष्ठाता महोदय जो बजट १९७२–७३ का माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

जहां तक बजट का सवाल है, हमारी सरकार की निगाहें दूर दूर तक गयी हैं । गरीबों तक गये हैं गरीबों तक गये हैं और उन्होंने जन उपयोगी और जो चीजों की उनको जरूरत है उस पर निगाह डालकर इस बजट में प्राविधान किया है और आगे भी इस तरह की निगाहें सरकार की हैं । तो शाद हमारे समाजवाद का लक्ष्य शायद कुछ हद तक पूरा कर सके । आगे आने वाली चीजों के लिये भी इस बजट से कुछ रोशनी मिली है।

फाइनेन्शियल हैन्ड बुक में कुछ तरमीम करने की वित्त मंत्री ने कुछ बात कही है। मैं जानता हूं कि हमारे प्रदेश का जो पिछड़ापन है वह इस फाइनान्शयल हैन्ड बुक के कारण है। इसके जरिये से नवम्बर के महीने में फाइनेन्स वाले ध्यान नहीं देते हैं । नवम्बर के बाद कह देते हैं कि हम बजट बना रहे हैं। मार्च में आपका बजट पेश हो जाता है। तो इस तरह से वे १५ मार्च के बाद ग्रांट्स को रिलीज करना शुरू करते हैं। अधिष्ठाता महोदय, मुझे माफ किया जाय मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि आपके जरिये से कि २९ मार्च तक की ग्रान्ट रिलीज करते हैं और जब कि तीस मार्च को बैंक खुले हैं। ३१ को बन्द हो जाते हैं। २९ की शाम तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री पन्ना लाल गुप्त—]

३० को तुवह तक ग्रान्टें रिलीज होकर गई हैं। आप समझिये जब २९ को ग्रान्ट रिलीज होकर जावेगी तो किस तरह से रुपया दिया जाता है। तो दूर दूकानदार किस तरह से रद्दी सद्दी समान खरीदार के हाथ बेचता है और किस तरह से पैसे का दुरुपयोग होता है और घाटे का बजट इन्हीं फाइनेन्स वालों के हाथ से मुनाफे में बदल जाता है और लैप्स हो जाता है और हमारा प्रदेश पिछड़ा रह जाता है।

आज सबसे बड़ी चीज यह है कि आज हमारी ब्यूरोक्रेसी को इतना बढ़ावा मिला है कि वह समझती है हम ही सब कुछ हैं। मैं आज आपके जरिये से माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि जब वे इस तरह बजट को पेश कर देते हैं तो बजट पेश करने के बाद और पास होने के बाद वह हेड्स आफ दि डिपार्टमेन्ट को देदें और वे इसको इस्तेमाल करें। अगर वे कोई गलती करते हैं या लापरवाही करते हैं कोई बेईमानी करते हैं तो उनको पकड़ें और पकड़कर उसको देखें। मगर जो यह सबसे बड़ा फाइनेन्स डिपार्टमेंट वह आड़े आ जाता है और जब १५ मार्च को रुपया मिलता है तो इसी तरह से उसका इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक मिसाल दूं। अभी स्वास्थ्य विभाग में फैमिली प्लानिंग के लिये एक साहब को विदेश जाना था ट्रेनिंग के लिये और देखने के लिये। कौन गया? आपके ही स्वास्थ्य सचिव गये जो आई० ए० एस० साहब हैं और जो दूसरे डिपार्टमेन्ट में बदल जायेंगे। दूसरे से तीसरे डिपार्टमेन्ट में चले जायेंगे। उन्होंने ७५ हजार रुपया पब्लिक का अपने आने-जाने में खर्च किया और उसका प्रदेश को कितना फायदा होगा यह आप समझें।

दूसरी बात जो मैं देख रहा हूं यह यह है कि फेमिली प्लानिंग में कितना रुपया खर्च हो रहा है कितना उसका दुरुपयोग हो रहा है। बुलन्दशहर में यह हुआ गोरखपुर में इतने से इतने बधिया हुये। मगर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह सुझाव देना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय आपके जरिये से सरकार को कि जहां फैमिली प्लानिंग पर इतना रुपया खर्च करते हैं गरीबों की नसबन्दी होती है लूप लगाये जाते हैं, क्या वह बड़े सरकारी अधिकारियों पर लागू नहीं होगा जिस तरह से शादी के लिये सरकार ने कानून बनाया है कि जो अफसर दो शादी करेगा उसको बरखास्त कर दिया जायेगा उसी तरह से यह भी करिये कि जो तीन लड़कों से ज्यादा पैदा करेगा उसको नौकरी से अलग कर दिया जायेगा। और मिनिस्टर और एम० एल० ए० पर भी यह लागू हो तब तो यह फैमिली प्लानिंग है नहीं तो पर 'उपदेश कुशल बहु तेरें'। हम तो बधिया न हों और दूसरों को बधिया करते चले जाते हैं। हमें उसको लागू करना चाहिये।

एक उदाहरण बताऊं। मुरादाबाद में अमरोहा तहसील के तहसीलदार के यहां १२वां बच्चा पैदा हुआ। उसने वह जशन मनाया जो राजाओं के यहां राजकुमारों का मनाया जाता है। तीन दिन तक दावतें चलती रहीं। यह सरकारी अधिकारियों का हाल है कि ११वें बच्चे के बाद १२वें का जन्म मनाया जाय और दूसरे लेखपाल और अमीनों, को सस्पेंड किया जाता है कि उन्होंने नसबन्दी क्यों नहीं कराई। मैं अपने मंत्री जी को क्या कहूं इन्होंने आई० ए० एस० को हर मशीन का ड्राइवर बना रखा है। चाहें उसको स्टेयरिंग पकड़ना आवे या न आवे। बिजली विभाग में देखिये, मेडिकल विभाग में देखें, सभी जगह आई० ए० एस० आफीसर बैठा रखा है और यह हर जगह गड़बड़ करते हैं। जहां टेक्निकल मामला है, जैसे बिजली है, स्वास्थ्य है, पी० डब्लू० डी० है, सिंचाई है, टेक्निकल आदमियों को ही सेक्रेटरी बनावे। यह मेडिकल में ऐडमिनिस्ट्रेटिव आदमी बैठा रखा है, यह क्या जाने डाक्टरी के बारे में।

अधिष्ठाता महोदय, आज हमारी सरकार कामर्शियल बेसिस पर बात सोचती है लेकिन वैसा काम नहीं है। सिंचाई विभाग में अगर कहीं कोई नहर कट गई तो ३—३ रोज तक कोई पहुंचता नहीं है और लाखों रुपये का पानी बह जाता है अगर जीप हो तो वह फौरन वहां जाकर उसका सुधार कर सकते हैं और अच्छा इन्तजाम कर सकते हैं जिससे हमारा भला होगा। फतेहपुर डिवीजन में अब तक ३ लाख रुपये की आबपाशी

में बढोतरी हुई है। इसलिये कि वहां नहर की सफाई होनी है, लेकिन इन्तजाम कोई नहीं । दूसरी तरफ पुलिस विभाग में आपने जीप दे रखी है परन्तु जुर्मों की तादाद रोजबरोज बढ़ती चली जा रही है । जीप देने के बावजूद भी खुल्लमखुल्ला काम नहीं होता । मैं प्रार्थना करूंगा अपनी सरकार से कि इस तरफ देखे और नौकाशाही को दबायें ।

मैं आपके सामने उपनिषद का एक उदाहरण दूं जिसमें कहा गया है कि आत्मा शरीर रूपी रथ पर सवार है अगर इसी तरह से इन्द्रो की बात कही गई है । तो हमारे मुख्य मंत्री जो हैं वह बुद्धि रूपी सारथी हैं, मंत्री लोग लगाम हैं और अफसर घोड़े । अगर मुख्य मंत्री अपनी बुद्धि के द्वारा मंत्री रूपी लगाम लगाकर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जरा लगाम ढीली हुई तो घोड़े अपने दांत के नीचे दबाकर पता नहीं ९ करोड़ जनता को कहां डुबोयें कुछ हिसाब नहीं । आज यह हालत है यूरोक्रेसी की । अगर आप समाजवाद की ओर प्रदेश की जनता को ले जाना चाहते हैं तो इस तरफ भी देखना होगा

एक बात और कह दूं कि मेरठ रीजन में खाद्य विभाग में सन् १९७०-७१ में पहली मुनाफे की बैलेंसशीट बनी । फिर आडिट हुआ, ३ लाख के घाटे की बैलेंसशीट बनी । फिर उसके बाद १३ लाख की बैलेंसशीट बनी । एक-एक साल में ३-३ बैलेंस-शीट बने और हमारे मंत्री लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं कि बैलेंसशीट बदल जाय । आज खाद्य विभाग में ६० लाख रुपये का घाटा है । किसानों से कहा जाता है कि छानकर गेहूं लाया जाय और हम लोगों को कन्ट्रोल से मिट्टी मिला हुआ गेहूं मिले । हमें इन सब चीजों को देखने की जरूरत है । आज गल्ले का भाव ७०-७२ रु० लगाने के लिये हम सुझाव दे रहे हैं ।

आज हम २२ रु० की खाद ५२ रु० में ले रहे हैं, सिंचाई के दाम बढ़े हैं और किसान चीनी को रु० ३.५० में खरीद रहा है । कपड़े के दाम बढ़ गये हैं । इस प्रकार से समाजवाद नहीं आ सकता है । आप को किसान के उत्पादन की वस्तुओं के दाम को भी बढ़ाना होगा । अथवा आप इन वस्तुओं के दाम को गिरायें । "मर मर जाय बैलवा और घोड़ा खाय मृदंग" घोड़ा कोई काम नहीं करता और खाया करता है और जब कि बैल हाड़ तोड़ मेहनत करता है पर उसको भरपेट खाना नहीं मिलता । इसी प्रकार से हमारे बड़े-बड़े आफिसर्स हैं वे खाते रहते हैं रईसी झाड़ा करते हैं । आपको समाजवाद लाना है तो आपको गरीबों को आगे बढ़ाना होगा उनकी गरीबी दूर करनी होगी । जो वस्तुयें किसान पैदा करता है उसके दामों को ऐसा रखना होगा कि उसको उचित मूल्य मिल सके । गांधी जी कहा करते थे कि बड़े आदमियों को घटाना होगा । अगर हमको बड़े आदमियों को घटाना है तो उनको जरा सा जमालगोटा दे देना होगा ताकि उनकी चर्बी कुछ कम हो साथ ही गरीबों को अगर बढ़ाना है तो उसको हमको चूरन देना होगा ताकि उनका भोजन पचे ।

गांधी जी ने भारत से अंग्रेजों को निकाल दिया वह इसी सिद्धान्त पर कि बड़े आदमी हमारे ऐसे निर्धन देश में न रहें । गरीबों को वह चूरन देने के पक्ष में थे, यही उनका सिद्धान्त था । इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वह भी अपनी निगाह जनता और किसानों पर रखेंगे और जो बड़े-बड़े अधिकारी हमारे खून-पसीने की कमाई को उड़ा रहे हैं उन पर नियंत्रण करेंगे । मान्यवर, आप देखें कि एक चपरासी का लड़का है जो सड़कों की स्ट्रीट लाइट में पढ़ता है क्योंकि उसके पास लाइट का कोई साधन नहीं है जब कि आपके यहां चार-चार बत्ती जलती है, ३, ३ पंखे चल रहे हैं । मैं जब लमार्टीनियर कालेज की तरफ घूमने जाता हूं तो प्रायः देखता हूं कि चपरासियों के लड़के सड़कों पर लेटे हैं, पढ़ने के साधन का उनके पास कोई इन्तजाम नहीं है । उनको एक बल्ब भी नहीं मिल सकता है । हम लोग गरीबों से चुन कर आते हैं, गरीबों की दोहाई भी देते हैं तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसको कामयाब करें । मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपनी निगाह को विस्तृत करें और समाजवाद के ढांचे को पूरा करें । जो बजट है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट चर्चा के अन्तिम दिन मुझको बोलने का अवसर दिया। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते में सदन में किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं रहा। हो सकता है कि मैं जो कुछ कहूं उसमें कुछ बातें दोहराई हुई भी हों, जिसके लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूं।

श्रीमन्, बजट का विषय इतना विस्तृत है कि मैं उसके सभी पहलुओं पर प्रकाश नहीं डाल सकता हूं। मैं जो कुछ कहूंगा आप उसको कहने का मुझको समय देंगे। बजट का प्रभाव किसानों और कृषि पर क्या पड़ने वाला है केवल इतने ही विषय तक मैं अपने को सीमित रखूंगा। अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण की शुरुआत अभी हाल ही में हुये हिन्द पाकिस्तान युद्ध से की है। उसमें सफलता प्राप्त हुई और उसके लिये उन्होंने सेना के जवानों की प्रशंसा की है। ऐसा करना उचित भी है। आज जो हमने विजय प्राप्त की है यह उन जवानों के शौर्य का ही फल है, कि प्रत्येक भारतीय का सर कुछ ऊंचा उठा है। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, उनके आश्रितों की जितनी सहायता की जाय, कम है, परन्तु मैं साथ ही यह भी कहे बिना नहीं रह सकता कि जो सफलता अभी हाल के युद्ध में प्राप्त हुई है, उसको संभव बनाने में किसानों से बड़ा योगदान रहा है।

मैं अभी केवल ५ वर्ष पूर्व की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सन् १९६७ में खाद्यान्न की स्थिति यह थी कि बन्दरगाह से सीधा लोगों के पास गल्ला भेज दिया जाता था। केवल पांच वर्ष में, आप विचार करें, देश आत्म-निर्भर हो गया है और हमें अब अन्न के लिये विदेशों का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है। यदि ऐसा न हुआ होता तो क्या हम युद्ध चलाने की स्थिति में हो सकते, क्या हमारी प्रधान मंत्री निक्सन की निगाह को नजरन्दाज करने की हिम्मत कर सकतीं। उनको ऐसा करने के पूर्व सोचने पर मजबूर होना पड़ता। यदि खाद्यान्न की कमी आई तो लड़ाई लड़ना कौन कहे, देश के अन्दर ही शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना कठिन होगा। जो हमारे देश का सर ऊंचा हुआ है तो उसका श्रेय जहां सेना के जवानों को मिलना चाहिये, वहीं इस देश के कृषि वैज्ञानिकों और कृषकों को भी मिलना चाहिये, जिन्होंने इसे संभव बनाया है।

श्रीमन्, मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि आज इस सुखद स्थिति में जब अन्न की कमी नहीं है, लोग इस बात को भूल गये हैं कि किसान और कृषि का कितना महत्व है। उनकी प्रशंसा या पुरस्कार की बात तो छोड़ दीजिये, उनको बार-बार दंडित किया जा रहा है। पिछले एक महीने के अन्दर उनको किस प्रकार से नीचे दबाने के .कदम उठाये गये हैं या प्रस्तावित हैं, उनकी मैंने एक सूची बनाई है। वह इस प्रकार है। उर्वरकों के दाम में वृद्धि। इस पर पहले १० प्रतिशत टैक्स था, अब १५ प्रतिशत कर दिया गया है। सिंचाई पम्प पर टैक्स आरोपण, बिजली की दर में वृद्धि, ट्रैक्टर के मूल्य पर भारी कर आरोपण। श्रीमन्, आप स्वयं सोचें, जब खादें, सिंचाई, जुताई सभी चीजों के मूल्य बढ़े तो फिर क्या किसानों के गल्ले के मूल्य नहीं बढ़ना चाहिये?

आपके दूसरी तरफ क्या चित्र है? एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन ने प्रस्ताव किया है कि गेहूं का मूल्य ६ रुपये प्रति क्विन्टल घटा दिया जाय। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है कि किसानों पर १० करोड़ रुपये का अधिभार लगाया जाय। केन्द्रीय सरकार ने एक कमेटी बनायी है कि कृषकों पर टैक्स लगाया जाय और श्रीमन्, यदि इन सारे उपायों से किसान न मरें, तो अंत में उसकी जमीन, बिना मुआवजा के छीन ली जाय—यह भी प्रस्ताव इस माननीय सदन के समक्ष आने वाला है। श्रीमन्, मैं इस विषय में थोड़ा विस्तार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से जाना चाहता हूं। इनमें सबसे आपत्तिजनक बात उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि है। आज जो किसानों के लिय घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनको संकोच नहीं है कि ये उस एकमात्र वस्तु पर, जिससे गरीब किसान का जीवन-स्तर ऊंचा उठ सकता है, भी टैक्स बढ़ा दें। दुनिया के सभी देशों से उर्वरकों की कीमत यहां सबसे अधिक है। अगर आज कोई उपाय है जिससे कि शीघ्र नतीजा किसानों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने में निकल सकता है तो वह है कि उर्वरक और पानी को सुलभ किया जाय। परन्तु केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इन दोनों की कीमत बढ़ा दी है।

श्रीमन्, मूल्यों के विषय में मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रस्ताव है कि गेहूं की कीमत घटा दी जाय। इस घटाने का क्या परिणाम निकलेगा, इसकी ओर म इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। १८ लाख टन उत्तर प्रदेश सरकार गेहूं खरीदना चाहती है। अगर उसे कीमत कम करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो अन्य खरीदारी के अलावा, केवल इस १८ लाख टन में उत्तर प्रदेश के किसान को १६ करोड़ ८० लाख रुपयों का नुकसान होगा। यह कीमत कौन निश्चित करता है? एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन। श्रीमन्, मैं इस कमीशन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। अभी कल संसद में प्रश्न पंछा गया कि इस कमीशन में क्या कोई ऐसा सदस्य है जिसको खेती की जानकारी हो? कृषि मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने जबाव दिया कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है। उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। दूसरी तरफ इस एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन ने जितनी सिफारिशें की हैं, वे एक भी मान्य नहीं हुई। उन सब में संशोधन हुआ है। अगर इस कमीशन के लोगों को जरा भी आत्म सम्मान हो तो उन्हें त्याग-पत्र दे देना चाहिय था कि उनकी एक भी सिफारिश नहीं मानी गयीं। लेकिन वे लोग कौन हैं? उनकी क्या योग्यता है? उनकी सारी योग्यता यह है कि वे सरकार की हां में हां मिलाना जानते हैं।

मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं और अपनी सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे जरूर इस प्रश्न को, जब मुख्य मंत्रियों की बठक हो, उठायें कि आखिर ऐसे एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन की क्या आवश्यकता है कि जो इतना निकम्मा है कि जिसके एक भी सुझाव को सरकार न मानें। सरकार ने क्यों नहीं माना और फिर भी इस निकम्मे प्राइसेज कमीशन को बनाय हुये हैं? इसके पीछे क्या राज है? राज इतना ही है कि सरकार चाहती जरूर है कि कीमतें गिरें लेकिन इसका दोष कमीशन के ऊपर जाय कि इस निम्नस्तर की कीमतें एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन ने रेकमेंड की है और बात में उसमें दो-चार रुपये का इजाफा करके सरकार मान लेती है और जन साधारण को यह इम्प्रेशन पड़ता है कि सरकार किसानों की हमदर्द है। देखो इसी कारण सरकार ने दाम बढ़ा दिये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल २–४ रुपये बढ़ाने के लिये यह सरकार कभी सिफारिश न करें, बल्कि वह बुनियादी प्रश्न यह उठाये कि एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन ने जो आज तक दाम फिक्स किये वे किस बुनियाद पर किये, कौन सा फारमूला उन्होंने अपनाया? क्या उसका संबंध उत्पादन व्यय से भी है या नहीं? क्या उसने किसानों की उन वस्तुओं के मूल्यों का भी अध्ययन किया जो किसान को खरीदनी पड़ती हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे जब माननीय मुख्य मंत्रियों की बैठक हो तो उसमें यह मांग करें कि इस निकम्मे एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन को भंग करें और इसके स्थान पर कोई ऐसी समिति गठित करें जिसमें ऐसे लोग हों जो खेती की कठिनाइयों से पूर्णतया अवगत हों, कृषि के बारे में भरपूर जानकारी रखते हों। वह समिति मूल्य निश्चित करे।

अब मैं उस प्रश्न पर आता हूं जो यह कहा गया है कि किसानों से १० करोड़ रुपया उनके विकास के लिये वसूल किया जायेगा। मैंने मान्यवर, किसानों पर कभी टैक्स लगाने का विरोध नहीं किया क्यों कि मैं इस बात को मानता हूं कि जो किसान जिस प्रकार की आमदनी करता है उसी हिसाब से उसको टैक्स देना पड़े। हमारी हमेशा यह मांग रही है कि किसान को भी एक समान स्तर से देखा जाय। उस पर भी आप समान रूप से टैक्स लगायें। माननीय

[श्री भानु प्रताप सिंह]

वित्त मंत्री जी ने बड़ी चतुराई के साथ यह कहा कि जो रुपया उनसे वसूल होगा वह स्थानीय निकायों पर ही व्यय होगा, उन्हीं के विकास पर व्यय होगा, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वही उसूल आपने शहरों में भी अपनाया है ? अभी-अभी हमने रेडियो पर सुना कि सरकार एक करोड़ कुछ लाख रुपया लखनऊ के बाढ़ संबंधी रक्षा कार्यों पर खर्च करने जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसी सिद्धान्त के अनुसार यह रुपपया लखनऊ वासियों से आप वसूल करेंगे ?

मैं एक दूसरा प्रश्न माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। क्या उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश की कि आखिर खेती में किस हद तक मुनाफा है ? किसान की आर्थिक स्थिति कसी है ? क्या वह टैक्सों को अदा करने की स्थिति में है ? श्रीमन्, मैं अगर अपने कृषि फाम की चर्चा करूं तो यह कहा जायेगा कि मुझे खेती करना नहीं आता, इसलिये मैं पंत-नगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ही तैयार किये गये कृषि में होने वाले व्यय के आंकड़े पेश करूंगा ।

मान्यवर, गन्ने की खेती पर १९६६-६७ में ७१८ रुपये प्रति एकड़ व्यय हुआ। १९६७-६८ में ९१३ रुपये प्रति एकड़ खर्च हुआ और १९६८-६९ में १,३०५ रुपये प्रति एकड़ व्यय हुआ। जहां तक आय का सम्बन्ध है, ६७-६८ में शुद्ध लाभ प्रति एकड़ गन्ने की खेती में २,०५७ रुपये हुआ, ६८-६९ में ३९६ रुपये हुआ और ६९-७० में हानि हुई ४८ रुपये की, लाभ कोई नहीं हुआ ।

इसी प्रकार से मक्के की खेती को लीजिये। ६६-६७ में १,५१० रुपये प्रति एकड़ का लाभ था, ६७-६८ में ४१६ रुपये प्रति एकड़ था, ६८-६९ में १५२ रुपये था, और ६९-७० में लाभ के बजाए २१२ रुपये प्रति एकड़ की हानि हुई है।

भांग की खेती ले लीजिये। ६६-६७ में ९१९ रुपये का मुनाफा था, ६७-६८ में १५ रुपये का केवल रह गया, ६८-६९ में ८५ रुपये का मुनाफा रहा और ६९-७० में ७८.२५ का घाटा हुआ ।

गेहूं की स्थिति को देखिए। पहले मुनाफा १,७५१ रुपये का था, फिर ५४४ रुपये का रह गया और उसके अगले साल ५२१ रुपये का रहा। अब ७१-७२ की बात नहीं मालूम है। ये आंकड़े तब ह जब उसको यह सुविधा प्राप्त है कि वह अपनी उपज को बीज के रूप में अच्छे मूल्यों पर बेचन में सफल रहते हैं। इस प्रकार से मूल्यों में बराबर गिरावट हुई है और उत्पादन व्यय में बराबर वृद्धि हुई है और मनाफा केवल एक गेहूं को छोड़कर सभी में अब घाटे के रूप में बदल गया है। गेहूं में इस लिए थोड़ा मुनाफा दिखाई देता है कि वह अपने गेहूं को १०५ से १४० रुमये तक बेचने में सफल हुआ है। यदि उन्हें भी ७२ रुपये में बेचना पड़ता, तो वह भी इस में लाभ नहीं दिखा पाते। जब यह स्थिति है, किसानों पर यह अधिभार लगाना कहां तक न्यायोचित है, इस पर वित्त मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करें। यदि यह आंकड़े गलत ह, तो वह कौन से आंकड़े हैं, जिनके आधार पर कहा जाता है कि आज किसान अधिक टैक्स देने की स्थिति में है यह वह अवश्य बताएं ।

श्रीमन्, मैं अपनी बात न कह कर सर्वसाधारण की बात कहना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं अन्त में इस विषय पर आ जाना चाहता हूं---यह जो बहुत दिनों से बहुचर्चित विषय है सीलिंग लगाने का। मैं काफी दिनों से इस सदन का सदस्य रहा हूं, कई बार बोल चुका हूं, लेकिन मैंने कभी भी जोत सीमा घटाने का विरोध नहीं किया। यदि आएगा तो भी नहीं करूंगा। परन्तु मैं सदैव इस बात का विरोध करता रहा हूं कि ग्रामीण और शहरी नागरिकों में कोई भेदभाव न किया जाए। यदि आप सचमुच बराबरी लाना चाहते हैं तो समान दृष्टि से सभी आदमियों और सम्पत्तियों को देखिए। लोगों का अनुमान है कि शायद २० एकड़ प्रति परिवार की जोत सीमा निर्धारित होने जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आज अच्छे से अच्छा

किसान, मैं कानपुर और लखनऊ की बात नहीं करता लेकिन साधारण किसान और साधारण में भी जो अच्छे कुशल प्रबन्धक हैं उनके विषय में कहना चाहता हूं कि जिस किसान के पास बीस एकड़ भूमि है १० हजार रुपये से अधिक मुनाफा कभी कर नहीं सकता। सौभाग्य से माननीय मुख्य मंत्री जी के घर खुद खेती होती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनको कभी पांच सौ रुपये प्रति एकड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। यह दस हजार की जो सीलिंग है यह व्यक्ति के लिए नहीं है, एक परिवार के लिए है और उस परिवार में अगर पांच व्यक्ति औसत हों तो दो हजार रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पड़ा जो कि पौने दो सौ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मास से कम है।

केन्द्रीय सरकार के चपरासी का वेतन इससे अधिक है। आज आप ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि खेती करने वाला कुशल से कुशल किसान केन्द्रीय सरकार के चपरासी से अधिक हैसियत न रख सके। फिर भी मैं इसको स्वीकार करूंगा यदि आप इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में भी सीमा बांधे। एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि शहरी सम्पत्ति पर सीमा का प्रस्ताव केवल जमीन और इमारतों पर ही आता है, क्या अन्य प्रकार की सम्पत्ति शहरी सम्पत्ति नहीं है या अन्य प्रकार की शहरी आमदनी, आमदनी नहीं है ? क्या यह सम्भव है कि केवल जमीन के वितरण से असमानता दूर हो जायगी ? प्रस्ताव है कि भूमि भवन पर भी सीमा बांधी जाय। प्रस्ताव पांच लाख का है। वह परिवार के लिए नहीं है। प्रति व्यक्ति है।

अगर कोई पांच लाख की सम्पत्ति को बेच दे और उस रुपये को ले जाकर बैंक में जमा करे तो ३६ हजार रुपये केवल सूद के बनते हैं, तीन हजार रुपये प्रतिमास। दूसरी तरफ आपने दो सौ रुपये से कम आमदनी देने वाली भूमि पर सीमा बांधने की बात कहते हैं। १५ गुना से भी अधिक अन्तर है। जिन लोगों को समानता की बात आज बहुत सूझी हुई है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आमदनी में बढ़ते हुए अन्तर को दूर करने के लिए आपने क्या किया ? यहां प्रति व्यक्ति आय की बात कही गयी। उस प्रति व्यक्ति के पीछे क्या छिपा है ? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आदमी की आमदनी देखें तो मेरा दावा है कि जब से नियोजन कार्य शुरू हुआ है तब से तुलनात्मक दृष्टि में गांव में रहने वाले की आमदनी घटी है और केवल तुलनात्मक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पिछले चार वर्षों में हर प्रकार से उनकी आमदनी घटी है।

१९५०–५१ में शहरों की प्रति व्यक्ति आमदनी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की आमदनी एक तिहाई थी और आज १९ परसेंट है यानी १/५ से कम हो गयी है। कहीं इसका जिक्र नहीं है कि गांव और शहर के इस बढ़ते हुए अन्तर को कम किया जाय। मैं आज, माननीय मुख्य मंत्री यहीं बैठे हुए हैं और वित्त मंत्री जी भी यहीं बैठे हुए हैं, उनसे पूछता हूं कि क्या कोई औचित्य है कि शहरी सम्पत्ति पर एक व्यक्ति के लिए पांच लाख की सीमा की जाय और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों के लिए केवल २० एकड़।

अब मैं सारी सरकार की ही आलोचना नहीं करूंगा। कुछ थोड़ी-सी आलोचना इधर के बैठने वालों की भी करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप जरा बैठ जायं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप कृपा करके समय के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

माननीय जयराम वर्मा ने कहा कि सत्तारूढ़ दल, उसके प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री इस देश में जनतंत्र को दफनाने के लिये प्रयत्नशील ह। म यह मानता हूं कि उनके जो आचरण तथा रवैये रहे हैं वे जनतंत्र के पोषक नहीं ह, उनसे जनतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। मैं अधिक बातें न करके सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आज क्या उस सत्तारूढ़ दल के अन्दर कोई जनतंत्र ह जब एक एक दिन में चार-चार प्रादेशिक कांग्रेस सरकारों को बरखास्त कर दिया जाय। जिस मुख्य मंत्री से कहा जाता है कि तुम गद्दी छोड़ दो तो वह यह सोचता है कि मैं कैसे जल्दी से ग्रेसफुली छोड़ दूं और यही नहीं आज तो इस प्रकार जितने भी राज्य स्तर के सदन हैं उनके अधिकारों का भी अतिक्रमण हो रहा है। यह तो ठीक है लेकिन मैं विरोधी पक्ष के नेताओं से भी यह पूछना चाहता हूं क्या जनतंत्र को दफनाने में उनका कम हाथ है? ये पार्टियां जो बंटी हुई हैं और अपनी खिचड़ी अलग-अलग पका रही हैं उनकी आज देश को जरूरत नहीं है।

आज आप जनता को दोषी नहीं ठहरा सकते। पिछले चुनावों में इतनी शानदार विजय कही जाती है कांग्रेस की लेकिन जितने मत गिरे हैं उनमें केवल ४४ फीसदी मत कांग्रेस के पक्ष में गये हैं और ५६ फीसदी विरोधी दलों के पक्ष में गये ह लेकिन वह जब ५६ प्रतिशत बच जाता है तो उसका परिणाम जो होता है वह देश के सामने है। अगर आप इन्द्रा गांधी को जनतंत्र को समाप्त करने के लिये दोषी ठहराते हैं तो ये नेतागण भी जनतंत्र को समाप्त करने में कम भागीदार नहीं हैं। उन्होंने अपनी संकीर्णतायें नहीं छोड़ी ह।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता—

मैं नियम ५१ के अन्तर्गत जो सूचनायें माननीय अध्यक्ष को प्राप्त हुई थीं उनके सम्बन्ध में सचना दे दूं। कुल १२ सूचनायें प्राप्त हुई थीं। उनमें से एक सर्वश्री कल्याण सिंह, नित्यानन्द स्वामी तथा रामगोपाल संड की केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुई है। शेष सभी सूचनायें अस्वीकृत कर दी गयी हैं।

१९७२–७३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—

श्री बलबीर सिंह अब १० मिनट बोल लें उसके पश्चात् १ घंटे का जो समय बढ़ाया गया है यानी ५ बजे से १ घंटा माननीय वित्त मंत्री बोलेंगे।

*श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

यहां प्रस्ताव आया था कि २ घंटे का समय बढ़ा दिया जाय और वित्त मंत्री जी जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं उनकी तरफ से स्वयं यह प्रस्ताव आया था कि डेढ़ घंटा समय बढ़ा दिया जाय। अब समझ में नहीं आता कि एक घंटे का प्रस्ताव क्यों लाया गया है? शायद यही मंशा है कि अपोजीशन के लोग बोलना चाहते हैं वे न बोल सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता---

जब संसदीय कार्य मंत्री ने औपचारिक प्रस्ताव १ घंटे का प्रस्तुत किया था तब आपने उसे स्वीकार किया, अस्वीकार क्यों नहीं किया ?

श्री बलबीर सिंह---

मैंने निवेदन किया कि हम तो डेढ़ घंटे की बात सुन चुके थे। उन्होंने कहते-कहते आधा घंटा घटा दिया तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वे दो घन्टे का समय नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो डेढ़ घंटा ही कर दें। मुझे केवल १० मिनट का समय बोलने के लिये दिया गया है जब कि और लोगों को इससे ज्यादा समय दिया गया है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

समय तो अभी भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिये माननीय मंत्री जी दूसरा प्रस्ताव ला सकते हैं।

श्री बलबीर सिंह---

खैर मान्यवर, मैं शुरू करता हूं। मैंने इस बजट को पढ़ा और माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण भी पढ़ा और उसी दिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसको भी मैंने सुना। अभी कुछ देर पहले माननीय आचार्य साहब की शिकायत हुई थी। उधर से जितने लोगों ने भी कहा उन्होंने केवल वन्दना की बात की। मैं कहना चाहूंगा कि चाहे महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हो या वित्त मंत्री का भाषण हो, उसमें सबसे पहले पोलिटिकल स्टन्ट यही रहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की वन्दना की गई। सरकारी पक्ष वाले यही चाहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम और कोई न ले।

मान्यवर, उनको डर है कि उनका नाम लेकर और उनकी वन्दना करके ही हम प्रदेश की उन्नति और प्रगति कर सकते हैं इसलिये वे चाहते हैं कि उनके भाषण और उनके गीतों को ही हम गाते रहें। ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है किन्तु मैं तो यही कहूंगा कि अगर उनका काम बनता हो और उससे माननीय मुख्य मंत्री जी का काल बढ़ता हो तो उनको आजादी है वह एक अपना मंडल बना लें और उसकी रोज पूजा करते रहें। रोज किसी पत्थर या किसी पेड़ की वे पूजा करते रहें, हमें कोई ऐतराज नहीं। किन्तु एहसास इस बात का है कि राज्य के मामले में बजट भाषण के मौके पर यदि किसी एक व्यक्ति की इतनी बड़ाई की जाय और सारे देशवासियों का एक तरह से ब्रेन वाशिंग कर दिया जाय तो वहां पर हमको ऐतराज है।

मैंने इस बजट भाषण को पढ़ा और इस नतीजे पर पहुंचा कि यह बिल्कुल नाकाम और असफल भाषण है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट घाटे का है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि ६०.६८ करोड़ का घाटा इसमें है। ठीक है, डेफिसिट बजट में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, वह बड़ी अच्छी चीज है क्योंकि इससे यह झलक दिखाई देती है कि इसके बनाने वाले यह सोच रहे हैं कि हमारे प्रदेश की तरक्की हो, तभी तो डिफिसिट बजट हो रहा है। इससे यह भी एहसास होता है कि हम इस साल पहले से अधिक रुपया राज्य की योजनाओं में लगा रहे हैं और विकास के कार्यक्रम ले रहे हैं, दूसरे अन्य नये-नये कार्यों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ सके। किन्तु मुझे तो इसमें असफलता की ही झलक दिखाई दी।

जब मैंने इसे पढ़ा और माननीय मंत्री जी के मुंह से सुना कि उसको पूरा करने के लिये कोई तरीका नहीं है और न ही कोई तरीका सुझाया गया है। उनके दिमाग में केवल एक ही तरीका आया कि किसानों पर और उनकी जमीनों पर टैक्स लगाकर उसके जरिये से इस घाटे

[श्री बलवीर सिंह]

की पूरा किया जायेगा। चलिये, मैं इसको भी मानने के लिये तैयार हूं लेकिन इसके बाद कोई दूसरा सुझाव नहीं दिया जायेगा। इसका नतीजा यह हुआ कि जो आप कहते हैं कि ६ करोड़ रुपया लैंड लेवी के जरिये हम वसूल कर सकते हैं और उसकी चेष्टा कर सकते हैं।

दूसरी मद जो माननीय मंत्री जी ने सुझाई है उसमें उन्होंने कहा है कि विलायती की शराब की दुकानों के नीलाम करने से रुपया आ जायेगा और इससे ५० लाख रुपया लगाया है। मुझे इसमें भी शुबहा है क्योंकि जो इन शराब की दुकानों का नीलाम हो रहा है उसमें यह सुनने को आया है और जगह-जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि मंत्री लोग ही इस ठेके को लेते हैं। उनको परमिट मिले हुए हैं उनको बुलाया, जिनकी यूनियन बनी हुई है उनको बुलाया और मैं उनसे बताना चाहता हूं कि बड़े-बड़े सौदे हुए हैं। कहा जा रहा है बस वालों से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा है कि क्या दिक्कत है, कोई मजबूरी नहीं होगी डेढ़-दो करोड़ रुपया इकट्ठा करके हमारी कांग्रेस के फंड में दे दीजिये और चाहे हमने ऐक्ट बना दिया है, उसको हम खत्म कर देंगे।

इसी तरह से मुझे आशंका है कि शायद शराब वालों से भी इसी तरह के सौदे तय होते होंगे। तो यह ५० लाख भी मिलने वाला नहीं है। तो फिर ५४ करोड़ और १८ लाख का घाटा फिर भी बजट में है और मैं वह शब्द पढ़ूंगा इस सदन में जो इस किस्म के हैं कि क्या कहूं मैं? मेरे दिमाग में उर्दू का शब्द नहीं आ रहा है, "नामाकूल" शब्द मिलता है कि वह अपने आपको मंत्री साहब मानते हैं और लिखते हैं कि "जो बाकी घाटा रह गया है ३१.३९ करोड़....." जो आपने बताया है वह सरासर गलत है। बाकी किसी से कर्जा ले लेंगे, रिजर्व फंड से निकाल लेंगे। अगर इस तरह से कर्जा लेकर और निकाल कर खर्चा करेंगे तो दिवालिया बनेगी स्टेट। क्योंकि जो खानदान, जो फैमिली कर्जे के जरिये से चलना चाहेगी, दो-चार साल के बाद आखिर में उसकी डिग्री होकर सारा उसका माल नीलाम होगा।

तो कर्जे से काम चलने वाला नहीं है। आप लिखते हैं, "जिसके लिए, इसकी पूर्ति के लिए अभी मैं कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।" बड़ा अच्छा होता अगर इससे आगे माननीय मंत्री जी बढ़ा देते कि मेरे असफल रहने के कारण मेरा इस्तीफा संलग्न है" और इस्तीफा इसके साथ आ जाता। क्या कारण है कि आप साधन नहीं निकाल सकते? तो क्यों घाटे का बजट पेश किया है? मुझे संदेह है कि या तो आप साधन निकाल सकते थे और अगर नहीं निकाल सके हैं तो फिर मेहरबानी करके वह मंत्रि-पद न रखें। लेकिन शुबहा यह है कि सोचा जरूर है और दूसरी तरफ आप धोखेबाजी करते हैं।

मैं कहना चाहूंगा इस सरकार से कि धोखेबाजी से बाज आयें। वह जानते थे कि अगर वह ऐसे जरिये बता दें जिनसे कि टैक्स लगाया जा सकता है तो शायद उनके इलेक्शन पर उसका फर्क पड़ जायगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब मैंने उनके भाषण को, राज्यपाल के भाषण को पढ़ा तो मुझे लगा कि यह भाषण नहीं है, यह बजट भी नहीं है बल्कि यह घोषणा अब हुई है इलेक्शन की। आप समझते हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं, उसकी कुंजी आपके हाथ में है। सेंटर में यही हुआ कि इलेक्शन आने को थे इसलिये बजट को रोका गया और इलेक्शन के पहले रखा गया। तो यह भाषण नहीं है, योजना कोई नहीं है, यह घोषणा हुई है कि गरीबी हटा देंगे और अमीरी मिटा देंगे और शिक्षा बढ़ा देंगे, सारे काम कर देंगे। लेकिन कैसे कर देंगे? कोई तरीका नहीं निकाला है।

मुझे लगा कि आप चाहते हैं कि इलेक्शन करावें और उससे पहले लोगों को सब्जबाग दिखावें और जो जरिये हो सकते थे टैक्सों के वह न ले आयें। ६ करोड़ का थोड़ा सा लाये

हैं, लेकिन वह साफ नहीं है। देखिये उसमें कितना जबरदस्त धोखा दिया जा रहा है। कोई पता नहीं है कि कौन से किसानों पर लगेगा। आहिस्ता से कह देते हैं कि छोटे किसानों पर यह टैक्स नहीं लगाया जायगा। "बहुत छोटे" की क्या डेफिनीशन है यह भी नहीं पता है—"बहुत छोटे काश्तकारों पर टैक्स नहीं लगेगा ?" वह नहीं बताते कि ६ करोड़ रुपया किन से आयेगा। इन सब बातों को छिपाये हुये हैं। इसलिए निहायत अदब के साथ में आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस धोखेबाजी को छोड़ें।

(लाल बत्ती होने पर)

मैंने मान्यवर से पहले कहा था कि अगर बोलने का समय देते हैं तो जैसे लोगों को दिया है मुझे भी मिलना चाहिए और ५ मिनट के बाद जो रोशनी दिखा दी तो मैं डरता हूं। अभी मुझे और समय दें, मैं जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

आप दो-तीन मिनट और बोल लें।

श्री बलबीर सिंह—

एक और तरह से यह बजट बिल्कुल फेल है। जो कांग्रेस का घोषणा-पत्र है, वह एक घोषणा-पत्र क्या है बल्कि एक नारा है कि गरीबी हटाओ। गरीबी हटाने का कोई सुझाव इसमें नहीं है। गरीबी तब तक नहीं हट सकती जब तक खेती को प्राथमिकता नहीं दी जायगी। उद्योग-धन्धे दूसरे स्थान पर हों। मैं नहीं चाहता कि उद्योग-धंधों की आय कम की जाय। उनकी आय बढ़ाने के लिये जितनी सुविधायें हम दे सकते हों वह हमें बराबर देते रहना चाहिये। मेरे निवेदन करने का सिर्फ एक मंशा है कि खेती को उससे भी ज्यादा तरक्की देना चाहिये। आज उसका बिल्कुल उलटा है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, काफी चर्चा हो चुकी है कि किस तरह से खेती की पैदावार की कीमत घटती जा रही है, किस तरह से खेती के काम में जो चीजें आती हैं उन पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। यही नहीं कि खेती की कीमत गलत तय की जाती है बल्कि जो कीमत तय कर दी जाती है वह भी दिलाई नहीं जाती। मैं मेरठ जिले की बात करता हूं। बुलन्दशहर जिले का भी मुझे तजुर्बा है, मुजफ्फर-नगर जिले का भी मुझे तजुर्बा है। भाव कुछ था और खरीदा किसी और भाव से गया। हम लोग भागे-भागे फिरे मगर कोई सुनने वाला नहीं। हमें बड़ा रोष और गुस्सा आता था लेकिन कुछ नहीं कर पाते थे। आज तो उधर बैठने वाले एक आध शख्स ऐसे भी हैं जो बड़े किसान की दुहाई देते थे लेकिन जिन्होंने खुद लालाओं के साथ शामिल होकर दुकान में हिस्सा किया और लाखों रुपये कमा लिये। अगर आप किसान को कीमत ठीक नहीं दिला सकते तो फिर कीमत तय करने से क्या फायदा?

सीलिंग की बात कही जाती है। सीलिंग सही है लेकिन मैं इससे आगे कहना चाहता हूं कि जब तक मुख्य मंत्री जी का फार्म रहेगा, वित्त मंत्री जी का फार्म रहेगा, एम० एल० एज० के फार्म्स रहेंगे और उन पर पैदा करने वाला कोई दूसरा होगा, जमीन किसी की और पैदा करने वाला कोई दूसरा होगा तब तक खेती की तरक्की नहीं हो सकती और न सीलिंग करने से ही कुछ फायदा होगा। जैसी अंग्रेजी में कहावत है, लैण्ड शुड बिलांग टु दि टिलर आफ दि स्वायल। आप सीलिंग करें या न करें लेकिन जब तक इसको नहीं मानेंगे किसान की रक्षा नहीं होगी।

और बातों को छोड़ते हुये मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ध्यान देना चाहिये सरकार को भ्रष्टाचार के ऊपर। मेरा मतलब सरकारी अफसरों के भ्रष्टाचार से नहीं है। मेरा मतलब राजनैतिक भ्रष्टाचार से है। आज ही एक युवक मेरे पास आया। इर्रीगेशन में उनका कुछ काम था। कहते थे कि हम मिनिस्टर साहब से तो बात कर नहीं सकते लेकिन जब दूसरे जरिये से बात हुई तो कहते हैं कि ५ हजार रुपये दे दीजिये, आपका काम हो जायगा।

[श्री बलवीर सिंह]

यह भ्रष्टाचार सरकार के ऊपर के लोगों का है, मंत्री लोगों का है। इसके अलावा एक और राजनैतिक भ्रष्टाचार है। वह है दल बदल वाली। आपने भी पढ़ा होगा कि बम्बई में एक घटना हुई। एक विधायक महोदय को पकड़ लिया, उनका मुंह काला किया, गले में जूतों का हार डाला और गदहे पर घुमाया। मैंने समझा कि ठीक है, शायद हमारे देश का युवक आज मुक्तिवाहिनी बनाना चाहता है। बंगला देश में क्या समस्या थी? वहां भ्रष्ट राजनीति की समस्या थी। भ्रष्ट राजनीतिज्ञों ने देश का सत्यानाश किया हुआ था और उन्होंने उससे पीछा छुड़ाया। तो मैंने समझा और कहना चाहता हूं कि ठीक है।

आज ऐसे ही आन्दोलन की आवश्यकता है, इस तरह के लोग, इस तरह के नौजवान आगे आयें और इस तरह के भ्रष्ट लोगों को जो दल बदल करते हैं और दूसरी तरफ बैठते हैं, ऐसे लोगों का यही इलाज है कि समाज उनको सजा दे। मुख्य मंत्री बुलाते हैं और दारुलशफा में नोट दिये जाते हैं और सब तरह के प्रलोभन देते हैं। पैसे से शुरू होता है और शराब और न जानें कहां जाकर खत्म होता है। इस तरह से करने वालों को, दल बदल करने वालों को और सरकार गिराने वालों को सजा देनी होगी और वह सजा समाज देगा। जब तक उनको सजा नहीं दी जायगी तब तक हमारे देश में न जनतंत्र टिक सकेगा और न कोई अच्छी चीज रह सकेगी। और न अच्छे आदमी रह सकेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी तक हमारे दल का एक भी सदस्य नहीं बोल पाया है। मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि डेढ घंटे का समय बढ़ेगा। आपने प्रश्न उपस्थित नहीं किया जिस पर सदन विचार करता। आप हमारे दल के एक सदस्य को बोलने दें।

श्री अधिष्ठाता—

यह सम्भव है कि आपके दल के किसी सदस्य को आज बोलने का समय न मिला हो। लेकिन ५ दिन से इस पर बहस चल रही है। इसका उत्तर वित्त मंत्री जी देंगे। एक घंटे का समय बढ़ गया है। इसमें से भी दस मिनट का समय चला गया है तो क्या यह सम्भव है कि वह अपना भाषण ५० मिनट में समाप्त कर पायेंगे? यह हो सकता है कि आपके दल के किसी सदस्य को आज समय न मिल सका हो लेकिन इससे पहले काफी लोगों को समय मिल चुका है।

श्री हरिनाथ तिवारी—

यह किसकी गलती है? संसदीय कार्य मंत्री ने यह समय क्यों रखा है? समय और बढ़ सकता है। हमें क्यों परेशान किया जाता है। हमारे दल के एक सदस्य को बोलने का मौका देदें। इसके बाद वित्त मंत्री जी बोलें।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

इससे तरतीब बिगड़ जायेगी। मुझे मौका दें।

श्री अधिष्ठाता—

एक शासकीय दल के सदस्य बोलने वाले थे इसीलिये मैंने उनको मौका नहीं दिया और श्री बलबीर सिंह को मौका दिया। अब मैंने अंत में तिवारी जी को बुलाया है। इसके बाद आइटम वाइज बहस होगी और उस पर माननीय सदस्य को मौका मिलेगा।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

मैं इसका विरोध करता हूं। इस पर आप पुनः विचार करें।

श्री अधिष्ठाता—

मेरे सामने परेशानी यह होगी कि यदि मैं आपको समय दूंगा तो माननीय सदस्य कहेंगे कि हमें भी समय मिलना चाहिये ।

श्री मलिखान सिंह—

इसीलिए समय बढ़ाया गया था कि थोड़ा-थोड़ा समय सबको मिलेगा। लेकिन जन-संघ दल का कोई सदस्य नहीं बोला है। इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

चलिये दस मिनट बोल लीजिये ।

श्री हबीबुर्रहमान—

तरतीब बिगड़ रही है।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत थोड़े समय में जो आप के बजट पर विवाद हो रहा है अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं। यह बजट न गरीबी मिटाने वाला है और न किसी प्रकार से यह प्रगतिशील बजट ही कहा जा सकता है। गरीबी मिटाने का नारा लगाया जाता है वह सर्वथा निरर्थक है। जो इस देश और प्रदेश में गरीब किसान रहते हैं उनकी आर्थिक दशा बिगड़ती चली जा रही है। ८० प्रतिशत से अधिक गांवों के रहने वाले हैं, उनकी गरीबी मिटाने के लिए सरकार की तरफ से कोई सुझाव नहीं है जिससे कहा जा सके कि यह बजट किसानों की गरीबी मिटाने में सहायक होगा।

कृषि के उत्पादन में सहायक होगा। मान्यवर, जो किसानों के उत्पादन में सहायक सिद्ध हो सकते हैं वह खेती के लिए पानी, सस्ती बिजली, उन्नतिशील बीज और खाद। यदि आप विचार करें और देखें तो मालूम होगा कि हमारे प्रदेश में खाद और सभी प्रदेशों से अधिक महंगी है। किसान को खाद व जो बिजली दी जाती है वह उद्योगपतियों से अधिक दर पर दी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि कृषि का उत्पादन बढ़े तो यह आवश्यक है कि सिंचाई की दरों में कमी की जाय, किसानों को सस्ती बिजली दी जाय तथा उर्वरक सस्ते दिये जायें और अच्छा बीज दिया जाय। लेकिन बजाय इसके किसानों के उपर और लैवी लगायी जा रही है। उनकी जरूरत की जो चीजें हैं उनको दिन पर दिन महंगा किया जा रहा है। इससे तो किसानों की आमदनी और भी गिरेगी। फिर उत्पादन में किस प्रकार से वृद्धि हो सकती है, फिर देश की गरीबी किस प्रकार से मिट सकती है।

आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने पिछले २० वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं का ब्योरा दिया है जिस चीज के लिए आप कहते हैं कि हम आत्म-निर्भर हो गये, हमने बहुत अधिक प्रगति की है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। जो अन्न लोगों को ६५ में १४.६३ आउन्स प्रति दिन औसतन मिलता था अब वह केवल १४.३८ आउन्स मिलता है और दालें जो ६५ में २.८६ आउन्स मिलती थीं अब १.७४ मिलती हैं। इसके अलावा खाद की कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और प्रकार से भी उत्पादन का मूल्य बढ़ता जा रहा है। किसान को, जिन चीजों का वह उत्पादन करता है अधिक खर्च करना पड़ता है और उसको जो लाभ मिलता है वह उद्योगों की अपेक्षा बहुत कम मिलता है।

इसके अलावा एक रिपोर्ट और है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रकाशित रिव्यू में डाक्टर मिन्हास अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि जो ५ सबसे सुखी व्यक्ति भारत में है उसकी ५ प्रतिशत आय प्रति व्यक्ति २ रुपया प्रतिदिन है और आखिरी वाक्य में वे लिखते हैं कि ३० प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो नितान्त भुखमरी की अवस्था में हैं। इन सब चीजों को देखते हुए

[श्री जगन्नाथ राव]

ऐसा लगता है कि किसानों की गरीबी कम नहीं हुई है। और सरकार ने भी उसको दूर करने का इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है। इससे सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी दूर करने का सरकार का कोई विचार नहीं है और न कोई योजना ही है।

इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक व्याप्त है, वह सर्वव्यापी हो रहा है और राजनैतिक भ्रष्टाचार सबसे अधिक भयंकर है। उस दिन माननीय मुख्य मन्त्री जी बड़े मधुर शब्दों में कह रहे थे कि हम किसी को बुलाते नहीं हैं, सब लोग हमारी तरफ खिंचे चले आते हैं। यह तो शहरों में बैठी हुई कुछ विशेष वर्ग की नारियां भी कहा करती हैं कि मैं किसी को बुलाती नहीं हूं, मेरे पास तो सब लोग अपने आप ही चले आते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहां पैसे के बल पर विधायक बिकें, लालच में पड़ कर कोई काम करें, फिर बताइये यह लोकतन्त्र किस प्रकार से हमारे यहां सफल हो सकता है? राज्य सभा के चुनाव में विधायकों की यह स्थिति थी और उसमें भी सत्तारूढ़ दल के लोगों ने उसकी जांच भी करायी थी कि उनके किन-किन लोगों ने पैसा लेकर उनके बल के अतिरिक्त किसी और को वोट दिया है। इस प्रकार से भ्रष्टाचार को परिश्रय दिया जा रहा है।

इस समय सबसे बड़ी परेशानी यह है कि एक लाख जनता के प्रतिनिधि के यहां चुनकर आने के बाद स्टेटस मेनटेन करना चाहिये। लेकिन वह नहीं करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि इस तरह का कानून निश्चित रूप से बनाया जाय कि यदि कोई सदस्य दल बदल करे तो पहले त्याग-पत्र दे और उसके बाद फिर जनता के सामने जाकर बहुमत प्राप्त करे और पुनः सदन में वह आये तब तो आप भ्रष्टाचार उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आज स्थिति यह है कि मंत्रियों की कुर्सियां बरकरार रहें चाहे प्रदेश का और देश का कुछ भी हो।

माननीय शिक्षा मन्त्री जी बैठे हैं उनसे कभी समय मांगते हैं मिलने का तो उनके पी० ए० कह देते हैं कि वह नहीं हैं और कभी कभी तो मन्त्री जी होते हैं तो वही फोन उठाकर मना कर देते ह कि वह नहीं हैं। उनके जमाने में यहां की शिक्षा का स्तर किस तरह से गिराया गया है यह उनके बजट में आयेगा और हम उनको बतायेंगे। हर एक सदस्य कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। जबसे शिक्षा मन्त्रालय को आप सम्हाले हैं (वह हंस रहे हैं) लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी उन पर है। आज तक बड़ा प्रयत्न किया गया कि किसी तरह से बसवीं कक्षा तक फीस माफी हो और इस प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाय लेकिन इस पर उन्होंने विचार नहीं किया और इससे प्रदेश की शिक्षा की प्रगति रुक सकती है।

अन्त में एक बात मैं यह जरूर कहूंगा कि जिस रूप में भी हो इस प्रदेश की प्रगति में सब से अधिक बाधा पड़ी है। उसका कारण यह है कि शासक वर्ग में ऊपर से नीचे तक आज भ्रष्टाचार व्याप्त है। हालत यह है कि सिंचाई विभाग के इन्जीनियर हजार-हजार और-पांच पांचसौ रुपया देकर दस-दस साल तक एक जगह पड़े रहते हैं और तमाम लोग आते हैं कि हमारा ट्रांस्फर और प्रोमोशन नहीं हो रहा है। आज मन्त्री लोग ट्रांस्फर और प्रोमोशन करने में लगे हुये हैं। वह देश की प्रगति और देश को दिशा देने में नहीं लगे हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार का रास्ता ऊपर से नीचे तक खुला है और मन्त्री से लेकर बड़े अधिकारी से छोटे कर्मचारी तक में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मन्त्रियों से लेकर गांव के लेखपाल तक और छोटे कर्मचारी से बड़े अफसरों तक में भ्रष्टाचार पहुंच गया है। इस समस्या पर सदन को गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। वर्ना यह लोकतन्त्र डूब रहा है और आप इसको बचा न पायेंगे आप इस तरह से सारे प्रदेश और देश को ले डूबेंगे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने विगत ५ दिन तक लगातार अपने सुझावों से इस बजट के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया तथा अपने महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रसंग में दिये। मैं सम्मानित विरोधी दलों के नेताओं का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने विरोधी दल की परम्पराओं को निभाया और उस के अनुसार बजट की विशद आलोचना की। एक बार लार्ड चर्चिल ने विरोधी दल के उत्तरदायित्व पर भाषण करते हुये कहा था कि विरोधी दल का कार्य सरकार की नीति का समर्थन करना नहीं है बल्कि उसका विरोध करना है। उसी परम्परा को ध्यान में रखकर सम्मानित विरोधी दलों के नेताओं ने और नेता विरोधी दल ने इस बजट का विरोध मात्र ही किया और शायद इसीलिए वह इसका समर्थन नहीं कर सके। लेकिन मुझे दुख है कि उसके लिए यहां जिन विशेषणों का प्रयोग किया वे परस्पर विरोधी थे। किन्हीं ने कहा कि यह प्रदेश के पैसे का फ्राड है, किन्हीं ने कहा कि यह रोटीन बजट है, किन्हीं ने कहा कि यह एक चुट-कुला है, किसी ने कहा कि यह गरीबी हटाओं का नहीं गरीबी बढ़ाने वाला है।

किन्हीं ने कहा कि इस में टैक्स नहीं लगाया गया है, किसी ने कहा कि इसमें टैक्स लगाया गया है, किन्हीं ने कहा कि यह बजट घाटे का बनाया गया है, किसी ने कहा कि इसमें खर्च बढ़ा दिया है, किन्हीं ने कहा कि इस में इतना खर्चा क्यों किया गया है गज कि अगर सारे तर्कों को लें तो वे तर्क परस्पर विरोधी हैं और वे स्वयं उनकी काट करते हैं। श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि यह रोटीन बजट है। हम और आप विचार करें कि बजट होता क्या है? क्या यह घोषणा-पत्र है या मैनिफेस्टो है या प्लान डाक्युमेंट है? यह तो संविधान की आवश्यक प्रक्रिया के अनुसार है जो किसी भी वित्त मन्त्री को संपादित करनी पड़ती है। संविधान की धारा २०२(१) में लिखा गया है कि "प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में, राज्य के विधान मण्डल के सदन अथवा सदनों के समक्ष, राज्यपाल उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण" रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में "वार्षिक–वित्त–विवरण के नाम से निर्दिष्ट किया गया है"।

तो श्रीमन्, यह दायित्व है राज्यपाल के माध्यम से सरकार का और वित्त मन्त्री का कि प्रत्येक वर्ष की जो राजस्व प्राप्तियां हैं और जो प्राक्कलित व्ययों का विवरण है, जो एस्टिमेटेड एक्सपेन्डीचर है वह एक ऐनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वार्षिक–वित्त–विवरण के रूप में है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, ये जो जानकारी दे रहे हैं, उसको हम नहीं जानते थे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं नहीं जानता था कि माननीय सोशलिस्ट पार्टी के नेता इसको जानते हैं। लेकिन यदि इस को रोटीन बजट कहा गया है, इसमें आंकड़े दिये गये हैं, हिसाब किताब का खर्चा दिया गया है तो यह अनिवार्य है। संविधान के अनुसार यह अनिवार्य है कि वार्षिक खर्च और आमदनी का विवरण इस सदन में रखा जाय। अगर यह रोटीन बजट दिखाई देता है तो मजबूरी है।

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि यह चौथी योजना का बजट है। चौथीयोजना के वर्ष १९७२–७३ का बजट है। जब चौथी योजना बनायी गयी थी तो उस समय एक सर्व दलीय समिति बनी थी जिसने चौथी योजना के हमारे प्रदेश के लिए, सिद्धान्त निर्धारित किये थे कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कौन-सी चीजों को प्राथमिकता दी जाय, इस प्रदेश के लिए। उस समिति में सभी दलों के नेता थे। उस समिति ने कुछ निर्देश दिये और उस आधार पर चौथी योजना बनायी गयी।

उस समय यह भी पता नहीं था कि किस पार्टी की सरकार होगी और कौन मुख्य मन्त्री होगा। तो उसमें जो प्राथमिकता दी गयी थी उसमें यह भी निर्धारित कर दिया गया था कि किस मद में और किस विभाग में कितना आउटले ५ वर्ष के अन्दर खर्च किया जायगा। जैसे बिजली में ३७५ करोड़ रुपया, कृषि में १९५–१९८ करोड़ रुपया। तो ५ साल के व्यय की आउटले उस प्लान डाक्युमेंट में रख दी गयी थी। तो बजट में क्या आंकड़े होंगे, इसका बहुत कुछ निर्देश उस चौथी योजना में हो गया था जिसको सर्व दलीय समिति ने स्वीकार किया था।

मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अगले वर्ष अर्थात् १९७३–७४ का क्या बजट होगा, उसमें किस योजना को प्राथमिकता दी जायेगी, अगर हम चौथी योजना को देखें तो जान जायेंगे, हमें कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। हमने एक प्लान्ड एकोनोमी को स्वीकार कर लिया है और श्रीमन्, आपकी आज्ञा से, अपने सम्मानित सदस्यों को यह भी स्मरण दिला दूं कि आज जो प्रगति हुई है, उसका श्रेय लगभग सभी दलों के लोगों को है। अगर अवनति हुई है तो उसका भी श्रेय सब को ही है।

पिछले ३–४ सालों में सभी दलों के सम्मानित सदस्य इस सरकार में रहे हैं। 9 सरकारें १९६७ से आज तक इस प्रदेश में बन चुकी हैं। और प्रत्येक ने इसी प्रकार के बजट के इन्हीं सिद्धान्तों को स्वीकार किया है और अगर कोई रूटीन बजट है और फ्राड का बजट है तो इसके सब भागीदार रहे हैं जिनके आधार पर आज का बजट बनता है।

श्रीमन्, जिन भागों के उन्नति की बात की गई है इन भागों में उन्नति कम हुई। जो आंकड़े दिये गये हैं उन आंकड़ों का मैं विरोध नहीं करना चाहता। बहुत से आंकड़े कम सही हैं, ज्यादा गलत हैं यह सब मैं बता सकता हूं। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि इस चौथी योजना के प्लान में जो भाग दो है उसमें सारा विश्लेषण किया गया है हमारे उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का पूरा चित्रण इस स्वयं चौथी योजना में किया गया है। कितना कम विनियोजन नियोजन में, और कृषि में हुआ है जितने आंकड़े हम दे सकते हैं उससे ज्यादा आंकड़े हमने चौथी योजना के प्रारूप में रक्खे हैं। इसी आधार पर चौथी योजना को प्राथमिकता तय की गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन ज्यादा है इसलिये चौथी योजना बनाई गई है।

यह सर्वमान्य है कि हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम कम है यह भी सर्वमान्य है कि हमारी औद्योगीकरण की गति जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं है। इसका लेकिन कारण क्या है। क्या इस सदन में हम सरकार द्वारा किये गये कार्यों का विरोध करके ही हम ऐसा वातावरण बना रहे हैं जिससे हम प्रदेश का इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें। औद्योगीकरण बढ़ा सकें जो विनियोजन हो रहा है उसको बढ़ा सकें।

मैं श्रीमन्, आपके द्वारा यह विनम्र निवेदन करूंगा कि आज इस प्रदेश के विकास का प्रश्न है, यह दल का प्रश्न नहीं है। यह देखें कि सरकार की योजनायें चलाये जाने का प्रश्न नहीं है। यह सर्वदलीय प्रश्न है सारे देश का और सारे दलों का प्रश्न है और इस दृष्टिकोण से दलगत राजनीति के ऊपर उठकर एक सही वातावरण बनाये जाने का प्रश्न है। तो मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन और अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जिन उद्देश्यों को लेकर हमने चौथी योजना के सिद्धान्तों को स्वीकार किया जिन उद्देश्यों को लेकर सदन में हम बार-बार चर्चा करते हैं। ये जो समस्यायें हैं उन समस्याओं के समाधान करने में हम सबको एकमत होकर इन योजनाओं के कार्यान्वयन में अग्रसर होना चाहिये।

श्रीमन्, इस बजट के जो वित्तीय प्रारूप हैं, उसके सम्बन्ध में जो कुछ आलोचनायें की गई मैं उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि इस बजट में कैपिटल एक्स्पेन्डीचर के लिये केवल ८० करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है और इसमें भी केवल १० करोड़ नई मदों में खर्च करने के लिये रख लिया गया है। अगर आपको इस बजट में भली भांति देखेंगे तो इसमें केवल खर्च ६४९ करोड़ नहीं है बल्कि ७१० करोड़ रुपये है जिनमें से रेवेन्यू एक्सपेंडीचर ५२८ करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एडवान्स ९२ करोड़ कैपिटल एक्सपेंडीचर ९० करोड़ है और कुल मिला कर इस प्रकार ७१० करोड़ रुपये की धनराशि खर्च के लिये प्राविधानित है। आप देखेंगे कि पूंजी व्यय कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है।

सन् १९७२-७३ में जितना व्यय प्राविधानित है उतना नहीं हुआ था पिछले वर्षों में। हमें सरकारी पूंजी व्यय को नहीं देखना है। हमें पूंजी व्यय को भी देखना है जो फाइन्नेशियल इन्स्टीटयूशन्स के माध्यम से और लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन्स के माध्यम से हमारे प्रदेश की जो वित्तीय संस्थायें हैं उनके द्वारा जो पूंजी का विनियोजन हुआ है उसको भी देखना है। इस पूंजी व्यय को अपने प्रदेश में विनियोजित करने के लिये ही हमने सम्मानित सदस्यों की राय से हमने कई निगम कायम किये हैं और कायम करने जा रहे हैं। इसलिये नहीं कि नगम बनाने का हम कोई नया अभ्यास शुरू कर रहे हैं बल्कि महाराष्ट्र, तामिलनाडु और गुजरात और अन्य प्रदेशों ने इन कारपोरेशन्स के माध्यम से बैंकों से ऋण लेकर बड़ी तेजी से प्रगति की है।

उस प्रगति को हम भी अपने प्रदेश में लाना चाहते हैं। श्रीमन् आप जानते है कि बैंक सरकार को ऋण नहीं देता है। केवल मार्केट लोन जब लेती है तभी रिजर्व बैंक प्लानिंक कमीशन इस बात की इजाजत देते हैं, तभी लेती है। इस मारकेट लोन के अलावा सरकार स्वयं अखिल भारतीय संस्थाओं से या बैंक से चाहे लोन नहीं ले सकती है। एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कारपोरेशन एक अखिल भारतीय संस्था है जो रिजर्व बैंक की स्वीकृति से बना है। अगर कोई उससे लोन ले सकता है तो केवल लैंड डेवलपमेंट बैंक और यह बैंक ट्यूबवेल, पम्पिंग सेट, ट्रेक्टर आदि के लिये छोटे किसानों को ऋण देता है। राज्य सरकार केवल गारन्टी का अस्त्र इस्तेमाल करती है। इसी प्रकार एग्रीकल्चर फाइनेंस कारपोरेशन संस्था है, जो बिजली बोर्ड को ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिये सरकार की गारन्टी पर लोन देती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड न हो तो हमें बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार हम जो वाटर सीवेज बोर्ड बनाने की बात कह रहे हैं उसमें हमारे नगरपालिका और नगरमहापालिका एक सीवेज योजना और पेय-जल योजना के लिये लाइफ इन्श्योरेंस कारपोरेशन से रुपया प्राप्त कर सकेंगी। इसलिये हमने वाटर सीवेज बोर्ड की परिकल्पना की है। हाउसिंग बोर्ड हमारे प्रदेश में बना और हाउसिंग बोर्ड को इसी बीच में लगभग ८ करोड़ रुपये का ऋण अलग-अलग संस्थाओं से मिला। लाइफ इन्श्योरेंस कारपोरेशन से और अधिक ऋण हमें मिलने की सम्भावना है।

इसी विचार से हमने पुल निगम बनाने की बात चौथी पंचवर्षीय योजना के बाहर की है। हमारा यह प्रस्ताव है कि यह पुल निगम लाइफ इन्श्योरेंस कारपोरेशन से ऋण प्राप्त करके या टस्ट बैंक आफ इण्डिया से ऋण प्राप्त करके या जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने हर जिले में एक लीड बैंक बना रखा है, जो जिले के सभी बैंकों को केन्द्रीयकरण करक कार्य करता है, उस लीड बैंक से ऋण प्राप्त करके पुल बनावें और २० लाख रुपये के लागत से ऊपर क जो पुल हैं उनसे जो लेवी प्राप्त होती है, जो टोल प्राप्त होता है उससे उस ऋण को ब्याज सहित वापिस कर दे यह पुल निगम मिर्जापुर और बिजनौर में जो दो महत्वपूर्ण पुल हैं गंगा पर, उनका निर्माण करने की शुरूआत करेगा।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

श्रीमन्, यह नई दिशा जो इन्सटीट्यूशनल फाइनेंसिंग से जो दूसरे प्रदेशों में कामयाब हुई है, अब हमने भी इस बजट के माध्यम से इस प्रकार का प्रयास किया है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में बैंक हैं उनमें जो पैसा डिपाजिट होता है, वह यहां इन्वेस्ट कर सकें। एक नई संस्था 'पिकप' नाम की जो कि समस्त उद्योग धन्धों के विकास के लिये राज्य सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य करेगी, का निर्माण किया है। इसी प्रकार की एक संस्था महाराष्ट्र में भी है। इसके सफल होने का कारण यही रहा है कि सरकारी सहायता के अतिरिक्त जितनी सहायता की आवश्यकता होती थी वह कारपोरेशन के माध्यम से मिलती थी। इसलिये जो उद्यमकर्ता हैं, उनको आसानी होवे, इसलिये इस कारपोरेशन के माध्यम से सारी वित्तीय सहूलियतों को प्राप्त कर सकते हैं। इस बोर्ड के माध्यम से हमें बड़े पैमाने पर यहां पर उद्योग धन्धे लगाने में सफलता प्राप्त होगी।

इसी प्रकार ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस कारपोरेशन के माध्यम से रेलवे से भी ३३% शेयर प्राप्त करने में आसानी हो सकेगी जो उसने अन्य प्रदेशों में योगदान दिया है। आज बैंक भी कारपोरेशन में इन्वेस्ट करने के लिये तैयार हैं नई बसों को खरीदने के लिये। केवल रोडवेज को एक विभाग के रूप में हम ऋण नहीं दिलवा सकते थे इसलिये यह निर्णय लिया गया कि ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन बनाया जाय जिससे बैंकों से ऋण मिल सके रेलवेज का भी शेयर उसको प्राप्त हो सके, बस की सेवायें बढ़ाई जा सकें और लोगों को अधिक रोजगार भी प्राप्त हो सके और साथ ही मजदूरों की जो मांगें थीं वे भी पूरी की जा सकें।

हमारे प्रदेश की जो वित्तीय आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति के लिये इन निगमों को बनाया जा रहा है। यह ठीक है कि इन निगमों का मैनेजमेंट एक प्रभावकारी रूप में किया जाय। रूटीन तरीके से और पुराने तरीके से अगर इनको चलाया जाय तो यह सफल नहीं हो सकते हैं, यह ठीक है। माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रदेश का इकोनोमिक सर्वे अलग से करवाया जाय और जो प्रशासन में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनमें बड़े अर्थशास्त्री हैं उनको तथा बैंकिंग का काम जानने वाले हैं ऐसे लोगों को मैनेजमेंट में रखना चाहिये। हम इसी को चाहते हैं। इन सभी बातों को देखते हुये एक नये प्रकार का कैडर भी बनाने का प्रबन्ध किया गया है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सदन का पूरा नियंत्रण तो उन पर रहेगा ही क्योंकि साथियों ने कहा कि शासन सदन का उन पर नियंत्रण न रहे। जो हमारी पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी है उसका पूरा नियंत्रण रहेगा। साथ ही उसका पूरा विवरण भी यहां प्रस्तुत होता रहेगा। विभागों का इन कार्पोरेशन्स के लिये उत्तरदायित्व रहेगा। जो अडिट होता है तथा और जो वित्तीय नियंत्रण होता है वह नियंत्रण उनका रहेगा। इस नियंत्रण को अवश्य रखा जायगा। इसी विचारधारा से सरकार ने इस वर्ष यह नया कदम उठाने की चेष्टा की है। यह भी कहा गया कि यह बजट हर साल पहले तो घाटे का बजट दिखाया जाता है और बाद में वह सप्लस हो जाता है।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

जो ट्रांसपोर्ट कर्मचारी हैं उनका भी प्रतिनिधि इसमें रहेगा?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

व्हिटले काउन्सिल के आधार पर इसको बनाने की चेष्टा की जा रही है। इस सिद्धान्त को सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि प्रबन्ध में जो श्रमिक हैं उनका भी योगदान रहे। अब इसको किस प्रकार से किया जाय इसका परामर्श आप सभी से लेकर इसको किया जायगा।

यह कहा गया कि घाटा होता है और फिर वही लाभ में परिणत हो जाता है। यह तो कवल रेवेन्यू साइड या राजस्व खाते को ही लें तब सही है लेकिन राजस्व और पूंजी खाता दोनों को ही लें तो यह सही नहीं है। जब बजट व्यवस्था में पुराना तरीका रेवेन्यू एक्सपेंडीचर अलग और कैपिटल एक्सपेंडीचर अलग रहता था तब था।

अब हमको प्लान और नान प्लान एक्सपेंडीचर दोनों को ही मिला कर देखना है और नये दृष्टिकोण से हमको खर्च की व्यवस्था को देखना है। कुल घाटा हुआ है सरकार का ६५–६६ में २९.६८ करोड़, ६६–६७ में ११.३७ करोड़, ६८–६९ में ३८.२२ करोड़ और ६९–७० में ४९.५५ करोड़। इस प्रकार से लगातार घाटा हुआ है और इस घाटे की पूर्ति के लिये जो हमारी सिक्योरिटीज़ थीं, रिजर्व फंड्स थे उनसे हमको रुपयों की पूर्ति करनी पड़ी। इस सदन के सभी सम्मानित सद्स्यों का इससे सम्बन्ध है क्योंकि वे भी सरकार में रह चुके हैं और हम उनकी भी प्रतिरक्षा कर रहे हैं इस बात को कह कर। मैं केवल अपने ही को डिफेन्ड नहीं कर रहा हूं बल्कि उन सभी सदस्यों को कर रहा हूं जो किसी न किसी समय सरकार में रह चुके हैं, वे भी इसके भागीदार रहे हैं घाटे का बजट बनाने में और खर्च करने में। यह दुर्भाग्य भी रहा है इस बीच में कि राजनैतिक पोलिटिकल स्थिरता स्टेबलिटी नहीं रह सकी। उसके न होने से भी जितना कंट्रोल इस सदन का होना चाहिये वह नहीं रह सका।

सरकारें बदलती रहीं, यह भी एक वास्तविकता है। पिछले वर्ष कोई ३ करोड़ ४१ लाख अतिरिक्त व्यय हुआ लेकिन जैसा कि मैंने कहा यह राज्य की उथल पुथल के कारण व्यय पर नियंत्रण न होने के कारण हुआ। १९७१–७२ का जो रिवाइज्ड बजट है इस साल उसमें लगभग ८६ करोड़ ५६ लाख का घाटा अनुमानित है। तो यह कहना कि घाटे का बजट सरप्लस हो जाता है यह ठीक नहीं है। लगातार हमारा खर्च बढ़ता जा रहा है और घाटा हो रहा है और रिजर्व से उसको पूरा करना पड़ता है।

इस वर्ष अप्रत्याशित बाढ़ के लिये हमें ७५ करोड़ की अनुपूरक मांग इस सदन में स्वीकार करानी पड़ी। इतने बड़े पैमाने पर हमें बाढ़ पर खर्च करना पड़ा है जो कि प्रदेश क इतिहास में पहले नहीं हुआ था और उसके कारण खर्च बहुत बढ़ गया है। टैक्स लगान की सीमा होती है। टैक्स हम पिछले साल बड़े पैमाने पर नहीं लगा सके। इसके अलावा नई योजनायें कार्यान्वित की हैं। जैसे कि ८ करोड़ रुपया ग्रामीण सड़कों के लिये दिया गया है। पहली बार इस प्रदेश के इतिहास में यह निर्णय लिया गया कि ग्रामीण सड़कें क्रेश प्रोग्राम के अलावा बनाई गई। उन पर ८ करोड़ रुपया व्यय किया गया। ग्रामीण सड़कों को मुख्य मोटर मार्गों से मिलाने के लिये यह किया गया।

पहली बार ५ करोड़ रुपया प्राइमरी स्कूलों की मरम्मत और कमरे बनाने के लिये व्यय किया गया, क्योंकि स्कूलों की हालत खराब थी। श्रीमन्, पहली बार जो म्यूनिस्पैलिटीज और टाउन एरियाज़ हैं उनकी सड़कें निर्माण करने के लिये १.५ करोड़ रुपया का प्राविधान किया गया और जो नये टाउन एरियाज थे उनको भी ३०, ३० हजार रुपये दिय गये। हरिजन बस्तियों में कुआं बनाने के लिये ३.७५ करोड़ रुपया दिया गया। इन कार्यों को अनुपूरक रुपये से किया गया है।

श्रीमन् इतना अधिक खर्च हुआ पिछले वर्ष कि इस साल पहली बार शायद ओवर ड्राफ्ट हमें लेना पड़ेगा। हमने फायनेंशियल डिसिप्लिन रक्खा है लेकिन जो अप्रत्याशित बाढ़ से प्रदेश की स्थिति हुई है उससे मुझे लगता है कि इस बार संभवतः ७१-७२ के बजट के प्रसंग में ओवर-ड्राफ्ट हो जाय। इसकी पूर्ति करने की हम चेष्टा करेंगे और केन्द्र जो भी ओवरड्राफ्ट के लिये शर्तें रक्खेगा उनका हम अनुपालन करेंगे। मुझ आशा है कि ऐसा नहीं होगा, लकिन अगर होगा तो पिछले वर्ष की अप्रत्याशित बाढ़ के प्रसंग में होगा। तो श्रीमन्, इस वर्ष भी जो घाट का बजट है इसकी पूर्ति के लिये मैंने कुछ प्रस्ताव किय हैं और यह प्रस्ताव व्यवहारिक प्रस्ताव हैं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

श्रीमन्, हमारी ग्रामीण सभाओं में, क्षेत्र समितियों में और जिला परिषद् में बहुत समय से यह मांग रही है कि हम कुछ न कुछ शासकीय अनुदान निश्चितरूप से उनको दें और साथ ही साथ सन्साधन जुटाने की भी बात थी। लगान माफी हो जाने के बाद, संसाधन जुटाने का सवाल आया था। प्लानिंग कमीशन ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में संसाधन भारत में सबसे कम हैं। लगान माफी हो जाने के बाद, भूमि और भवन कर माफी के बाद और प्रोफेशनल टैक्स माफ होने के बाद हम कुल ३ करोड़ रुपये इकट्ठे कर पाये हैं। प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि यदि हम संसाधन नहीं जुटाते हैं तो लक्ष्य में कमी हो सकती है। तो हमने प्लानिंग कमीशन को अवगत कराया कि यहां की स्थिति क्या थी। प्लानिंग कमीशन को यह भी आश्वस्त किया गया कि हम संशोधन इकत्रित करने की चेष्टा करेंगे। जो जिस दृष्टिकोण से निर्णय लिये गये हैं, इस सदन को इसी दृष्टि से विचार करना चाहिये।

हम ग्रामीण विकास निधि को बढ़ाने जा रहे हैं। इसके लिये प्रत्येक क्षेत्र निधि को ४५ हजार से बढ़ाकर ५० हजार प्रति वर्ष मिला करेगा ताकि गांव सभायें अपनी योजनायें मैचिंग ग्रान्ट के रूप में चला सकें। बहुत से ब्लाकों में ग्राम सभाओं के लिये मैचिंग ग्रान्ट्स न होने के कारण कोई कार्य नहीं हो पाता था। अब यह समस्या नहीं रहेगी। इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि आज हजारों गांवों में बिजली लग गयी है लेकिन वहां बल्ब नहीं जलते। वहां गांवों में रिकार्ड रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब उन गांवों में बिजली जलाई जा सके, इसकी गुन्जाइश रखी गयी है।

जिला परिषदों के लिये भी इसमें निर्णय हुये हैं। अब जिला परिषदों को लगभग तीन लाख रुपये प्रत्येक जिला परिषद् को निश्चित रूप से मिल जाया करेंगे। इस प्रकार इस सदन की जो मन्शा थी कि गांव सभाओं को क्षेत्र निधियों को मजबूत किया जाय, वह मन्सा पूरी हुई है और थोड़े से संसाधन जुटाये गये हैं ताकि जो प्रदेश की योजना के लिये प्लानिंग कमीशन अपेक्षा करता है, उसे वह प्राप्त हो सके। श्रीमन् जो अनेक प्रश्न उठाये गये हैं, उनमें एक प्रश्न यह भी है कि हमारी कृषि संबंधी आय-कम हुई है और उद्योग संबंधी आय ज्यादा हुई है। हमारे सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने यह उल्लेख किया हमारी जन-संख्या की दृष्टि से पर कैपिटा आमदनी कम होकर एक प्रतिशत रह गयी है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

एक प्रतिशत नहीं ०.१ प्रतिशत।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन् जो आंकड़े दिये गये हैं, वह आबादी की वृद्धि को ध्यान में रख कर दिये गये हैं। जो जो अर्थ एवं संख्या विभाग ने आंकड़े दिये हैं, तो जो जनसंख्या में वृद्धि सन् ६० से आज हुई है, उनको ध्यान में रख कर दिये हैं। श्रीमन्, इस सिलसिले में यह भी कहना चाहूंगा कि हम यह नहीं कहते कि औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास नहीं हुआ। सन् १९६० से १० सालों के अंदर औद्योगिक कारखानों की संख्या ५२८ से बढ़कर ३,८८२ हो गयी है। बिजली का उपयोग ९७.५७ लाख किलोवाट से बढ़कर ४६२.३२ लाख किलोवाट हो गया है। मोटर गाड़ियों की संख्या ५५,२९८ से बढ़ कर १,२१,२२७ हो गयी है। रेडियो लाइसेंस १८७ हजार से बढ़कर १२६१ हजार हो गये हैं। व्यवसायिक बैंकों में जमा धनराशि १३२.६९ लाख से बढ़कर ४२५.६० लाख हो गयी है। श्रीमन्, इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन में गति आई है। यह जो हमारा बुनियादी ढांचा बढ़ा है, उसका यह इन्डेक्स है। इस अनुपात में हमारी वृद्धि हुई है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की कोशिश न करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, यह जो २.८ परसेंट दिखाया गया है, मेरा दावा है कि उसमें आबादी की वृद्धि शामिल नहीं है। आप उस पर कायम रहें, एक बात। और दूसरी बात यह है कि मेरा यह निश्चित मत है कि जहां तक शुगर का मामला है, वह अनुपात ५० परसेंट से घटकर ३३ परसेंट हो गया है। जहां तक कुटीर उद्योग और इण्डस्ट्री का मामला है, वह ७.४ परसेंट से घटकर ६ परसेंट हो गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, इसमें जन संख्या की तुलना की कहीं आवश्यकता ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपकी किताब में ही यह छपा है।

श्री बंशीधर पांडेय—

प्राइस इन्डेक्स कितना बढ़ा उस प्रोपोरशन में ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप अपने विभाग को थोड़ी तकलीफ दें और यह मालूम करें कि इनकम का इन्डेक्स एक जगह पर स्थिर नहीं रहा है, यह मालूम करके आप कल जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं माननीय सम्मानित नेता, सोशलिस्ट पार्टी की बातों की चर्चा बाद में करूंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस बजट के अन्दर एक वर्ष के अन्दर चतुर्थ योजना के अन्तर्गत जिन कार्यों को हम निरूपित कर सकते थे उनका उल्लेख किया गया है और उसकी रूप रेखा दी गयी है। साथ ही साथ जो समाजवादी समाज के निर्माण के लिये आवश्यक कदम एक वर्ष के अन्दर उठाये जा सकते हैं उनका उल्लेख किया गया है। मैंने यह दावा कभी नहीं किया कि यह गरीबी हटाओ बजट है और एक ही वर्ष में प्रदेश की गरीबी दूर हो जायेगी।

श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा)—

पिछड़े हुये क्षेत्रों के लिये क्या मापदंड निर्धारित किया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

हमने मान्यवर पहली बार यह स्वीकार किया है कि अगर कुछ योजनायें जैसे लिफ्ट इर्रीगेशन की है, सिंचाई की है, अगर घाटे पर भी चलानी पड़ें तो उनको चलाया जाय।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

वित्त मंत्री जी बैठ नहीं रहे है, आप कृपया शांत रहें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हमारे नियमों में यह है कि हम स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, जहां तक बेकारी को दूर करने का प्रश्न है इस ओर भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और उसके लिये हमने बजट में ५ करोड़ रुपये का भी प्राविधान किया है। शिक्षित बकारी को दूर करने के लिये ५ करोड़ रुपया हमने रखा है और आपको यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि इस योजना के लिये ४ करोड़ रुपया हमें केन्द्र से भी प्राप्त होगा। इस प्रकार यह धनराशि ९ करोड़ हो जायेगी जो शिक्षित बेकारी को दूर करने के लिये होगी।

ग्रामीण हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण के लिये भी हमने एक योजना रखी है। इसमें लैप्सेज की प्रणाली को खत्म करने की योजना है और उसके अन्तर्गत हम सारे इस्टीमेट्स के ढाँचे को ही बदलेंग। पहले डिटेल्स एस्टीमेट के ढांचे का प्राविधान किया जायेगा, फिर बजट में प्राक्कलित किया जायगा। मैंने नियमों में परिवर्तन किया है लैप्स रोकने के लिये, ताकि समय पर खर्च हो सके। एस्टीमेट कमेटी के सुझावों को स्वीकार किया है। कोआपरेटिव आन्दोलन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया है। लोगों को चेक सिस्टम द्वारा जो शिकायत थी विभाग से, उसे खत्म करने का प्रयास किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि आने वाले २–३ वर्षों में खाद के वितरण का दायित्व कोआपरेटिव को दिया जायेगा और उनको इसके लिए ८ करोड़ रुपये की नई पूंजी दी जाएगी।

इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा और जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा को अपने अन्तर्गत देने की सरकार ने घोषणा की है। ये सारे निर्णय चौथी योजना में लिये गये निणयों के अलावा हैं। अब म अपने सम्मानित सदस्यों से जानना चाहूंगा कि आखिर वे हमसे क्या अपेक्षा करते हैं ? एक वष के बजट में वह और क्या अपेक्षा कर सकते ह ? क्या उन्होंने अपनी ओर से कोई समानान्तर बजट प्रस्तुत किया है ?

(श्री अनन्तराम जायसवाल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्टाता—

आप इस तरह से बीच-बीच में न खड़े हों ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

वह हमसे ललकार-ललकार कर पूछ रहे हैं। इसलिये आप मुझे बताने दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

जब वित्त मंत्री जी बैठ जाएं तो आप उनसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, लेकिन वह बैठ नहीं रहे हैं, इसलिये आप बैठें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह सामान्य शिष्टाचार की बात है, जब मैं खड़ा हो गया हूं तो वह बैठ जाएं। वह नहीं बैठ रहे हैं तो म क्या करूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, इस सरकार को शासन की बागडोर संभाले एक वर्ष हुआ है, लेकिन आप पिछले एक वष को देखें, सम्मानित नेता–मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में सहिष्णुता और सबल प्रदश को लेकर हमने काम किया है। कोई भी हमारे प्रदेश में इस बीच गोलीकांड नहीं हुआ है सभी समस्याओं को सहिष्णुता और शक्ति के अद्भुत समन्वय से हल किया गया है। स

समस्याओं को मानवीय दृष्टिकोण से देखा गया है और इस सरकार ने एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। और प्रजातन्त्र को उन्होंने मूर्त रूप देने का प्रयास किया है।

(व्यवधान)

वह हमारी बातों का विरोध करें अवश्य, लेकिन जो बुनियादी समस्याएं हैं, हमारे प्रदेश की, उनको हल करने में वे अवश्य अपना महत्वपूर्ण योगदान करें। अखबार की एक सूचना के आधार पर कह दिया गया कि विधायक बिक गये या खरीदे गये, यह बात किसी भी दल के सदस्यों की मान-मर्यादा के विरुद्ध है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपने जांच किस बात की बिठाई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आपको मालूम होना चाहिये कि पहली बार इस सदन के सब के सब ४२५ सदस्यों ने राज्यसभा के चुनाव में भाग लिया है। यह भी सौभाग्य की बात है कि आमतौर पर जो उम्मीदवार पार्टियों ने खड़े किये थे, वे जीते। हां, यह हो सकता है कि २, ४, ५ किसी भी दल के विधायकों ने इधर-उधर वोट दिया हो। लेकिन आमतौर से यह कह देना, लांछन लगा देना इस सदन में किसी प्रकार भी उचित नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कांग्रेस पार्लियामण्टरी की कार्य-समिति ने जांच बिठाई है, जिसमें सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं, बेनी सिंह हैं, यह किस लिए है ?

श्री अधिष्ठाता—

यह सारी बातें आप पहले कह चुके हैं, इनको फिर दोहरा रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दलों की जांच होती रहेगी, लेकिन आमतौर पर यह कह देना कि विधायक खरीदे गये—मैं उसकी बात कह रहा हूं। मैं सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, रचनात्मक सुझावों के लिए और जो भी रचनात्मक सुझाव आये हैं मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, सरकार की तरफ से और अपनी तरफ से कि उन सभी सुझावों पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करके उन्हें यथाशक्ति कार्यान्वित करने की चेष्टा करेंगे।

श्रीमन्, यह बजट, विकास की महायात्रा में केवल एक मील का पत्थर मात्र है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो एक मील चलने का प्रयास है, इसमें यह सदन और सदन के सम्मानित सदस्य इस प्रदेश के विकास की जो महायात्रा है, उसकी मंजिल तक पहुंचने में हमारी मदद जरूर करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं। कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
११ अप्रैल, १९७२।

नत्थी 'क'

(देखिये नियमावली ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर
पीछे पृष्ठ ४९० पर)

सूची

क्र०-सं०	अधिकारी का नाम		पदनाम एवं वेतनमान
१	श्री डी० एन० सूद	..	उप निदेशक पशुपालन ६००–१,२५० रु०
२	श्री एस० एन० बख्शी	..	,, ,,
३	श्री सी० पी० सिंह	..	,, ,,
४	श्री पी० सी० त्रिपाठी	..	प्रधानाचार्य, आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ ६००–१,२५० रु० ।
५	श्री तेज बहादुर	..	उप निदेशक पशुपालन ६००–१,२५० रु०
६	श्री एस० एस० राजकुमार	..	,, ,, ,, ,,
७	श्री बी० पी० वर्मा	..	अनुसंधान अधिकारी, फोरेन्सिक लैबोरेटरी, ६००–१,२५० रु०
८	श्री वी० डी० शर्मा	..	उप निदेशक पशुपालन ६००–१,२५० रु०
९	श्री डी० एन० भट्ट	..	,, ,, ,, ,,
१०	श्री बी० आर० सिंह	..	,, ,, ,, ,,
११	श्री हीरा मणि बडोला	..	जिला पशुधन अधिकारी ३००–९०० रु०
१२	श्री आर० के० राय	..	पशुधन क्रय-विक्रय अधिकारी ३००–९०० रु०
१३	श्री बी० बी० लाल	..	जिला पशुधन अधिकारी, ३००–९०० रु०
१४	श्री जैनुअल आबदीन	..	जिला पशुधन अधिकारी ३००–९०० रु०
१५	श्री राम शरण मिश्र	..	,, ,, ,, ,,
१६	श्री आर० जी० मेहरोत्रा	..	,, ,, ,, ,,
१७	श्री जगदीश सिंह	..	,, ,, ,, ,,
१८	श्री एम० बी० हैदर	..	श्रोत प्रबन्धक, राजकीय पशुधन एवं कृषि क्षेत्र ३००–९०० रु०
१९	श्री जी० एस० रावत	..	प्रभारी अधिकारी, भेड़ प्रजनन केन्द्र ३००–९०० रु०
२०	श्री घन श्याम सिंह	..	सूकर रोग नियंत्रण अधिकारी, ३००–९०० रु०
२१	श्री इन्द्र गुप्त	..	जिला पशुधन अधिकारी ३००–९०० रु०
२२	श्री ओ० एस० श्रीवास्तव	..	,, ,, ,, ,,
२३	श्री के० एस० के० विष्ट	..	प्रभारी अधिकारी, बकन फैक्ट्री, केन्द्रीय दुग्धशाला प्रक्षेत्र, अलीगढ़, ३००–९०० रु०

क्र०-सं०	अधिकारी का नाम		पदनाम एवं वेतनमान
२४	श्री एच० एच० पी० श्रीवास्तव	..	प्रभारी अधिकारी, सेवाकालीन कला, चक गंजरिया ३००–६०० रु०
२५	श्री हर वंश सिंह	..	क्षेत्र प्रबन्धक, ३००–६०० रु०
२६	श्री राम लाल शर्मा	..	पशु विकास अधिकारी, ३००–६०० रु०
२७	श्री एन० एस० चौहान	..	जिला पशुधन अधिकारी, ३००–६०० रु०
२८	श्री अबुल हसन रिजवी	..	तदव
२९	श्री जे० एल० चतुर्वेदी	..	तदैव
३०	श्री सरताज बहादुर सक्सेना	..	विषय बिशेषज्ञ (ए० आई०), ३००–६०० रु०
३१	श्री आर० पी० थपलियाल	..	जिला पशुधन अधिकारी, ३००–६०० रु०
३२	श्री ए० ए० फारूकी	..	सहायक निदेशक सघन पशु विकास खण्ड, ३००–६०० रु०
३३	श्री जी० एस० वर्मा	..	जिला पशुधन अधिकारी ३००–६०० रु०
३४	श्री कुला नन्द पुरोहित	..	विषय विशेषज्ञ (भेड़),
३५	श्री एस० सी० मांगलिक	..	विषय विशेषज्ञ, ३००–६०० रु०
३६	श्री शम्भू दयाल सिंह	..	पशु विकास अधिकारी, ३००–६०० रु०
३७	श्री शिव बरन सिंह	..	तदैव
३८	श्री जे० पी० सिंह	..	जिला पशुधन अधिकारी, ३००–६०० रु०
३९	श्री एम० ए० शकूर	..	जिला पशुधन अधिकारी, ३००–६०० रु०
४०	श्री जे० पी० सिंह	..	प्रभारी अधिकारी, जन विश्लेषण एवं निस्तारण योजना, ३००–६०० रु०
४१	श्री आर० सी० दीक्षित	..	जिला पशुधन अधिकारी, ३००–६०० रु०
४२	श्री जी० एस० मैसी	..	प्रभारी अधिकारी, सूकर विकास योजना,
४३	श्री सी० एस० सक्सेना	..	जिला पशुधन अधिकारी, २५०–६०० रु०
४४	श्री ओ० पी० गुप्ता	..	तदैव
४५	श्री वजाहत अली किदवई	..	तदैव
४६	श्री जमील अहमद	..	तदैव
४७	श्री जी० के० गुप्ता	..	तदैव
४८	श्री के० पी० श्रीवास्तव	..	तदैव
४९	श्री ग्लैविन ब्रेव	..	तदैव
५०	श्री ए० एन० द्विवेदी	..	तदैव
५१	श्री एस० एन० काले	..	तदैव
५२	श्री एस० सी० शर्मा	..	तदैव
५३	श्री बलदेव सचदेव	..	तदैव
५४	श्री एस० एन० राय	..	तदैव

क्र०-सं०	अधिकारी का नाम		पदनाम एवं वेतनमान
५५—	श्री धीरेन्द्र सिनहा	..	जिला पशुधन अधिकारी २५०–६०० रु०
५६—	श्री बी० बी० सिंह	..	तदैव
५७—	श्री डी० वी० एस० चौधरी	..	तदैव
५८—	श्री एम० पी० नैथानी	..	तदैव
५९—	श्री पी० एम० पाण्डे	..	तदैव
६०—	श्री आर० एस० मिश्रा	..	कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी, २५०–५५० रु०
६१—	श्री आर० एन० सिंह	..	तदैव
६२—	श्री राम सवद सिंह	..	तदैव
६३—	श्री लक्ष्मी नारायण	..	तदैव
६४—	श्री एस० एफ० डीन	..	तदैव
६५—	श्री एम० एस० भटनागर	..	तदैव
६६—	श्री जे० पी० शर्मा	..	प्रभारी अधिकारी, वीर्य संकलन केन्द्र, २५०–५५० रु०
६७—	श्री अबरार हुसैन रिजवी	..	कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी, २५०–५५० रु०
६८—	श्री गंगाराम गुप्ता	..	तदैव
६९—	श्री आर० सी० शर्मा	..	प्रवक्ता, पशुपालन प्रशिक्षण कक्षा, २५०–५५० रु०
७०—	श्री महीपालसिंह	..	प्रभारी अधिकारी, वीर्य संकलन केन्द्र, २५०–५५० रु०
७१—	श्री बी० पी० यादव	..	कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी, २५०--५५० रु०
७२—	श्री ओ० पी० गुप्ता (II)	..	प्रभारी अधिकारी, वीर्य संकलन केन्द्र २५०–५५० रु०
७३—	श्री रामानुज श्रीवास्तव	..	तदैव
७४—	श्री परशुराम सिंह	..	कृत्रिम गर्धाधान अधिकारी, २५०–५५० रु०
७५—	श्री ए० वी० थपलियाल	..	प्रभारी अधिकारी, त्रीर्य संलन केन्द्र, २५०–५५० रु०
७६—	श्री जी० पी० श्रीवास्तव	..	कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी, २५०–५५० रु०
७७—	श्री जे० एन० सिंह	..	तदैव
७८—	श्री एम० सी० हरबोला	..	प्रभारी अधिकारी, वीर्य संकलन केन्द्र, २५०–५५० रु०
७९—	श्री योगेन्द्र सिंह	..	तदैव
८०—	श्री एन० पी० नैथानी	..	तदैव
८१—	श्री दया शंकर श्रीवास्तव	..	तदैव
८२—	श्री सत्यपाल सिंह	..	तदैव
८३—	श्री एच० सी० एल० श्रीवास्तव		तदैव
८४—	श्री के० डी० एन० श्रीवास्तव		तदैव

क्र०-सं०	अधिकारी का नाम		पदनाम एवं वेतन-मान
८५	श्री जलालुद्दीन अन्सारी	..	प्रभारी अधिकारी वीर्य संकलन केन्द्र २५०–५५० रु०
८६	श्री खजान सिंह यादव	..	कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी, २५०–५५० रु०
८७	श्री सैयद इवने हसन	..	तदैव
८८	श्री रामेश्वर दयाल	..	प्रभारी अधिकारी, वीर्य संकलन केन्द्र, २५०–५५० रु०
८९	श्री तेजपाल सिंह वर्मा	..	प्रभारी अधिकारी, वीर्य संकलन केन्द्र, २५०–५५० रु०
९०	श्री एस० डी० भारद्वाज	..	तदैव
९१	श्री जय भगवान शर्मा	..	कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी, २५०–५५० रु०
९२	श्री एच० एन० अवस्थी	..	तदैव
९३	श्री धर्मपाल यादव	..	तदैव
९४	श्री एस० सी० दुबे	..	प्रभारी अधिकारी, वीर्य संकलन केन्द्र, २५०–५५० रु०
९५	श्री एच० एम० माथुर	..	कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी, २५०–५५० रु०
९६	श्री टी० के० राय	..	प्रभारी अधिकारी, वीर्य संकलन केन्द्र, २५०–५५० रु०
९७	श्री लक्ष्मन प्रसाद	..	तदैव
९८	श्री पी० एन० द्विवेदी	..	तदैव
९९	श्री एस० एम० एस० नकवी	..	तदैव
१००	श्री समी उल्लाह खां	..	तदैव
१०१	श्री एस० पी० श्रीवास्तव	..	तदैव
१०२	श्री के० डी० पुनेरा	..	कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी, २५०–५५० रु०
१०३	श्री आर० पी० माथुर	..	कुक्कुट रोग नियंत्रण अधिकारी, (प्रधान कार्यालय) ३००–९०० रु०
१०४	श्री बी० पी० बारकर	..	प्रयोजना अधिकारी, (कुक्कुट) ३००–९०० रु०
१०५	श्री राम देव सिंह	..	तदैव
१०६	श्री जी० सी० अग्रवाल	..	तदैव
१०७	श्री जफर मोहसिन	..	तदैव
१०८	श्री डी० एन० दलेला	..	तदैव
१०९	श्री ननामुद्दीन अहमद	..	तदैव
११०	श्री पी० डोवाल	..	कुक्कुट विकास अधिकारी, ३००–९०० रु०
१११	श्री आर० के० मिश्रा	..	क्षेत्र प्रबन्धक (कुक्कुट), २५०–५५० रु०
११२	श्री आर० एस० मिश्रा	..	तदैव
११३	श्री एस० एस० विष्ट	..	तदैव
११४	श्री के० पी० सिंह	..	तदैव

क्र०-सं०	अधिकारी का नाम		पदनाम एवं वेतन-मान
११५	श्री आर० सी० चौधरी	..	क्षत्र प्रबन्धक (कुक्कुट) २५०–५५० रु०
११६	श्री के० एन० देवा	..	तदैव
११७	श्री आर० पी० अग्रवाल	..	तदैव
११८	श्री शिवजीत सिंह	..	तदैव
११९	श्री वी० के० शुक्ल	..	तदैव
१२०	श्री ए० पी० सक्सेना	..	प्रवक्ता, २५०–५५० रु०
१२१	श्री मेवा राम दौनिरिया	..	उप निदेशक पशुपालन, ६००–१,२५० रु०
१२२	श्री बी० एस० चौधरी	..	उप निदेशक पशुपलन, स० प० बि० सं०, ६००–१,२५० रु०
१२३	श्री बी० एस० श्रीवास्तव	..	उप निदेशक पशुपालन, ६००–१,२५० रु०
१२४	श्री बी० एम० एल० दीक्षित		तदैव
१२५	श्री अजय पाल सिंह	..	बारा विकास अधिकारी, ३००–९०० रु०
१२६	श्री जी० सी० गोबिल	..	संख्याविद, ३००–९०० रु०
१२७	श्री जे० पी० गंगवार	..	फील्ड आफिसर, २२५–५०० रु०
१२८	श्री विनोद शंकर	..	तदैव
१२९	श्री राम सहाय	..	तदैव

नत्थी 'ख'

[देखिये नियमावली ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९६ पर]

सूची

(अ) लेबोरेटरी टेक्नीशियन

(१)	श्री राम मिलन उपाध्याय	..	.. १४–१०–५० से
(२)	श्री गोरखनाथ पाण्डे	..	.. २१–८–६४ से
(३)	श्री नर्बदश्वर शुक्ला	..	.. ८–१२–६४ से
(४)	श्री मोहम्मद इलियास	..	.. २८–१–७० से

(ब) नर्सिंग स्टाफ

(१)	श्रीमती करुणादास मैट्रन	..	.. १–११–६९ से
(२)	सिस्टर श्रीमती ई० रोविट	..	.. १–७–७१ से
(३)	सिस्टर कु० जे० हिलेरियन	..	.. १३–७–६७ से
(४)	सिस्टर श्रीमती डी० फ्रिमैन	..	.. ७–५–६६ से
(५)	सिस्टर श्रीमती एस० डी० त्रिपाठी	..	.. १८–९–६९ से
(६)	वार्ड मास्टर ज० एन० सिंह	..	.. २–७–७१ से
(७)	स्टाफ नर्स श्रीमती एम० अगस्तस	..	.. १६–१२–६४ से
(८)	स्टाफ कु० पी० मधई	..	.. ५–२–६६ से
(९)	श्रीमती जे० युनूस	..	.. २४–३–६९ से
(१०)	कु० प्रमीला	..	.. १५–७–६८ से
(११)	श्रीमती कमला पाण्डे	..	.. १८–६–६९ से
(१२)	कु० एस० मैथ्यूज	..	.. १५–२–६७ से
(१३)	कु० ए० चक्रबर्ती	..	.. १७–१–६८ से
(१४)	कु० एस० पीटर	..	.. १५–६–७० से
(१५)	कु० ओ० एम० राजी	..	.. २३–१२–७१से

नत्थी "ग"

(देखिए तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९८ पर)

स्वास्थ्य सहायकों की सूची जिनकी सेवायें २८-२-७० के अपरान्ह में समाप्त की गईं

१---सर्वश्री कान्ती स्वरूप
२---रमेश चन्द्र
३---बलराज सिंह यादव
४---देवानी राम सक्सेना
५---मंगल सिंह
६---राम सिंह
७---सुशील कुमार सिंह
८---भगौती प्रसाद वर्मा
९---राज सिंह
१०---सूर्य मणी सिंह
११---भानु प्रताप सिंह
१२---राम सरन सिंह वर्मा
१३---इन्द्र जीत सिंह अग्रवाल
१४---डी० सी० सत्यार्थी
१५---बी० एन० त्यागी
१६---लादूरी सिंह
१७---पीताम्बर सिंह
१८---राजेश्वर
१९---सन्तराम वर्मा
२०---छत्तर सिंह
२१---शिव राम सिंह
२२---राम बीर सिंह
२३---लक्ष्मन सिंह
२४---नन्दन सिंह
२५---एस० एल० गुप्ता
२६---जगदीश्वर सिंह
२७---राज पाल सिंह
२८---हेम सिंह
२९---चमन सिंह
३०---चमन प्रकाश
३१---सर्वश्री जगत सिंह
३२---पी एस० गंगवार
३३---वेद प्रकाश शर्मा
३४---जगदीश प्रसाद जैन
३५---धर्मवीर सिंह
३६---विजेन्द्र वीर गुप्ता
३७---परस राम
३८---यसवन्त सिंह त्यागी
३९---शिव लाल सिंह
४०---सुरेन्द्र सिंह बलवान
४१---चरन सिंह
४२---राम प्रसाद
४३---श्री प्रकाश
४४---छोदा सिंह राना
४५---मेघराज सिंह
४६---सियाराम यादव
४७---एच० सी० कपूर
४८---बीरपाल सिंह
४९---मूल चन्द्र
५०---बी० पी० शर्मा
५१---रूप लाल
५२---अनुप चन्द्र शर्मा
५३---राम अभिलाष सिंह
५४---जपाल सिंह
५५---राम कुमार
५६---हरिपाल सिंह
५७---लियाकत हुसैन
५८---श्याम लाल
५९---फैज हुसन
६०---देव दत्त शर्मा

६१—सर्वश्री सूरज भान
६२—ओम प्रकाश
६३—प्रेम राज सिंह
६४—शिव पती पाठक
६५—बहीद अहमद
६६—राजेन्द्र सिंह
६७—छीदा सिंह
६८—चन्द्रमल
६९—ओम बाबू सक्सेना
७०—जगबीर सिंह
७१—जनाथ त्यागी
७२—राम कुमार त्यागी
७३—राम फल सिंह
७४—चन्द्र मोहन
७५—महेन्द्र सिंह
७६—अजय प्रकाश
७७—सर्वश्री राम गोपाल
७८—जै प्रकाश
७९—ईश्वर चन्द्र
८०—गंगा सरन सिंह
८१—विशम्भर सिंह
८२—श्याम लाल
८३—खेम चन्द्र यादव
८४—भूषण सिंह
८५—कृष्ण सिंह
८६—देवेन्द्र सिंह
८७—कृष्ण औतार
८८—हरबीर सिंह
८९—नरायण सिंह
९०—जगत सिंह
९१—लक्ष्मण सिंह
९२—महेन्द्र सिंह

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०५ पर)

तालिका

डाक्टर का नाम	पद	लखनऊ में तैनाती की तिथि
बलरामपुर अस्पताल		
१—डा० एस० सी० राय ..	सर्जन ..	२६—४—६२
२—डा० एम० एल० अग्रवाल (निलंबित)	रेडियोलाजिस्ट ..	२४—५—६८
३—डा० आर० पी० श्रीवास्तव ..	एनेस्थेटिस्ट ..	११—७—६७
४—डा० आर० एस० सेठ ..	ई० एन० टी० सर्जन ..	१६—५—६८
५—डा० वी० डी० मिश्रा ..	नेत्र सजन ..	२६—७—६१
६—डा० सी० एम० तिवारी ..	पैथालाजिस्ट ..	१८—६—६०
७—डा० ए० सी० भटनागर ..	सामान्य ड्यूटी ए० ओ०	२०—६—६६
८—डा० वी० एन० अग्रवाल ..	तदैव	१२—१२—६८
९—डा० बी० एन० कपूर	रिजर्व ड्यूटी (बाल रोग विशेषज्ञ)	१—४—६६
१०—डा० आर० एस० अग्रवाल ..	रिजर्व ड्यूटी (अर्थोपीडिक)	८—४—६९
११—डा० बी० के० गुप्ता ..	डेन्टल सर्जन ..	१—७—६६
सिविल अस्पताल		
१—डा० वी० एम० मनी ..	सर्जन ..	१९—७—६७
२—डा० वाई० एस० दास ..	एनेस्थेटिस्ट ..	९—१०—६४
३—डा० एस० सी० जी० काले ..	रेडियोलाजिस्ट ..	१४—७—६७
४—डा० एस० एन० दुबे ..	राज्य कर्मचारियों के लिये	२७—६—६६
५—डा० एम० एल० धर ..	सामान्य ड्यूटी एम० ओ० (अर्थोपीडिक) ..	१—८—६८
६—डा० बी० एस० सक्सेना	रिजर्व ड्यूटी (नेत्र रोग)	१९—६—६५
७—डा० (श्रीमती) सुशीला तिवारी ..	महिला चिकित्सक (गायनोकोलाजिस्ट)	११—१२—६२
८—डा० आर० के० अग्रवाल ..	रिजर्व ड्यूटी/ सर्जन/ ..	७—१—६७

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४४ एल० ए०—१९७३—८४५ ।